MINOR ACT SECOND PART

मोड्यूल (A) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बुराई संबंधी विधियां

भाग–1 – महिलाओं संबंधी विधियां

'मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage)Act] 2019

तिहरा तलाक (**Triple Talaq**)

धारा 1. लघु शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ –(1) यह अधिनियम मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 कहलायेंगे।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह अधिनियम 19 सितम्बर, 2018 को लागू हुआ समझा जायेगा।

धारा 2. परिभाषाएँ–इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "इलेक्ट्रॉनिक रूप "का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (द) में उसका है;

(ख) "मजिस्ट्रेट" से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अधीन उस क्षेत्र में, जहाँ विवाहित मुस्लिम महिला निवास करती है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, और

(ग) **"तलाक"** से तलाक–ए–बिददत या तलाक का कोई अन्य समान रूप अभिप्रेत है, जिसका प्रभाव किसी मुस्लिम पति द्वारा उद्घोषित तुरन्त और अप्रतिसंहरणीय विवाह विच्छेद है।

तलाक की घोषणा का शून्य और अवैध होना

धारा 3 तलाक का शून्य और अवैध होना.– किसी मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए, शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हो या लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों या किसी अन्य रीति से चाहे कोई भी हो, तलाक की उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी।

धारा 4. तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दण्ड –कोई मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी को धारा 3 में निर्दिष्ट रीति में तलाक की उद्घोषणा करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दांयी होगा।

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा

धारा 5. निर्वाह भत्ता–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है, अपने पति से स्वयं के

लिए और आश्रित सन्तानों के लिए ऐसी रकम का निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाए।

धारा 6. अवयस्क सन्तानों की अभिरक्षा.– तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई विवाहित मुस्लिम महिला, उसके पति द्वारा तलाक की उद्घोषणा किए जाने की दशा में, ऐसी रीति में, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाए, अपनी अवयस्क सन्तानों की अभिरक्षा के लिए हकदार होगी।

धारा 7. अपराधों का संज्ञेय, शमनीय आदि होना.– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,

(क) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध तब संज्ञेय होगा, यदि अपराध के किए जाने से सम्बन्धित इत्तिला किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिस पर तलाक की उद्घोषणा की गई है या उससे रक्त या विवाह द्वारा नातेदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाती है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध उस विवाहित मुस्लिम महिला की पहल पर, जिस पर तलाक को उद्घोषणा की गई है, मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से ऐसी निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो मजिस्ट्रेट अवधारित करे, शमनीय होगा;

(ग) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तब तक छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर और उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिस पर तलाक की उद्घोषणा की गई है, सुनवाई करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं।

धारा 8. निरसन और व्यावृत्ति. – (1) मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्या 4) का निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध एवं सुधार) अधिनियम 2013

अधिनियम का इतिहास

वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाऐं पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दे रही है। महिलाओं को कार्य स्थल पर एक सुरक्षित वातावरण मिले तथा वे बिना किसी भय या संकोच के गरिमापूर्ण वातावरण में कार्य कर सके इन्हीं उद्देश्यों को लेकर यह अधिनियम बनाया गया है।

मूलतः यह अधिनियम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में बनाया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत व्यथित– महिला धारा–2

इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यथित महिला है :–

1. किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की महिला, चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीडन के किसी कार्य के अध्यधीन रहने का अभिकथन करती है।
2. किसी निवास या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला जो किसी ऐसे निवास या गृह में नियोजित है।

अधिनियम के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीडन

इस अधिनियम की **धारा 2 ढ** के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीडन है :–

1. शारीरिक सम्पर्क और फायदा उठाना।
2. लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना।
3. लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना।
4. अश्लील साहित्य दिखाना।
5. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक या शाब्दिक या गैर शाब्दिक कार्य करना।

इस अधिनियम की **धारा 3** के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीडन के आशय से निम्नांकित परिस्थितियों को भी शामिल किया गया है :–

1. उस महिला के रोजगार में विशेष व्यवहार के लिए अर्न्तनिहित या स्पष्ट वादा करना।
2. उस महिला के रोजगार में हानिकारक व्यवहार के लिए धमकी देना।
3. उस महिला के वर्तमान या भविष्य के रोजगार के लिए धमकी देना।
4. उस महिला के कार्य में हस्तक्षेप करना और उसके लिए भयभीत और शत्रुतापूर्ण वातावरण स्थापित करना।
5. उस महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार करना जो उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए हानिकारक है।

अधिनियम के अन्तर्गत कार्यस्थल–धारा 2

–ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्था, कार्यालय, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित या नियन्त्रणाधीन हो।

–किसी प्राइवेट सेक्टर का उपक्रम, संस्थान या संगठन या कार्यालय आदि।

अधिनियम के अन्तर्गत आन्तरिक समिति–धारा 4

इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यस्थल के लिए नियोजक एक आन्तरिक परिवाद समिति गठित करेगा जिसमें –

1. अध्यक्ष उस संगठन में काम करने वाली वरिष्ठ महिला अधिकारी होगी। यदि ऐसी कोई महिला अधिकारी नहीं है तो नियोजक कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नाम निर्दिष्ट करेगा।
2. वहां उपलब्ध कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव हो या विधिक ज्ञान हो।
3. गैर सरकारी संगठनों से एक सदस्य जो ऐसी ही योग्यता रखता हो।

– समिति के कुल सदस्यों की आधी सदस्य महिला होंगी।

– सभी की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाएगी।

अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय समिति

– इस अधिनियम की **धारा 5** के अन्तर्गत सरकार किसी जिला मजिस्टेट या अपर जिला कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

– **धारा 6** के अन्तर्गत जिला अधिकारी ऐसे संगठनों के लिए जहां 10 से कम कर्मचारी है स्थानीय समिति का गठन करेंगें। यह समिति असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों के लिए भी होगी।

अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत

–इस अधिनियम के तहत कोई व्यथित महिला या उसका विधिक उत्तराधिकारी लैंगिक उत्पीडन की शिकायत घटना के 90 दिनों के अन्दर आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति को कर सकती है।

–समिति जांच प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दोनो पक्षों में समझौता हो जाता है जो व्यथित महिला के आवेदन पर कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

अधिनियम के अन्तर्गत जांच

–आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति लिखित परिवाद प्राप्त होने पर मामले की जांच करेगी।

–जांच के क्रम मे उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी।

–जांच में आरोप साबित होने पर समिति नियोजक को प्रत्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की सिफारिश करेगी।

–समिति व्यथित महिला को प्रत्यर्थी के वेतन में से क्षतिपूर्ति या प्रतिकर देने के आदेश भी दे सकती है।

–नियोजक समिति के सिफारिशों पर 60 दिन में कार्यवाही करने के लिए बाध्य है।

–यदि किसी मामले में आरोप झूठे पाये जाते है तो उस महिला के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है।

–प्रत्यर्थी समिति के फैसले के विरुद्ध 90 दिन में न्यायालय में अपील कर सकता है।

–जांच के लंबित रहने के दौरान समिति नियोजक को परिस्थितियों के अनुसार निम्न सिफारिश कर सकती है :–

1. व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण।
2. व्यथित महिला को तीन मास तक का अवकाश।
3. व्यथित महिला को अन्य कोई राहत जो आवश्यक समझी जाए।

अधिनियम के अन्तर्गत नियोजक के कर्तव्य

धारा 19 के अन्तर्गत नियोजक के कर्तव्य निर्धारित किए गए है :–

1. कार्यस्थल पर सुरक्षित वातारवण उपलब्ध कराना।
2. इस अधिनियम के अन्तर्गत आंतरिक समिति का गठन करना तथा सभी को इस बाबत अवगत कराना।
3. यदि महिला घटना के संबंध में अन्य कोई कानूनी कार्यवाही चाहती है तो उसकी मदद करना।
4 अपराध कर्ता के विरुद्ध, जहां अपराधकर्ता कर्मचारी नहीं है, आवश्यक कानूनी कार्यवाही संस्थित करवाना।
5. आन्तरिक समिति की सिफारिशों को लागू करना।

भाग 2 बच्चों संबंधी विधियां –

बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 (संशोधन 2016) अधिनियम

–भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में या अन्य किसी परिसंकटमय स्थिति में नियोजन का प्रतिषेध करता है।

–जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है वह बालक है तथा नये संशोधनों के अनुसार 14 से 18 वर्ष की आयु का किशोरवय है।

–ऐसा प्रत्येक कार्य जो बालकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता हो वह खतरनाक कार्य है। इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में 18 प्रकार के कार्यों को खतरनाक कार्यों की श्रेणी में रखा गया है। सरकार ऐसे कार्यों की सूची में संशोधन कर सकती है।

–केन्द्रीय सरकार द्वारा दस सदस्यीय बाल श्रम तकनीकी सलाह समिति का गठन किया गया है जो बाल श्रम से संबंधित मामलों की मॉनिटरिंग का कार्य करती है।

- धारा 2 :– परिभाषाऐं –
    1. कुमार – कुमार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो परन्तु 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।
    2. बालक :– बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।

धारा 3 के अनुसार

- कोई भी नियोक्ता किसी भी बालक को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित नहीं करेगा।
- किन्तु कोई परिवार खतरनाक कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में बालक को मदद के उद्देश्य से लगा सकता है किन्तु उसकी पढाई बाधित नहीं होनी चाहिए।
- किसी बालक को सर्कस के अतिरिक्त किसी फिल्म या एडवरटाइजिंग या टीवी सीरियल में कार्य पर लगाया जा सकता है, किन्तु उसकी पढाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
- **धारा 3ए** के अनुसार किसी किशोरवय को किसी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा

बालकों का नियोजन

- **धारा 7** :– कार्य करने के घण्टे व अवधि –
- किसी भी बालक को या किशोरवय को एक दिन में छह घण्टे से ज्यादा कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।
- प्रत्येक 3 घण्टे बाद एक घण्टे का विश्राम दिया जाएगा।
- सांय 7 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच कार्य नहीं करवाया जाएगा।
- ओवर टाईम नहीं करवाया जाएगा।
- एक दिन में एक स्थान से अधिक स्थानों पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

- **धारा 8** :– साप्ताहिक अवकाश –
- किसी भी बालक को या किशोरवय को नियोजित किए जाने पर एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा।

किशोरवय के नियोजन हेतु नियोक्ता के कर्तव्य

- श्रम निरीक्षक को इस आशय की सूचना दी जाएगी।
- सूचना में जहां कार्य करवाया जा रहा उस जगह का नाम व पता उल्लिखित किया जाएगा।
- उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पता उल्लिखित किया जाएगा।
- कार्य की प्रकृति के बारे में उल्लेख किया जाएगा।
- ऐसे कार्यों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा।

किशोरवय के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मानदण्ड

- धारा 13 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत किशोरवय को कार्य पर लगाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोक्ताओं को उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाते है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार जब किसी किशोरवय को किसी कार्य में लगाया जाता हे तो नियोक्ता उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित कार्य करेगा :–

- कार्यस्थल की साफ सफाई की व्यवस्था
- कचरे का निस्तारण
- हवा एवं तापमान का संतुलन
- धूल एवं धुंआ
- प्रकाश व्यवस्था
- स्वच्छ पेयजल
- स्वच्छ शौचालय
- पीकदान या थूकदान
- मशीनों से सुरक्षा
- खतरनाक मशीनों से किशोरवय को दूर रखना
- आग लगने की स्थिति में सुरक्षा उपकरण
- भवन की मरम्मत
- मशीनों के संचालन के संबंध में समुचित प्रशिक्षण
- आंखों की सुरक्षा के उपाय
- मशीनों का समुचित रखरखाव
- अत्यधिक वजन से सुरक्षा
- आवश्यकतानुसार विधुत विच्छेद की व्यवस्था आदि।

धारा 14 :– शास्तियां

1. जो कोई धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी बालक को नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञेय करता है वह छह मास से दो वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना जो बीस हजार रूपये से पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनो से दण्डित किया जाएगा।
2. जो कोई धारा 3ए के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी कुमार को खतरनाक कार्यों में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञेय करता है वह छह मास से दो वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना जो बीस हजार रूपये से पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनो से दण्डित किया जाएगा।

धारा 14ए :– अपराधों का संज्ञेय होना – इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी नियोजक द्वारा किया गया कोई अपराध संज्ञेय होगा।

भाग 3 मेडिकल संबंधी अपराध विधियॉ

राजस्थान मेडिकेयर सेवा व्यक्ति और मेडिकेयर सेवा संस्था(सम्पति को हिंसा और नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2008

धारा 2. परिभाषाएं

(1) ''मेडीकेयर सेवा संस्था'' से लोगों को मेडीकेयर प्रदान करने वाली सभी संस्थाएं अभिप्रेत है, जो कि केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय इत्यादि के नियंत्रण के अधीन हैं, जिनमें बीमार के उपचार के लिए सुविधाएं रखने वाला कोई भी प्राईवेट अस्पताल शामिल होता है और जिसे उनके स्वागत व रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता हों कोई भी प्राईवेट प्रसूति गृह शामिल होता है. जहां महिलाओं को सामान्यतः शिशु के जन्म या उससे जुड़े किसी अन्य किसी कार्य के संबंध में एन्टी–नेटल और पोस्ट–नेटल देखरेख और परिरोधित करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त किया जाता है और रखा जाता है, और किसी बीमारी, उपहति या अक्षमता, चाहे शारीरिक हों या मानसिक, से पीडित व्यक्तियों की प्राप्ति व रखने के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किया जाने हेतु आशयित कोई प्राईवेट नर्सिंग होम भी शामिल होता है, और उपचार या नर्सिंग या दोनों प्रदान करता हों और इसमें प्रसूति गृह या स्वास्थ्य प्राप्ति गृह. इत्यादि भी शामिल होता है।

(2) मेडीकेयर सेवा संस्थाओं के संबंध में ''मेडीकेयर सेवा व्यक्ति'' में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) मेडीकेयर संस्थाओं में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (जिसमें प्रावधायिक पंजीकरण रखने वाले भी शामिल होते हैं),

(ख) पंजीकृत नर्सेज,

(ग) चिकित्सा विद्यार्थी,

(घ) नर्सिंग विद्यार्थी, और

(ड) मेडीकेयर सेवा संस्थाओं में नियोजित और कार्यरत पेरा मेडिकल व अन्य सहायक कर्मकार।

(3) अपराधी'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो या तो स्वयं द्वारा या व्यक्तियों के समूह या संगठन के सदस्य के रूप में या लीडर के रूप में इस अधिनियम के अधीन हिंसा के कार्य को कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है या कारित करने को दुष्प्रेरित करता है या कारित करने को उकसाता है।

(4) ''हिंसा'' से मेडीकेयर सेवा संस्था में ड्यूटी करने में किसी मेडीकेयर सेवा व्यक्ति को या मरीज को कोई हानि, उपहति या जीवन को खतरा या अभित्रास, बाधा या अडचन कारित करने या मेडीकेयर सेवा संस्था में सम्पत्ति को नुकसान कारित करने की गतिविधियां अभिप्रेत है।

धारा 3. हिंसा का प्रतिषेध–मेडीकल सेवा व्यक्ति के विरूद्ध हिंसा का कोई भी कार्य या मेडीकेयर सेवा संस्थाओं में सम्पत्ति को नुकसान एतद्द्वारा प्रतिषेधित किया जाता है।

धारा 4. शास्ति– कोई भी अपराधी, जो धारा 3 के उल्लघन में कोई कार्य कारित करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए कारावास से और जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये तक हो सकेगा. दण्डित किया जायेगा।

धारा 5. अपराध का संज्ञान– धारा 3 के अधीन कारित कोई भी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

धारा 6. सम्पत्ति को कारित नुकसान के लिए हानि की वसूली. (1) धारा 4 में विनिर्दिष्ट दण्ड के अतिरिक्त अपराधी का विचारण कर रहे न्यायालय द्वारा निर्धारित के अनुसार सम्पत्ति को कारित हानि और नुकसानग्रस्त मेडिकल उपकरणों के क्रय मूल्य की राशि के दुगुने की शास्ति के लिए अपराधी दोषी होगा।

(2) यदि अपराधी ने उप–धारा (1) के अधीन शास्ति राशि का भुगतान नहीं किया हों, तो उक्त राशि भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के प्रावधानों के अधीन ऐसे वसूल की जायेगी मानो यदि यह उससे देय भू–राजस्व का बकाया था।

मेन्टल हेल्थ एक्ट–2016

(1)"मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता, शराब के दुरुपयोग से जुड़ी मानसिक स्थितियों को बुरी तरह से प्रभावित करता है और ड्रग्स, लेकिन इसमें मानसिक मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के गिरफ्तार या अपूर्ण विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की उप सामान्यता द्वारा विशेषता;

धारा 29. मानसिक स्वास्थ्य और निवारक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना–

(1) समुचित सरकार का कर्तव्य होगा कि वह देश में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और मानसिक बीमारी की रोकथाम के लिए कार्यक्रमों की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन करे।

(2) उप–धारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना ,समुचित सरकार, विशेष रूप से, देश में आत्महत्याओं और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन करेगी।

धारा–30 मानसिक स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करना और मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को कम करना–

समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि,–

(ए) इस अधिनियम के प्रावधानों को नियमित अंतराल पर टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया सहित सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाता है

(बी) मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने के कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से योजनाबद्ध, डिजाइन, वित्त पोषित और कार्यान्वित किया जाता है;

(सी) इस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों और समुचित सरकार के अन्य अधिकारियों सहित उपयुक्त सरकारी अधिकारियों को मुद्दों पर समय–समय पर संवेदीकरण और जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाता है।

धारा–31 समुचित सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण आदि के संबंध में उपाय करना–

(1) समुचित सरकार उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना, विकास और कार्यान्वयन करके देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपाय करेगी, ताकि मानव संसाधनों में वृद्धि हो सके। मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों के कौशल में सुधार करना।

(2) समुचित सरकार, कम से कम, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में सभी चिकित्सा अधिकारियों और जेलों में सभी चिकित्सा अधिकारियों को बुनियादी और आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करेगी।

(3) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से दस वर्षों के भीतर जनसंख्या के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत दिशानिर्देशों को पूरा करने का प्रयास करेगी।

धारा– 32 समुचित सरकार के भीतर समन्वय– समुचित सरकार संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, कानून, गृह मामलों, मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षा, महिला और बाल विकास, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी।

धारा–100 मानसिक रोगी व्यक्तियों के संबंध में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य–

(1) पुलिस थाने के प्रभारी प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य होगा–

(ए) पुलिस थाने की सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर घूमते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को संरक्षण में लेने के लिए, जिसके मानसिक बीमारी है और खुद की देखभाल करने में असमर्थ है; या

(बी) पुलिस थाने की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को संरक्षण में लेने के लिए, जिसको मानसिक बीमारी के कारण खुद को या दूसरों के लिए जोखिम होने का कारण है।

(2) किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसे उपधारा (1) के अधीन संरक्षण में लिया गया है, उसे ऐसी सुरक्षा में लेने के आधार का उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को सूचित करेगा, यदि अधिकारी की राय में ऐसे व्यक्ति को उन आधारों को समझने में कठिनाई होती है।

(3) उप–धारा (1) के तहत संरक्षण में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को जल्द से जल्द 24 घण्टे की अवधि में निकटतम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में ले जाया जाएगा

(4) उप–धारा (1) के तहत संरक्षण में लिए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में पुलिस लॉक अप या जेल में बंद नहीं किया जाएगा।

(5) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व्यक्ति के मूल्यांकन की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे और मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति की जरूरतों को इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाएगा।

(6) सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को यदि व्यक्ति के मूल्यांकन पर पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में प्रवेश की आवश्यकता वाली प्रकृति या डिग्री की मानसिक बीमारी नहीं है, तो वह अपने आकलन की सूचना उस पुलिस अधिकारी को देगा जिसने उस व्यक्ति को संरक्षण में लिया था और पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के आवास पर या बेघर व्यक्तियों के मामले में, बेघर व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठान में ले जाएगा।

(7) मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो बेघर है या समुदाय में भटकता हुआ पाया जाता है, उसके गुमशुदगी की प्राथमिकी संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराई जाएगी और थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि वह परिवार का पता लगाए। ऐसे व्यक्ति की और परिवार को व्यक्ति के ठिकाने के बारे में सूचित करें।

धारा–100 मानसिक रोगी व्यक्तियों के संबंध में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य–

(1) पुलिस थाने के प्रभारी प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य होगा–

(ए) पुलिस थाने की सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर घूमते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को संरक्षण में लेने के लिए, जिस पर अधिकारी के पास मानसिक बीमारी है और खुद की देखभाल करने में असमर्थ है; या

(बी) पुलिस थाने की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को संरक्षण में लेने के लिए, जिसे अधिकारी के पास मानसिक बीमारी के कारण खुद को या दूसरों के लिए जोखिम होने का कारण है।

(2) किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसे उपधारा (1) के अधीन संरक्षण में लिया गया है, उसे ऐसी सुरक्षा में लेने के आधार या उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को सूचित करेगा, यदि अधिकारी की राय में ऐसे व्यक्ति को उन आधारों को समझने में कठिनाई होती है।

(3) उप–धारा (1) के तहत संरक्षण में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को जल्द से जल्द निकटतम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में ले जाया जाएगा, लेकिन व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सुरक्षा में लिए जाने के समय से चौबीस घंटे के बाद नहीं। स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है।

(4) उप–धारा (1) के तहत संरक्षण में लिए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में पुलिस लॉक अप या जेल में बंद नहीं किया जाएगा।

(5) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व्यक्ति के मूल्यांकन की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे और मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति की जरूरतों को इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाएगा।

(6) सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, यदि व्यक्ति के मूल्यांकन पर पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में प्रवेश की आवश्यकता वाली प्रकृति या डिग्री की मानसिक बीमारी नहीं है, तो वह करेगा अपने आकलन की सूचना उस पुलिस अधिकारी को दें जिसने उस व्यक्ति को संरक्षण में लिया था और पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के आवास पर या बेघर व्यक्तियों के मामले में, बेघर व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठान में ले जाएगा।

(7) मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो बेघर है या समुदाय में भटकता हुआ पाया जाता है, उसके गुमशुदगी की प्राथमिकी संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराई जाएगी और थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि वह परिवार का पता लगाए। ऐसे व्यक्ति की और परिवार को व्यक्ति के ठिकाने के बारे में सूचित करें।

धारा–101 निजी आवास में मानसिक रोगी व्यक्ति की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दें, जिसके साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा की जाती है–

(1) पुलिस थाने का प्रत्येक प्रभारी अधिकारी, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि पुलिस थाने की सीमा के भीतर रहने वाला कोई व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त है और उसके साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा की जा रही है, वह इस तथ्य की रिपोर्ट तत्काल उस मजिस्ट्रेट को करेगा जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति रहता है।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी है और ऐसे व्यक्ति की देखभाल की जिम्मेदारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा की जा रही है, वह इस तथ्य की रिपोर्ट पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी को करेगा। जिसके अधिकार क्षेत्र में मानसिक रोगी व्यक्ति रहता है।

(3) यदि मजिस्ट्रेट के पास किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा विश्वास करने का कारण है, कि उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर मानसिक बीमारी वाले किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा की जा रही है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को मानसिक रूप से

पीड़ित घोषित और आदेश कर सकता हैं कि मानसिक रोगी को उसके समक्ष पेश किया जाये एवं वह धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित का सकेगा।

धारा–102 मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश से मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में ले जाना या भर्ती करना–(1) जब कोई मानसिक रोग से ग्रसित या मानसिक रोग से ग्रस्त कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट लिखित में आदेश दे सकता है–

(ए) यदि आवश्यक हो तो व्यक्ति को मूल्यांकन और उपचार के लिए एक सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में ले जाये और मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्ति से निपटेगा; या

(बी) मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के प्रवेश को दस दिनों से अधिक की अवधि के लिए अधिकृत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम करने के लिए और आवश्यक उपचार की योजना बनाना, यदि कोई हो।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट मूल्यांकन की अवधि के पूरा होने पर , मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और व्यक्ति के साथ इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा ।

धारा–103 मानसिक रोग से ग्रस्त कैदी – (1) कैदी अधिनियम, 1900 (1900 का 3) की धारा 30 या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 144 के तहत या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 145 के तहत या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 143 या धारा 144 के तहत, या आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 330 या धारा 335 के तहत उपयुक्त मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में मानसिक रूप से कैदी के प्रवेश का निर्देश देना उचित होगा जिसमें ऐसे व्यक्ति को देखभाल और उपचार के लिए कानूनी रूप से स्थानांतरित किया जा सकता हैः

बशर्ते कि मानसिक बीमारी से ग्रस्त कैदी का जेल के मेडिकल विंग के मनोरोग वार्ड में स्थानांतरण इस धारा के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगाः

परन्तु यह और कि जहां चिकित्सा स्कंध में मनोचिकित्सीय वार्ड के लिए कोई प्रावधान नहीं है, वहां बोर्ड की पूर्व अनुमति से कैदी को मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(2) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इस धारा के तहत एक कैदी का स्थानांतरण किया जाना है, वह होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(3) जेल या जेल का चिकित्सा अधिकारी संबंधित बोर्ड को एक त्रैमासिक रिपोर्ट भेजकर प्रमाणित करेगा कि जेल या जेल में कोई मानसिक रोगी कैदी नहीं है।

(4) बोर्ड जेल या जेल का दौरा कर सकता है और चिकित्सा अधिकारी से पूछ सकता है कि मानसिक बीमारी से ग्रस्त कैदी, यदि कोई हो, को जेल या जेल में रखा गया है और इलाज के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

(5) मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जिसमें उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, हर छह महीने में एक बार ऐसे व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में एक विशेष रिपोर्ट देगा।

(6) समुचित सरकार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक जेल के मेडिकल विंग में मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान स्थापित करेगी और मानसिक बीमारी वाले कैदियों को आमतौर पर उक्त मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में भेजा जा सकता है और उनकी देखभाल की जा सकती है।

(7) उप–धारा (5) के तहत स्थापित मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान इस अधिनियम के तहत केंद्रीय या राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, के साथ पंजीकृत किया जाएगा, और ऐसे मानकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप होगा जैसा कि निर्धारित किया जाये।

धारा–104– हिरासत संस्थानों में व्यक्ति (1) यदि राज्य द्वारा संचालित हिरासत संस्था (भिखारियों के घरों, अनाथालयों, महिला सुरक्षा गृहों और बाल गृहों सहित) के प्रभारी व्यक्ति को यह प्रतीत होता है कि संस्था के किसी भी निवासी को मानसिक बीमारी है, या होने की संभावना है, फिर, वह संस्था के ऐसे निवासी को उचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्त पोषित निकटतम मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में मूल्यांकन और उपचार के लिए, आवश्यकतानुसार ले जाएगा।

(2) मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित उपचार का निर्णय इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

धारा–105– न्यायिक प्रक्रिया में मानसिक बीमारी का प्रश्न– किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, मानसिक बीमारी का सबूत पेश किया जाता है और दूसरे पक्ष द्वारा चुनौती दी जाती है, तो अदालत उसे संबंधित बोर्ड को आगे की जांच के लिए संदर्भित करेगी और बोर्ड, कथित व्यक्ति की जांच के बाद एक मानसिक बीमारी रिपोर्ट या तो स्वयं या विशेषज्ञों की एक समिति के माध्यम से अपनी राय अदालत में प्रस्तुत करें।

धारा 115- आत्महत्या के प्रयास के मामले में गंभीर तनाव की उपधारणा

(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 309 में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो, गंभीर तनाव माना जाएगा और उस पर उक्त संहिता के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।

(2)–उपयुक्त सरकार का कर्तव्य होगा कि वह गंभीर तनाव से ग्रस्त और आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के प्रयास की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने के लिए देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करे।

भाग 4 :– साधारण विधियों के बारे में

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

धारा 12 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्न प्रकार हैं–

- स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना।
- किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना।
- मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या अन्य विधियों/कानूनों की व्याख्या करना तथा प्रभावी कियान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- राज्य सरकार के अधीन किसी कारगार या अन्य संस्था के रखे गये व्यक्ति को यातना से संरक्षण दिलाने हेतु उसका निरीक्षण करना।
- मानव अधिकार में बाधक होने वाले कार्यों विशेषकर आतंकवाद संबंधी कार्य का पुनः अवलोकन करना।
- मानव अधिकारों से संबंधित किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि या प्रसंविदाओं का अध्ययन करना।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा या सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।

धारा 13 मानवाधिकार संरक्षण आयोग की जांच से संबंधित शक्तियां

- शिकायतों की जांच करना, सिविल न्यायालय की शक्तियों के अन्तर्गत साक्षियों को बुलाना व उनकी परीक्षा करना
- किसी भी दस्तावेज को खोजना व प्रस्तुत करना।
- शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति प्राप्त करना।
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।
- किसी शिकायत की जांच के लिए किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना।
- जांच के क्रम में किसी स्थान की तलाशी करना।
- आयोग की जांच की शक्तियां सिविल न्यायालय की होगी।

धारा 14 :– आयोग द्वारा अनुसंधान

- आयोग किसी मामले की जांच के लिए किसी अधिकारी या अनुसंधान ऐजेन्सी का उपयोग भारत सरकार या राज्य सरकार की सहमति से कर सकेगा।
- ऐसा अधिकारी या ऐजेन्सी आयोग के अधीन कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को सम्मन करना, साक्षी की परीक्षा करना, दस्तावेज की खोज करना व प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना तथा किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति के लिए अभियाचना कर सकेगा।
- ऐसा अधिकारी या ऐजेन्सी अनुसंधान के पश्चात अपना प्रतिवेदन आयोग को निश्चित समयावधि में प्रस्तुत करेगा।
- आयोग उसे प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर प्राप्त मामले की सत्यता के बारे में अपना समाधान करेगा।

धारा 18 :– शिकायतों की जांच के बाद आयोग द्वारा उठाये जाने वाले कदम

- आयोग शिकायत की जांच के बाद यदि मानव अधिकारों के उल्लंघन करने या किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के निवारण में उपेक्षा प्रकट करना पाता है तो वह परिवादी को प्रतिकर या क्षतिपूर्ति करने, ऐसे व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्व अन्य कोई कार्यवाही करने या अन्य कोई कार्यवाही के लिए सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश करेगा।
- उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में ऐसे निर्देश, आदेश या रिटों के लिए जाएगा जो वह आवश्यक समझेगा।
- जांच के प्रक्रम में पीडित या उसके परिवार के किसी सदस्य को आवश्यक तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश करेगा।
- जांच प्रतिवेदन की प्रति याची या उसके प्रतिनिधि को देगा।

धारा 2– परिभाषाएं.– इस अधिनियम में.–

(क) " परीक्षा केन्द्र" से सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत कोई स्थान अभिप्रेत है और इसमें उससे संलग्न सम्पूर्ण परिसर शामिल है)

(ख) "सार्वजनिक परीक्षा" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट परीक्षा में से कोई परीक्षा अभिप्रेत है)

(ग) **"अनुचित साधनों"** सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते सम्यक परीक्षा के संबंध में **"अनुचित साधनों"** से किसी व्यक्ति से या किसी लिखित अभिलेखित या किसी अन्य रूप में मुद्रित सामग्री से अनाधिकृत सहायता अभिप्रेत है या किसी अनाधिकृत टेलीफोनिक वायरलेस या इलैक्ट्रॉनिक या अन्य उपकरण या गैजेट का प्रयोग अभिप्रेत है और

(घ) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किये गयें शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ भारतीय दंण्ड संहिता (1860 का संख्यांक 45) में परिभाषित के अनुसार उपयोंग किया जायेगा,उस संहिता में उन्हें क्रमशः प्रदान अर्थ होगा।

धारा 3. अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रतिषेध.– कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

धारा 4. प्रश्न पत्र का अनाधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण.– कोई भी व्यक्ति, जो ऐसा करने के लिए अपने कर्त्तव्यों के प्रभाव द्वारा विधिपूर्वक प्राधिकृत या अनुज्ञात नहीं है, सार्वजनिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पहले–

(क) ऐसे प्रश्न पत्र या किसी भाग या उसकी प्रति प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा या प्रक्रिया नहीं करेगा; या

(ख) सूचना प्रदान नहीं करेगा या प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं करेगा, जिसे वह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे प्रश्न–पत्र से सम्बन्धित है या उससे व्युत्पन्न की गयी है।

धारा 5. परीक्षा कार्य सौंपे व्यक्ति द्वारा लीकेज का निवारण– कोई भी व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा गया, सिवाय जहां उसे ऐसा करने के लिए उसके कर्त्तव्यों के प्रभाव द्वारा अनुज्ञात किया जाये, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी सूचना या उसके भाग का किसी अन्य व्यक्ति को भेद नहीं खोलेगा या नहीं खुलवायेगा या ज्ञात नहीं करेगा, जो उसे सौंपें कार्य करने के प्रभाव द्वारा उसकी जानकारी में आयी।

धारा 6. शास्ति. – जो कोई भी निम्न के प्रावधान का उल्लंघन करता है या उल्लंघन का प्रयास करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है, –

(i) धारा 3 का उल्लघंन करता हैं तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा; और

(ii) धारा 4 या धारा 5 का उल्लघंन करता हैं तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्षों से कम नहीं होगी, लेकिन जो सात वर्षों तक हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

धारा 6क–प्रश्न पत्रों की चोरी,उद्दपन या लूट कारित करने के लिये दण्ड– जो कोई भी किसी लोक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चोरी,उद्दपन या लूट ऐसे प्रश्न पत्र के समाप्त होने से पहले किसी भी समय कारित करता हैं, भारतीय दण्ड संहिता 1860(1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.45) में किसी भी बात के प्रतिकूल अन्तर्विष्ट होते हुये भी, ऐसी अवधि, जो पांच वर्षो से कम नही होगी, लेकिन जो सात वर्षो तक हो सकेगी, के कारावास से और जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रूपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो एक लाख रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 7. चोट कारित करने के तैयारी से अपराध के लिए शास्ति– जो कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या किसी व्यक्ति को चोट करने या किसी व्यक्ति पर हमला कारित करने के या किसी व्यक्ति को गलत प्रतिबंधित करने के लिये या किसी व्यक्ति को मृत्यु या चोट या हमले या गलत प्रतिबंध के डर में डालने के लिये तैयारी करते हुए,धारा 6 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करता हैं, तो उसे कारावास से दण्डित किया जायेगा,जिसकी अवधि तीन वर्षो तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा, जो पांच हजार रूपये तक हो सकेगा।

धारा 8. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति– राज्य सरकार राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची में शामिल कर सकेगी, जिसके सम्बन्ध में यह इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना आवश्यक विचारित करे और राज–पत्र में प्रकाशन पर , अनुसूची तदनुसार संशोधित की गयी मानी जायेगी।

अनुसूची

(धारा–2)

1.राजस्थान सैकेण्डरी परीक्षा अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 42) के अधीन राजस्थान के लिये सैकेण्डरी परीक्षा बोर्ड द्वारा करायी गई कोई परीक्षा।

2.भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई परीक्षा।

3.राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा करायी गई कोई परीक्षा।

4. राज्य में किसी स्वायत कॉलेज द्वारा करायी गयी कोई परीक्षा।

5.रेल्वे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा करायी गयी कोई परीक्षा।

6.राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा करायी गयी कोई परीक्षा।

राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949

❖ **धारा 3 किसी जुआ व घर का मालिक होने अथवा उसको चलाने के लिए दण्ड** —जहॉ पर यह अध्यादेश लागु होता है उन सीमाओं के अन्दर किसी घर, कमरे, तम्बु, आहाता, जगह, वाहन, जलयान या किसी स्थान पर कोई भी मालिक या अधिभोगी अथवा उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति ऐसे स्थान को सामान्य जुआघर के रूप में खोलता है रखता है या उपयोग मे लेता है तथा ऐसे स्थानों का कोई भी स्वामी या अधिभोगी जानबूझकर पूर्वोक्त प्रकार से सामान्य जुआ घर के रूप मे खोलने रखने या उपयोग करने की अनुमति देता है और जो कोई भी ऐसे स्थानों का प्रबन्ध करता है या उनके कारोबार का सचांलन करता है और उपरोक्त उद्देश्यों के लिये खुला रखता है या उपयोग करता है और जो कोई भी ऐसे स्थानों मे बार बार आने वाले को जुऐ का अग्रिम धन देता है वह व्यक्ति निम्न प्रकार दण्डित किया जायेगा ।

(क) प्रथम अपराध के लिए 6 मास तक के कारावास या 500 रूपये तक के जुर्माने या दोनों से

(ख) पुनः अपराध के लिये 1 साल तक के कारावास या 1000 रूपये तक के जुर्माने सहित या रहित किन्तु न्यायालय के निर्णय में वर्णित विशेष कारणों के अभाव में 1 महिने से कम अवधि का कारावास नहीं होगा ।

(ग) तीसरी बार या पश्चातवर्ती अपराध के लिये ऐसे कारावास जो 1 साल तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 2000 रूपये तक का हो सकेगा परन्तु न्यायालय द्वारा निर्णय में विशेष कारणों का उल्लेख के बिना 6 महिने से कम अवधि का कारावास नहीं होगा ।

❖ **धारा 4 जुआ घर में पाये जाने पर दण्ड** — जो कोई किसी जुआ घर में ताश, पाशे, धन अथवा द्यूत के अन्य उपकरणों से खेलता हुआ पाया जाये या द्यूत के प्रयोजन के लिये दण्ड बाजी या दांव अन्यथा खेलने के लिये वहां उपस्थित पाया जाये तो 500 रूपये से कम न होने वाले जुर्माने अथवा 6 माह के कारावास की अवधि से दण्डित होगा । किसी सामान्य जुआ घर में द्यूत के दौरान पाये जाने वाले व्यक्ति के बारे में द्यूत प्रयोजन के लिये वहां उपस्थित होने की उपधारणा की जायेगी जब तक की वह अन्य प्रकार से साबित न कर दे ।

❖ **धारा 5 . सामान्य जुआ घर में पुलिस के प्रवेश करने के लिये वह तलाशी लेने के लिये प्राधिकृत करने की शक्ति**— यदि जिला मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक को विश्वनीय सूचना मिलती है कि कोई घर, कमरा, तम्बू, अहाता, वाहन, जलयान या स्थान सामान्य जुआ घर के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है तो वह स्वयं प्रवेश कर कर सकेगा या वाहन द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को आवश्यक सहायता सहित दिन या रात में तथा आवश्यक होने पर बलपूर्वक ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो वहां पायें जाये स्वयं परिरूद्व कर सकेगा या ऐसे अधिकारी को परिरूद्व करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा तथा वहां

पाये जाने वाले समस्त उपकरणों, जिनके बारे में सदेंह हो उनका जुआ खेलने के लिये उपयोग किया जा रहा है ् जब्त कर सकेगा या ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा तथा ऐसे स्थान तथा अभिरक्षा में लिये गये व्यक्तियों की द्यूत के उपकरण छुपाये जाने की आशंका होने पर तलाशी ले सकेगा अथवा ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

❖ **धारा 13 . सार्वजनिक मार्गो पर जुआ खेलने तथा पक्षियों और जीव जन्तुओं को लडानें के लिये दण्ड –** पुलिस अधिकारी किसी सार्वजनिक मार्ग स्थान या आम रास्ते में जुआ खेलते हुये पाये गये किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक मार्ग स्थान या आम रास्ते में किन्ही पक्षियों या जीव जन्तुओं की लडाई की व्यवस्था करने वाले किसी व्यक्ति या पक्षियों तथा जीव जन्तुओं को सार्वजनिक रूप से की जाने वाली लडाई में सहायता करने तथा उत्प्रेरणा करने वाले किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा ।

जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाये उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जायेगा और वह 100 रूपये तक जुर्माने या 1 माह तक के सादा या कठिन कारावास से दण्डनीय होगा और ऐसा पुलिस अधिकारी धूत के समस्त उपकरणों को अभिग्रहण कर सकेगा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सजा के उपरान्त आदेश देने पर नष्ट करेगा।

राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006

धारा 2 – परिभाषाएं –

ख–शराब का चोर बाजारिया– जो आभ्यासिक रूप से राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के उपबन्धों का उल्लंघन करता हो।

ग–खतरनाक व्यक्ति– से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आभ्यासिक रूप से या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता 1860 अध्याय 16 (मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध) अध्याय 17(सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध) के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध या आयुध अधिनियम 1959 के अध्याय 5 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत दण्डनीय कोई अपराध या सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासिक रूप से करता है या करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है।

च–औषधि अपराधी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो आभ्यासिक रूप से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अधीन अपराध करता है।

ज–अनैतिक व्यापार अपराधी– अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 का कोई अपराध नियमित रूप से करता है।

झ–सम्पत्ति हथियाने वाला– से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी जिला मुख्यालय की नगरीय सीमाओं के भीतर स्थित ऐसी किसी भी भूमि का कब्जा अवैध रूप से लेता है जो उसकी नहीं है किन्तु जो सरकार, स्थानीय प्राधिकरी या किसी अन्य व्यक्ति की है या जो ऐसी भूमि के संबंध में कोई अधिकार या संरचना निर्मित करता है।

धारा 3 कतिपय व्यक्तियों को निरूद्ध करने के आदेश देने की शक्ति –

1. राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के बारे में यह समाधान होने पर कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे निरूद्ध करना आवश्यक है तो यह निदेश देते हुए आदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को निरूद्ध कर लिया जाए।
2. यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में विद्यमान या संभाव्यतः विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को समाधान होने पर कि ऐसा किया जाना आवश्यक है जिला मजिस्ट्रेट भी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
3. इस धारा के अधीन कोई भी आदेश किसी अधिकारी द्वारा किया जाने पर उसकी रिपोर्ट उन आधारों के साथ जिन पर वह आदेश किया गया है तुरंत राज्य सरकार को करेगा और इस प्रकार किया गया कोई भी आदेश 12 दिन तक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाने पर प्रवृत्त नहीं रहेगा।

4. इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी रीति से कार्य करना तब समझा जाएगा जब ऐसा व्यक्ति चाहे किसी शराब के चोर बाजारिये के रूप में या खतरनाक व्यक्ति या या औषधि अपराधी या अनैतिक व्यापार अपराधी या सम्पत्ति हथियाने वाले के रूप में किन्ही ऐसे क्रिया कलापों में लगा हो या लगने की तैयारी कर रहा हो जिनसे लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो।

धारा 4 –निरोध आदेशों का निष्पादन राज्य में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकेगा।

धारा 8–फरार व्यक्तियों के संबंध में धारा 82,83,84 और 85 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

धारा 9– निरोध के आधारों का प्रकट किया जाना –जब किसी व्यक्ति को किसी निरोध आदेश के अनुसरण में निरूद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी तीन दिन के भीतर राज्य सरकार को अभ्यावेदन करने का अवसर देगा।

धारा 10 सलाहकार बोर्ड का गठन – राज्य सरकार इस अधिनियम में प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। ऐसे प्रत्येक बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे जो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रहे हो।

धारा 11 सलाहकार बोर्ड को निर्देश –ऐसे प्रत्येक मामले में जहां कोई निरोधादेश इस अधिनियम के तहत दिया जाएगा राज्य सरकार के आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर भीतर वे आधार जिन पर आदेश किया गया है और निरूद्ध व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अभ्यावेदन और जहां ऐसा आदेश किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया हो वहां पर धारा तीन की उपधारा 3 के तहत की गई रिपोर्ट भी धारा 10 के अधीन उसके द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखेगी।

धारा 12 सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया –

1. सलाहकार बोर्ड अपनी रिपोर्ट 50 दिन के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
2. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट में स्पष्ट राय होगी कि निरूद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं
3. जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो तो बहुमत की राय बोर्ड की राय मानी जाएगी
4. सलाहकार बोर्ड की कार्यवाहियां और उसकी रिपोर्ट उस भाग को छोडकर जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय अंकित की गई है गोपनीय होगी।

5. इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध निरोधादेश दिया गया है बोर्ड के निदेश से संसक्त किसी भी विषय में किसी विधि व्यवसायी के द्वारा उपस्थित होने का हकदार नहीं बनाएगी।

धारा 13 सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाही –

1. किसी ऐसे मामले में जिसमें सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट की है कि उसकी राय में व्यक्ति को निरोध का पर्याप्त हेतुक है राज्य सरकार निराध आदेश को पुष्ट कर सकेगी। धारा 14 द्वारा विहित की गई कालावधि से अनधिक इतनी कालावधि तक जारी रख सकेगी जितनी की वह उचित समझे।
2. किसी मामले में जिसमें सलाहकार बोर्ड ने यह स्पष्ट रिपोर्ट की है कि उसकी राय में संबंधित व्यक्ति के निरोध के पर्याप्त हेतुक नहीं है, तो राज्य सरकार निरोध आदेश को वापस ले लेगी और निरूद्ध व्यक्ति को तत्काल छुड़ाएगी।

धारा 14 निरोध की अधिकतम कालावधि– धारा 13 के अधीन पुष्ट होने पर निरोध दिनांक से एक वर्ष

धारा 17 सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही से संरक्षण।

राजपासा के अन्तर्गत इस्तगासा

<u>कार्यालय थानाधिकारी, थाना.....जिला .....</u>

क्रमांकः– दिनांकः–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला.....

विषयः– शख्स .....उर्फ.....पुत्र.....जाति.....

...उम्र.....निवासी.....के विरूद्ध **राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 (2008 का अधिनियम संख्यांक–1)** के तहत कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि शख्स .....उर्फ.....पुत्र.....

.....जाति.....उम्र.....निवासी..... प्रारम्भ से ही गम्भीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जिसके विरूद्ध वर्ष..... से .....तक हत्या, हत्या का प्रयास, गम्भीर चोट, लूट, डकैती की तैयारी, उद्दापन, अपहरण, धोखाधड़ी, सम्पति की क्षति, मारपीट, बल्वा, जमीनों पर अवैध कब्जा, अवैध हथियार रखने व इनका आपराधिक वारदातों में प्रयोग करने जैसे ..... आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त **<u>आभ्यासिक अपराधी</u>** की दिनांक .....को हिस्ट्रीशीट खोली जाकर सतत् निगरानी रखी गयी व समय–समय पर इंसदादी/कानूनी कार्यवाहियाँ भी की गई है लेकिन इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही कारगर साबित नहीं हुई है। इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढती गयी। .....आदि थाना क्षेत्रों में एक के बाद एक आपराधिक वारदातें कारित करने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में निवास करने वाले आमजन व समाज आतंकित व भयभीत है। उक्त शख्स आभ्यासिक रूप से विभिन्न थाना क्षेत्रों में गम्भीर अपराध स्वंय व गिरोह के रूप में कारित कर रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम हेतु अब तक किये गये सभी विधि सम्मत प्रयास विफल हो

चुके है। इस आभ्यासिक अपराधी के विरूद्ध प्रचलित कानूनों एवं सामान्य अधिनियमों के तहत समय–समय पर की गई कानूनी कार्यवाही पूर्णरूपेण प्रभावहीन रही है। यह शख्स प्रकरणों में पक्षकारों एवं गवाहों को डरा धमकाकर आतंकित व भयभीत कर, येन–केन प्रकारेन दबाव बनाकर व प्रभावित कर पक्षद्रोही/राजीनामा करवाकर सजा से बचने व जमानत कराने में सफल हो जाता है। उक्त शख्स का क्षेत्र, आमजन व समाज में भंयकर भय व खौफ व्याप्त होने के कारण थाने पर इसकी कोई सूचना नहीं देता और न ही कोई शिकायत करता। इसके विरूद्ध कोई बयान देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। शिकायतकर्ता व गवाहान को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। उक्त शख्स का कृत्य राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ग) ''खतरनाक व्यक्ति'' व धारा 2 (झ) ''सम्पति हथियाने वाला'' की परिभाषित श्रेणी में आता है। उक्त शख्स का आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार हैः–

1. दिनांक .....को श्री.....ने एक एफआईआर इस आशय की दर्ज कराई कि .....आदि पर एफआईआर नं.....दिनांक.....को थाना .....पर दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान मुलजिम .....के विरूद्ध चार्जशीट नम्बर .....दिनांक.....न्यायालय श्रीमान् .....में पेश की गई, जो विचाराधीन है। एफआईआर, चार्जशीट व न्यायालय की ऑर्डरशीट की छायाप्रति पेज संख्या..... ....से .....तक संलग्न है।

2. दिनांक .....को श्री.....ने एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि .....आदि पर परिवाद संख्या. .....दिनांक.....को थाना .....पर दर्ज कर जाँच की गई। बाद जाँच मुलजिम .....के विरूद्ध इस्तगासा .....दिनांक..... न्यायालय श्रीमान् .....में पेश किया गया, जो विचाराधीन है। परिवाद, इस्तगासा व न्यायालय की ऑर्डरशीट की छायाप्रति पेज संख्या.....से .....तक संलग्न है।
3. रोजनामचाआम में दर्ज आम सोहरत की रिपोर्ट का विवरण।
4. मुलजिम की खोली गई हिस्ट्रीशीट पत्रावली का विवरण एवं उसमें समय–समय पर दर्ज नोट का बिन्दुवार विवरण।

अतः शख्स .....उर्फ.....पुत्र.....जाति..... ....उम्र.....निवासी.....भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 को केन्द्रीय अधिनियम संख्याक–45) के अध्याय 16 व 17 तथा आयुध अधिनियम 1959 की अध्याय 5 में दण्डनीय अपराध कारित करने व करवाने में गिरोह के सरगना के रूप में संलिप्त रहा है। इसके गिरोह में ..... आदि सदस्य है। उक्त शख्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध वसूली, लूटपाट व जमीनों पर कब्जा करने जैसे गम्भीर प्रकृति के अपराध कारित करता है। उक्त शख्स के क्रियाकलापों से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से क्षेत्र, समाज व आम जनता में नुकसान, खतरा, संत्रास, असुरक्षा व भय की भावना उत्पन्न हो रही है। मानव जीवन, लोक स्वास्थ्य व संपत्ति को गम्भीर व व्यापक खतरा बना हुआ है। जिनसे लोक व्यवस्था व लोक शांति बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उक्त शख्स के स्वच्छंद रहने से आमजन व समाज को किसी भी हद तक हानि कारित हो सकती है तथा इसका स्वच्छंद विचरण करना समाज, लोक व्यवस्था, लोक शांति के विपरित है। इसकी बढती हुई आपराधिक

गतिविधियों पर रोक के सभी विधि सम्मत प्रयास विफल हो चुके है। अतः उक्त शख्स ....के विरूद्ध राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 (2008 का अधिनियम संख्याक–1) के तहत निवारण कार्यवाही की जाकर निरूद्ध किया जाना आवश्यक व वांछनीय है।

संलग्नः– उपरोक्त वर्णित आपराधिक रिकार्ड की छायाप्रतियां।

भवदीय

परिशिष्ट " A"

क्र. सं.	मु0नं0 मय दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस	थाना	चालान पेश दिनांक न्यायालय	निर्णय कोर्ट	पेज संख्या

इंसदादी कार्यवाही

क्र.सं.	नाम थाना	दिनांक	धारा	नतीजा न्यायालय	पेज सं.

मोड्यूल (बी) :– पर्यावरण संबंधी विधियां–

भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1897

धारा 3. परिभाषायें– इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई विरूद्व बात न हो–

(1) मत्स्य के अन्तर्गत जलीय कवच प्राणी भी हैं।

(2) स्थिर उपकरण से मत्स्य पकडने के लिये भूमि में स्थित या किसी अन्य प्रकार से निश्चल किया हुआ जाल, पिंजर, पाश या अन्य प्रयुक्ति अभिप्रेत है, और

(3) निजी जल क्षेत्र से ऐसा जल क्षेत्र अभिप्रेत है, जो अनन्यतः किसी व्यक्ति की सम्पत्ति है या जिसमें किसी व्यक्ति का तत्समय मत्स्य पकडने का अनन्यतः अधिकार है चाहे वह स्वामी के रूप में, पट्टेदार के रूप में या किसी अन्य हैसियत में हो।

स्पष्टीकरण– इस परिभाषा के अर्थ में, केवल इस कारण कि अन्य व्यक्तियों का उस जल क्षेत्र में मत्स्य पकडने का रूढि के आधार पर अधिकार है, उसका निजी जल क्षेत्र होना समाप्त नहीं हो जायेगा।

धारा 4. अन्तर्देशीय जल क्षेत्र में और तट पर विस्फोटकों से मत्स्य का नाश– (1) यदि कोई व्यक्ति किसी जल क्षेत्र में मत्स्य पकडने या नष्ट करने के आशय से कोई डायनेमाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ को प्रयोग में लाता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में जल क्षेत्र में समुद्र तट से एक समुद्रीय लीग की दूरी के भीतर का समुद्र अन्तर्विष्ट है और इस उपधारा के अधीन ऐसे समुद्र में किये गये अपराध का विचारण किया जा सकेगा, उसके लिये दण्ड दिया जा सकेगा, और सभी मामलों में उसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी मानो व ऐसे तट से लगी हुई भूमि पर किया गया हो।

धारा 5.जल क्षेत्र को विषाक्त करने से मत्स्य का नाश –(1) यदि कोई व्यक्ति किसी जल क्षेत्र में, मत्स्य पकडने या नष्ट करने के आशय से कोई विष, चूना या उपायकर पदार्थ डालता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में इस धारा का प्रवर्तन निलम्बित कर सकेगी और वैसी ही रीति से किसी ऐसी अधिसूचना को उपान्तरित या रद्द कर सकेगी।

धारा 6.चुने गये जल क्षेत्र में राज्य सरकार के नियमों द्वारा मत्स्य का संरक्षण–(1) राज्य सरकार इस धारा में, इसमें इसके पश्चात् वर्णित प्रयोजनों के लिये नियम बना सकेगी और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जल क्षेत्र को जो निजी जल क्षेत्र नहीं है, ऐसे सभी नियमों को या उनमें से किसी नियम को लागू कर सकेगी जैसा राज्य सरकार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ।

(2) राज्य सरकार वैसी ही अधिसूचना द्वारा ऐसे नियमों को या उनमें से किसी नियम को किसी निजी जल क्षेत्र को भी उसके स्वामी की ओर से तत्समय उसमें मत्स्य पकडने का अनन्यतः अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों को लिखित सम्मति से लागू कर सकेगी।

(3) ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या उनमें से किसी मामले को प्रतिषिद्व या विनियमित कर सकेंगे, अर्थात्–

(क) स्थिर उपकरणों का लगाना तथा उपयोग

(ख) बीयर बनाना, तथा

(ग) उपयोग किये जाने वाले जालों की लम्बाई चौडाई तथा प्रकार और उपयोग के ढंग।

(4) ऐसे नियम किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र में दो वर्ष से अनधिक की समयावधि के लिये सभी मत्स्य पकडने के कार्य भी प्रतिषिद्व कर सकेंगे।

(5) इस धारा के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार–

(क) निदेश दे सकेगी कि नियम का भंग जुर्माने से, जो एक सौ रूपये तक का हो सकेगा, और जहां कि भंग जारी रहता है, वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्वि की दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान भंग जारी रखा जाना साबित हुआ है, जो दस रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, तथा

(ख) (1) नियम के उल्लंघन में लगाये गये या प्रयुक्त स्थिर उपकरणों या प्रयुक्त जालों के अभिग्रहण, समपहरण तथा हटाने के लिये और

(2) किसी ऐसे स्थिर उपकरण या जाल के माध्यम से निकाले गये मत्स्य के समपहरण के लिये, उपबन्ध कर सकेगी।

(6) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि वे पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जायेंगे।

धारा 7.इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों के लिये बिना वारण्ट गिरफ्तारी – (1) कोई पुलिस ऑफिसर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त या तो नाम से या तत्समय कोई पद धारण करने वाले के रूप में विशेष रूप से सशक्त अन्य व्यक्ति, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा वारण्ट के बिना धारा 4 या धारा 5 के अधीन या धारा 6 के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अपने सामने करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा–

(क) यदि उस व्यक्ति का नाम तथा पता उसको ज्ञात नहीं है, और

(ख) यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता देने से इन्कार करता है या यदि दिया नाम या पता सही होने में सन्देह के लिये कारण है।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को तब तक निरूद्व रख जा सकेगा जब तक उसका नाम और पता सही रूप से अधिनिश्चित नहीं कर लिया जाता,

परन्तु इस प्रकार गिरफ्तार किये गये किसी भी व्यक्ति को उससे अधिक समय तक निरूद्व नहीं रखा जायेगा, जो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के लिये आवश्यक हो, सिवाय तब जब कि मजिस्ट्रेट द्वारा निरूद्व रखने की आज्ञा दी गई हो।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960

परिभाषा धारा 2 क – पशु से तात्पर्य मनुष्य से भिन्न कोई भी प्राणधारी जीव से है।

धारा 11– पशुओं के साथ निर्दयता–पूर्वक व्यवहार करना–

जो कोई पशुओं के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करेगा वह प्रथम अपराध के लिये पचास रुपये जुर्माना उसके बाद प्रथम अपराध के तीन साल के अन्दर द्वितीय अपराध की दशा में एस सौ

रुपये का अर्थ दण्ड अथवा तीन महिने तक का कारावास या दोनों से दण्डित किया जायेगा। इसमें पशुओं को पीटना व पीड़ा पहुँचाना और कमजोर टट्टुओं को जोतना तथा उन पर कील युक्त चाबुक का प्रयोग करना निर्दयता है। पशुओं पर अधिक भार लादना व आवारा पशुओं का विक्रय नहीं किया जा सकता है।

धारा –12. फूका या दूमदेव के प्रयोग के लिये दण्ड–

यदि किसी गाय या दुध देने वाले पशु पर उसके जननेन्द्रियों पर दूध निकालने के लिये हवा भरना या ऐसी मशीन लगाना जिससे सारा दूध बाहर आ जाये दण्डनीय अपराध है ऐसा पाया जाने पर 1,000/–रुपये जुर्माना या दो साल का कारावास या दोनों।

धारा –13 यातनाग्रस्त पशुओं को नष्ट करना –

मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार है कि ऐसे पशु को जिसे, जीवित रखना, क्रूरतापूर्ण होगा, उस पशु के तत्काल विनाश का आदेश दे सकेगा।

धारा 20 – जो कोई व्यक्ति पशुओं का अनुचित प्रयोग करता है या आधिरोपित किसी शर्त का उल्लंधन करता है तो वह दो सौ रुपये के दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

धारा 21 – पशुओं को प्रदर्शित करना और प्रशिक्षित करना–

पशुओं का प्रदर्शन करना जिसमें टिकिट बेचकर जनता को आने दिया जाता है व प्रशिक्षित करने से अभिप्रेत किसी ऐसे प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षित करना है।

धारा 22 – करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन व प्रशिक्षण पर तब तक प्रतिबन्ध होगा तब तक वह प्रदर्शन व प्रशिक्षण रजिस्टीकृत न हो।

धारा 23 – करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन व प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही रजिस्टीकरण किया जाएगा।

धारा 24 – करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन व प्रशिक्षण को रोकने के लिए या प्रतिबन्धित करने के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकता है।

धारा 25 – करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन व प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले किसी स्थान पर उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी प्रवेश कर सकता है व उस स्थान का निरीक्षण कर सकता है।

धारा 26 – जो कोई बिना रजिस्टेशन करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन व प्रशिक्षण के लिए पशुओं का प्रयोग करता है तो वह पांच सौ रुपये के जुर्माने या तीन माह तक के कारावास या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) प्राणी के अन्तर्गत स्तनी, पक्षी, सरीसृप, जलस्थल चर, मत्स्य, अन्य रज्जुकी तथा अकशेरूकी हैं और इनमें उनके बच्चे तथा अंडे भी सम्मिलित हैं;

(2) प्राणी वस्तु से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो पीड़कजन्तु से भिन्न किसी बन्दी या वन्य प्राणी से बनी है और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई वस्तु या पदार्थ है, जिसमें ऐसे पूरे प्राणी या उसके किसी भाग का ख्उपयोग किया गया है, और भारत में आयातित हाथीदांत तथा उससे बनी वस्तुएं

(4) बोर्ड से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य वन्य जीव बोर्ड अभिप्रेत है;,

(5) बन्दी प्राणी से अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट ऐसा कोई प्राणी अभिप्रेत है जो पकड़ा गया या बन्दी हालत में रखा गया है अथवा बन्दी हालत में प्रजनित हुआ है;

(12क) वन अधिकारी से भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 2 के खंड (2) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया वन अधिकारी अभिप्रेत है;

(12ख) वन उत्पाद पद का वही अर्थ है जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 2 के खंड (4) के उपखंड (ख) में है;

(16) व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित **आखेटन** के अन्तर्गत है —

(क) किसी वन्य प्राणी या बन्दी प्राणी को मारना या उसे विष देना और ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न;

(ख) किसी वन्य प्राणी या बन्दी प्राणी को पकड़ना, शिकार करना, फंदे में पकड़ना, जाला में फांसना, हांका लगाना या चारा डालकर फंसाना तथा ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न;,

(ग) किसी ऐसे प्राणी के शरीर के किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना; या नष्ट करना या लेना अथवा वन्य पक्षियों या सरीसृपों की दशा में, ऐसे पक्षियों या सरीसृपों के अंडों को नुकसान पहुंचाना अथवा ऐसे पक्षियों या सरीसृपों के अंडों या घोसलों को गड़बड़ाना;

(25ख) आरक्षित वन से राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 20 के अधीन आरक्षित करने के लिए घोषित या किसी अन्य राज्य अधिनियम के अधीन उक्त रूप में घोषित वन अभिप्रेत है;

(26) अभयारण्य से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन अधिसूचना द्वारा अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत धारा 66 की उपधारा (4) के अधीन अभयारण्य समझा गया क्षेत्र भी है;

(36) वन्य प्राणी से ऐसा प्राणी अभिप्रेत है जो अनुसूची 1 से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है और प्रकृति से ही वन्य है;

धारा 9. शिकार का प्रतिषेध–कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, और अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी वन्य प्राणी का, धारा 11 और धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, शिकार नहीं करेगा।

धारा 11. कुछ परिस्थितियों में वन्य प्राणियों के आखेट की अनुज्ञा का दिया जाना–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और अध्याय 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए–

(क) यदि मुख्य वन्य जीव संरक्षक का यह समाधान हो जाता है कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई वन्य प्राणी मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या ऐसा निःशक्त या रोगी है कि ठीक नहीं हो सकता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा और उसके लिए कारण कथित करते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे प्राणी का आखेट करने की या उसका आखेट करवाने की अनुज्ञा दे सकेगा

परन्तु किसी वन्य प्राणी को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा प्राणी पकड़ा नहीं जा सकता, प्रशान्त नहीं किया जा सकता या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

परन्तु यह और कि ऐसे पकड़े गए किसी भी प्राणी को तब तक बन्दी बनाकर नहीं रखा जाएगा जब तक कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे प्राणी को वन में पुनर्वासित नहीं किया जा सकता और उसके लिए कारण अभिलिखित नहीं कर दिए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण–खंड (क) के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राणी के, यथास्थिति, पकड़ने या स्थानांतरण करने की प्रक्रिया, ऐसी रीति से की जाएगी जिससे कि उस प्राणी को न्यूनतम अभिघात कारित हो;

(ख) यदि मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट कोई वन्य प्राणी मानव जीवन के लिए या सम्पत्ति (जिसके अन्तर्गत किसी भूमि पर खड़ी फसलें हैं) के लिए खतरनाक हो गया है या ऐसा निःशक्त या रोगी है कि ठीक नहीं हो सकता है तो यह लिखित आदेश द्वारा और उसके लिए कारण कथित करते हुए किसी व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे प्राणी या प्राणियों के समूह का आखेट करने या उस विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे प्राणी या प्राणियों के समूह का आखेट करवाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में किसी वन्य प्राणी को सद्भावपूर्वक मारना या घायल करना अपराध नहीं होगा

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को विमुक्त नहीं करेगी, जो उस समय जब ऐसी प्रतिरक्षा आवश्यक हो गई है, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में कोई कार्य कर रहा था ।

(3) कसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा में मारा गया या घायल किया गया कोई वन्य प्राणी सरकारी सम्पत्ति होगा ।

धारा 18. अभयारण्य की घोषणा– (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी आरक्षित वन में समाविष्ट किसी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र या राज्यक्षेत्रीय सागरखंड को अभयारण्य गठित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी, यदि वह यह समझती है कि ऐसा क्षेत्र, वन्य जीव या उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से पारिस्थितिक, प्राणी–जात, वनस्पति–जात, भू–आकृति विज्ञान–जात, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान–जात महत्व का है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में, यथासंभव निकटतम रूप से, ऐसे क्षेत्र की स्थिति और सीमाएं विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा में प्रयोजनों के लिए क्षेत्र की सड़कों, नदियों, टीलों या अन्य सुज्ञात या सरलता से बोध गम्य सीमाओं से वर्गित करना पर्याप्त होगा।

धारा 49ख. अनुसूचित प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफियों, प्राणी वस्तुओं, आदि में व्यौहार का प्रतिषेध–(1) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट तारीख को और उसके पश्चात् कोई व्यक्ति–

(क) (i) अनुसूचित प्राणी–वस्तुओं के विनिर्माता या उसके व्यौहारी; या

(iक) भारत में आयातित हाथी दांत या उससे बनी वस्तुओं के व्यौहारी या ऐसी वस्तुओं का विनिर्माता; या,

(ii) किसी अनुसूचित प्राणी या ऐसे प्राणी के किसी भाग के संबंध में चर्मपूरक; या

(iii) किसी अनुसूचित प्राणी से व्युत्पन्न ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के व्यौहारी; या

(iv) किसी ऐसे बंदी प्राणी के, जो अनुसूचित प्राणी है, व्यौहारी; या

(अ) किसी अनुसूचित प्राणी से व्युत्पन्न मांस के व्यौहारी,

के रूप में कारबार शुरू नहीं करेगा या नहीं चलाएगा; या

(ख) किसी भोजनालय में किसी अनुसूचित प्राणी से व्युत्पन्न मांस नहीं पकाएगा या नहीं परोसेगा ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, भोजनालय का वही अर्थ है जो धारा 44 की उपधारा (1) के नीचे के स्पष्टीकरण में है ।

(2) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व धारा 44 के अधीन दी गई या नवीकृत कोई अनुज्ञप्ति, उसके धारक को या किसी अन्य व्यक्ति को इस धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कारबार को या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट उपजीविका को ऐसी तारीख के पश्चात् शुरू करने या चलाने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्यात के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम को जिसके अन्तर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थ में कोई सरकारी कम्पनी है अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है, उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, चर्मपूरक के रूप में कारबार चलाने के लिए धारा 44 के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, किसी अनुसूचित प्राणी या उसके किसी भाग पर,–

(क) सरकार या उपधारा (3) के अधीन छूट प्राप्त किसी निगम या सोसाइटी के लिए या उसकी ओर से; अथवा

(ख) शैक्षिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से मुख्य वन्य जीव संरक्षक के लिखित पूर्व प्राधिकार से, चर्मपूरण की प्रक्रिया कर सकेगा ।

धारा 50. प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की शक्ति–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी या किसी वन अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी के जो उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया है तो वह–

(क) ऐसे व्यक्ति से उसके नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में किसी बन्दी प्राणी, वन्य प्राणी, प्राणी–वस्तु, मांस ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी, अथवा इस अधिनियम के अधीन दी गई या उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी यान या जलयान की तलाशी लेने या जांच करने के लिए उसे रोक सकेगा या ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में किसी परिसर, भूमि, यान या जलयान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा उसके कब्जे में सामान या अन्य वस्तुओं को खोल सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा;

(ग) किसी व्यक्ति के कब्जे में के किसी बन्दी प्राणी, वन्य प्राणी, प्राणी–वस्तु, मांस, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी या किसी विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युप्तन्नी को, जिनकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, किसी ऐसे अपराध को किए जाने के लिए प्रयुक्त किसी फांसे, औजार, यान, जलयान या आयुध के सहित अभिगृहित कर सकेगा, और जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति हाजिर होगा और किसी ऐसे आरोप का उत्तर देगा जो उसके विरुद्ध लगाया जाए, वह उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा।

परन्तु जंहा कोई मछुआरा, जो किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन के दस किलोमीटर के भीतर निवास करता है, किसी ऐसी नौका से, जिसका उपयोग वाणिज्यिक मत्स्य उद्योग के लिए नहीं किया जाता है, उस अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन के राज्यक्षेत्रीय सागरखंड में अनवधानता से प्रवेश करता है, वहां ऐसी नौका पर मछली पकड़ने के टेकल या जाल को अभिगृहीत नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह कोई ऐसा कार्य करते देखता है जिसके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र अपेक्षित है, इस प्रयोजन से रोक सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र पेश करे और यदि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र पेश करने में असफल रहता है तो वह बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा जब तक कि वह अपना नाम और पता नहीं दे देता है और उसको गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का अन्यथा यह समाधान नहीं करा देता है कि वह किसी समन या अन्य कार्यवाहियों का, जो उसके विरुद्ध की जाएं सम्यक् रूप से पालन करेगा ।

(3क) ऐसा अधिकारी, जो वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक या सहायक वनपाल, की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन किसी बंदी प्राणी या

वन्य प्राणी को अभिगृहीत किया है, किसी व्यक्ति द्वारा उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसको उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता है, जिसके कारण ऐसा अभिग्रहण किया गया है, ऐसे प्राणी के, जब कभी ऐसी अपेक्षा हो, पेश किए जाने संबंधी बंधपत्र के निष्पादन पर, उसे अभिरक्षा के लिए दे सकेगा।,

(4) पूर्वोक्त शक्ति के अधीन निरुद्ध किया गया कोई व्यक्ति या अभिगृहीत की गई कोई वस्तुएं, विधि के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए मुख्य वन्य जीव संरक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करते हुए, मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरन्त ले जाई जाएंगी ।

(5) कोई व्यक्ति जो युक्तियुक्त हेतुक के बिना कोई ऐसी वस्तु पेश करने में असफल रहता है जिसे इस धारा के अधीन पेश करने के लिए वह अपेक्षित है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(6) जहां इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई मांस, अपरिष्कृत ट्रॉफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका कोई भाग या व्युत्पन्न अभिगृहीत किया जाता है वहां वन्य जीव परिरक्षण सहायक निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजपत्रित पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी या मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी उनके व्ययन के लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाए व्यवस्था कर सकेगा।,

(7) जब कभी किसी व्यक्ति से उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपराध के निवारण या पता लगाने में या ऐसे व्यक्तियों को, जिस पर इस अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है, पकड़ने में या उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में अभिग्रहण के लिए सहायता करने के लिए अनुरोध करे तब ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसी सहायता करें ।

(8) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे अधिकारी को, जो वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को जो सहायक वनपाल की पंक्ति से नीचे का न हो इस अधिनियम के किसी उपबंध के विरुद्ध किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी –

(क) तलाशी वारंट जारी करना;

(ख) साक्षियों को हाजिर कराना;

(ग) दस्तावेजों और तात्विक पदार्थों के प्रकटीकरण और उनके पेश किए जाने के लिए विवश करना; और

(घ) साक्ष्य ग्रहण करना और अभिलिखित कराना ।

(9) उपधारा (8) के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य होगा, परन्तु यह तब जब कि उसे अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया हो।

धारा 51. शास्तियां–(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अध्याय 5क और धारा 38ञ को छोड़कर, या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, या जो इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र की शर्तों में से किसी का भंग करेगा, वह इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी होगा, और दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष, तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए, तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

परंतु यदि किया गया अपराध अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या किसी ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युपन्न प्राणी–वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के संबंध में है या यदि अपराध किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट से संबंधित है या किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है तो ऐसा अपराध ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा –

परन्तु यह और कि इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम की न हागी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा।

(1क) कोई व्यक्ति, जो अध्याय 5क के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए, से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

(1ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 38ज के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा

परन्तु किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, कारावास की अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा।,

(1ग) कोई व्यक्ति जो व्याघ्र आरक्षिति के आन्तरिक क्षेत्र के संबंध में अपराध करेगा या जहां अपराध किसी व्याघ्र आरक्षिति में आखेट या व्याघ्र आरक्षिति की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है वहां ऐसा अपराध प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा; और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसका अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(1घ) जो कोई उपधारा (1ग) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरित कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा।,

(2) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय आदेश दे सकेगा कि कोई बंदी प्राणी, वन्य प्राणी, प्राणी–वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, मांस, भारत में आयातित हाथी दांत या ऐसे हाथी दांत से बनी वस्तु, कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युतपन्नी, जिसके बारे में अपराध किया गया है और उक्त अपराध के करने में प्रयुक्त कोई फांसा, औजार, यान, जलयान या आयुध राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगा और यह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारित कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया जाएगा ।

(3) अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का ऐसे रद्दकरण या ऐसा समपहरण किसी ऐसे अन्य दण्ड के अतिरिक्त होगा जो ऐसे अपराध के लिए दिया जाए ।

(4) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां न्यायालय निदेश दे सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, जो आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के अधीन ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे आयुध का कब्जा रखने के लिए दी गई है जिससे इस अधिनयम के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है रद्द कर दी जाएगी और ऐसा व्यक्ति आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन दोषसिद्धि की तारीख से पांच वर्ष के लिए, अनुज्ञप्ति का पात्र नहीं होगा ।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात, किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट करने से संबंधित किसी अपराध या अध्याय 5क के किसी उपबंध के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु के कम का न हो ।

धारा 51क. जमानत मंजूर करते समय कतिपय शर्तों का लागू होना—जहां कोई व्यक्ति, जो अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 से संबंधित अपराध या राष्ट्रीय उपवन या वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं के अंदर आखेट से संबंधित कोई अपराध या ऐसे उपवनों और अभयारण्य की सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी कोई अपराध करने का अभियुक्त है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन गिरफ्तार किया जाता है वहां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पहले से ही सिद्धदोष ठहराया गया था, तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक—

(क) लोक अभियोजक को निर्मुक्ति का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं हैं और यह कि जमानत पर छोड़े जाने पर उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

धारा 52. प्रयत्न और दुष्प्रेरण—जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरणा करेगा उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने, यथास्थिति, उस उपबन्ध या नियम या आदेश का उल्लंघन किया है।

धारा 53. सदोष अभिग्रहण के लिए दण्ड—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, धारा 50 में वर्णित कारणों से अभिगृहीत करने के बहाने से, उसे तंग करने के लिए और अनावश्यक रूप से, अभिगृहीत करेगा तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

धारा 54. अपराधों का शमन करने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, वन्य जीव संरक्षण निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को जो वन्य जीव परिरक्षण सहायक निदेशक से नीचे की पंक्ति का नहीं है और राज्य सरकार के मामले में, इसी प्रकार की रीति से मुख्य वन्य जीव संरक्षक को या किसी अन्य अधिकारी को जो उप वनपाल से नीचे की पंक्ति का न हो, किसी व्यक्ति से जिसके विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह है कि उसने इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया है, उस अपराध के शमन के रूप में जिसकी बाबत यह संदेह है कि वह ऐसे व्यक्ति ने किया है, किसी धन राशि के संदाय को स्वीकार करने के लिए सशक्त कर सकेगी ।

(2) ऐसे अधिकारी को ऐसी धन की राशि के संदाय पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा और अपराध के संबंध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

(3) किसी अपराध का शमन करने वाला अधिकारी, अपराधी को इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के रद्दकरण का आदेश कर सकेगा या यदि ऐसा करने के लिए वह स्वयं सशक्त नहीं है तो ऐसा करने के लिए सशक्त अधिकारी से ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र को रद्द करने के लिए अनुरोध कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन स्वीकार की गई या स्वीकार किए जाने के लिए करार पाई गई धनराशि, किसी भी दशा में, पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

परन्तु किसी ऐसे अपराध का, जिसके लिए धारा 51 में कारावास की न्यूनतम अवधि विहित की गई है, शमन नहीं किया जाएगा।

धारा 55. अपराधों का संज्ञान—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित से भिन्न किसी व्यक्ति के परिवाद पर नहीं करेगा—

(क) वन्य जीव संरक्षण निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी; या

(कक) अध्याय 4क के उपबंधों के अतिक्रमण से संबंधित मामलों के सदस्य—सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ।,

(कख) सदस्य—सचिव, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण; या

(कग) संबंधित व्याघ्र आरक्षिति का निदेशक; या,

(ख) मुख्य वन्य जीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी; या

(खख) धारा 38ञ के उपबंधों के अतिक्रमण के संबंध में चिड़ियाघर का भारसाधक अधिकारी; या,

(ग) कोई व्यक्ति, जिसने विहित रीति से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पूर्वोक्त रूप से प्राधिकृत अधिकारी को अभिकथित अपराध की और परिवाद करने के अपने आशय की साठ दिन से अन्यून की सूचना दी है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

धारा 2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि हैं और वह अंतर संबंध है जो जल, वायु और भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्मजीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है ;

(ख) पर्यावरण प्रदूषक से ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है ;

(ग) पर्यावरण प्रदूषण से पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है ;

(घ) किसी पदार्थ के संबंध में, **हथालना** से ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारकरण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया अभिप्रेत है ;

(ङ) परिसंकटमय पदार्थ से ऐसा पदार्थ या निर्मिति अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक–रासायनिक गुणों के या हथालने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण को अपहानि कारित कर सकती है ;

(च) किसी कारखाने या परिसर के संबंध में, **अधिष्ठाता** से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कारखाने या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण है और किसी पदार्थ के संबंध में ऐसा व्यक्ति इसके अंतर्गत है जिसके कब्जे में वह पदार्थ भी है ;

(छ) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

धारा 3. केन्द्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो वह पर्यावरण के संरक्षण और उसकी क्वालिटी में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में उपाय हो सकेंगे, अर्थात् –

(i) राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों की,–

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन; या

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, कार्रवाइयों का समन्वय ;

(ii) पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसको निष्पादित करना ;

(iii) पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी क्वालिटी के लिए मानक अधिकथित करना ;

(iv) विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उर्त्सजन या निस्सारण के मानक अधिकथित करना

परन्तु ऐसे स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण की क्वालिटी या सम्मिश्रण को ध्यान में रखते हुए, भिन्न–भिन्न स्रोतों से उत्सर्जन या निस्सारण के लिए इस खंड के अधीन भिन्न–भिन्न मानक अधिकथित किए जा सकेंगे ;

(v) उन क्षेत्रों का निर्बन्धन जिनमें कोई उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे ;

(vi) ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए प्रक्रिया और रक्षेपाय अधिकथित करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारी उपाय अधिकथित करना ;

(vii) परिसंकटमय पदार्थों को हथालने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय अधिकथित करना ;

(viii) ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री और पदार्थों की परीक्षा करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है ;

(ix) पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में अन्वेषण और अनुसंधान करना और प्रायोजित करना ;

(x) किसी परिसर, संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रक्रिया सामग्री या पदार्थों का निरीक्षण करना और ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों या व्यक्तियों को, आदेश द्वारा, ऐसे निदेश देना जो वह पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझे ;

(xi) ऐसे कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थाओं की स्थापना करना या उन्हें मान्यता देना, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसी पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थाओं को सौंपे जाएं ;

(xii) पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विषयों की बाबत जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना ;

(xiii) पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित निर्देशिकाएं, संहिताएं या पथ प्रदर्शिकाएं तैयार करना ;

(iv) ऐसे अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार को ऐसी शक्तियों और कृत्यों के (जिनके अंतर्गत धारा 5 के अधीन निदेश देने की शक्ति भी है) प्रयोग और निर्वहन के प्रयोजनों के लिए और उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे विषयों की बाबत उपाय करने के लिए जो आदेश में उल्लिखित किए जाएं, प्राधिकरण या प्राधिकरणों का ऐसे नाम या नामों से गठन कर सकेगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं और केन्द्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण तथा ऐसे आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेंगे या ऐसे आदेश में इस प्रकार उल्लिखित उपाय ऐसे कर सकेंगे मानो ऐसा प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण उन शक्तियों का प्रयोग या उन कृत्यों का निर्वहन करने या ऐसे उपाय करने के लिए इस अधिनियम द्वारा सशक्त किए गए हो।

धारा 7. उद्योग चलाने, संक्रिया, आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सारण न होने देना–कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोई उद्योग चलाता है, या कोई संक्रिया या प्रक्रिया करता है, ऐसे मानकों से अधिक, जो विहित किए जाएं, किसी पर्यावरण प्रदूषक का निस्सारण या उत्सर्जन नहीं करेगा अथवा निस्सारण या उत्सर्जन करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

धारा 10. प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां–(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह सभी युक्तियुक्त समयों पर

ऐसी सहायता के साथ जो वह आवश्यक समझे किसी स्थान में निम्नलिखित प्रयोजन के लिए प्रवेश करे, अर्थात् –

(क) उसे सौंपे गए केन्द्रीय सरकार के कृत्यों में से किसी का पालन करना ;

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसे किन्हीं कृत्यों का पालन किया जाना है और यदि हां तो किस रीति से किया जाना है या क्या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का या इस अधिनियम के अधीन तामील की गई सूचना, निकाले गए आदेश, दिए गए निर्देश या अनुदत्त प्राधिकार का पालन किया जा रहा है या किया गया है ;

(ग) किसी उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारवान् पदार्थ की जांच या परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए अथवा किसी ऐसे भवन की तलाशी लेने के लिए, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके भीतर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और ऐसे किसी उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारवान् पदार्थ का उस दशा में अभिग्रहण करने के लिए, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य दिया जा सकेगा अथवा ऐसा अभिग्रहण पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने या उसे कम करने के लिए आवश्यक है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो कोई उद्योग चलाता है, कोई संक्रिया या प्रक्रिया करता है या कोई परिसंकटमय पदार्थ हथालता है, ऐसे व्यक्ति को सभी सहायता देने के लिए आबद्ध होगा, जिसे उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने उस उपधारा के अधीन कृत्यों को करने के लिए सशक्त किया है और यदि वह किसी युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना ऐसा करने में असफल रहेगा तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को, उसके कृत्यों के निर्वहन में जानबूझकर विलम्ब करेगा या बाधा पहुंचाएगा तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध या जम्मू–कश्मीर राज्य या किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें वह संहिता प्रवृत्त नहीं है, उस राज्य या क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन या उक्त विधि के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन जारी किए गए वारण्ट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

धारा 11. नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया–(1) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूने ऐसी रीति से लेने की शक्ति होगी, जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन लिए गए किसी नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है ।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन नमूना लेने वाला व्यक्ति–

(क) इस प्रकार विश्लेषण कराने के अपने आशय की सूचना की ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति पर तुरन्त तामील करेगा ;

(ख) अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति की उपस्थिति में विश्लेषण के लिए नमूना लेगा ;

(ग) नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा जिसे चिह्नित और सील बन्द किया जाएगा और उस पर नमूना लेने वाला व्यक्ति और अभिष्ठाता या उसका अभिकर्ता या व्यक्ति दोनों हस्ताक्षर करेंगे ;

(घ) आधान या आधानों को धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को अविलंब भेजेगा ।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए कोई नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति पर उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की तामील करता है तब–

(क) ऐसे मामले में जहां अधिष्ठाता, उसका अभिकर्ता या व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित रहता है वहां नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण के लिए नमूना आधान या आधानों में रखवाने के लिए लेगा, जिसे चिह्नित और सील बंद किया जाएगा और नमूना लेने वाला व्यक्ति भी उस पर हस्ताक्षर करेगा ; और

(ख) ऐसे मामले में जहां नमूना लिए जाने के समय अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता या व्यक्ति उपस्थित रहता है, किन्तु उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन अपेक्षित रूप में नमूने के चिह्नित और सील बंद आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है वहां चिह्नित और सील बन्द आधान या आधानों पर नमूना लेने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा, और नमूना लेने वाला व्यक्ति आधान और आधानों को धारा 12 के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए अविलम्ब भेजेगा और ऐसा व्यक्ति धारा 13 के अधीन नियुक्त या मान्यता प्राप्त सरकारी विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति के, यथास्थिति, जानबूझकर अनुपस्थित रहने अथवा आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से उसके इंकार करने के बारे में लिखित जानकारी देगा।

धारा 19. अपराधों का संज्ञान–कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं, अर्थात् –

(क) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकरण या अधिकारी ; या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और परिवाद करने के अपने आशय की, विहित रीति से, कम से कम साठ दिन की सूचना, केन्द्रीय सरकार या पूर्वोक्त रूप में प्राधिकृत प्राधिकरण या अधिकारी को दे दी है।

धारा 22. अधिकारिता का वर्जन–किसी सिविल न्यायालय को, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या इसके अधीन

कृत्यों के संबंध में की गई किसी बात, कार्रवाई या निकाले गए आदेश या दिए गए निदेश के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

राजस्थान वन अधिनियम, 1953

धारा 2. परिभाषाएँ –जब तक विषय या प्रसंग में अन्यथा अर्थ नही दिया गया हो इस अधिनियम में–

(1) **"मवेशी"** में हाथी, ऊंट, भैंस, घोड़ी, घोङियां, बघियां, टट्टू, बछेड़ा, बछेङिया ,खच्चर, गधे, सूअर, मेढ़ा भेड़, भेड़े, मेमने,बकरिया एवं उनके बच्चे; सम्मिलित होंगे।

(2) **"वन अधिकारी"** का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जाये।

(3), '**वन अपराध,**' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय अपराध से हैं।

(4) **"वन उपज"** में शामिल हैं–

(ए) एक वन में पाये जाने वाले, या वनरोपण से लाये गये, –टिम्बर, लकड़ी का कोयला, कत्था, लकड़ी का तेल, राल, प्राकृतिक वार्निश, छाल, लाख, महुआ फूल, महुआ के बीज और हरड़, और

(बी) एक वन में पाये जाने वाले, या वनरोपण से लाये गये, –

(1) पेड़, और पत्ते , फूल और फल और अन्य सभी भाग या उपज

(2) पौधे जो पेड़ नहीं हैं (घास, लता, नरकट और काई सहित), और ऐसे पौधों के सभी भाग या उपज

(3) जंगली जानवर और चमड़े, खांग, सींग, हड्डियां

(4) सतह की मिट्टी, चट्टान, एएचडी खनिज (चूना पत्थर, लेटराइट, खनिज तेल और खदानों या

खदानों के उत्पादों सहित);

(6) **"मालिक"** में ऐसे न्यायालय के अधीक्षण या प्रभार के तहत संपत्ति के संबंध में कोर्ट ऑफ वार्ड शामिल हैं;

(7) **"नदी"** में कोई भी धारा, नहर, नाला या अन्य चैनल प्राकृतिक या कृत्रिम शामिल हैं;

(8) **"लकड़ी"** में पेड़ शामिल हैं जब वे गिर गए हैं या गिरा दिए गए हैं, और सभी लकड़ी चाहे बाहर हो या फैशन या किसी भी उद्देश्य के लिए खोखला हो या नहीं ; और

धारा 3 वन आरक्षित करने की शक्ति– राज्य सरकार किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि का गठन कर सकती है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है, या जिस पर राज्य सरकार का मालिकाना अधिकार है या वन उपज के पूरे या किसी भी हिस्से का, जिसमें सरकार का हक हैं।

धारा 4 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना – (1) जब कभी किसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का निर्णय लिया जाता है, तो राज्य सरकार (आधिकारिक गजट–

(ए) में एक अधिसूचना जारी करेगी जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि ऐसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का निर्णय लिया गया है।

(बी) यथासम्भव निर्दिष्ट करना, ऐसी भूमि की स्थिति और सीमाएं; और

(सी) एक अधिकारी की नियुक्ति (जिसे इसके बाद 'वन निपटान अधिकारी' कहा जाता है जिसके पक्ष में मौजूद किसी भी अधिकार के अस्तित्व, प्रकृति और सीमा की जांच और निर्धारण करने के लिए किसी व्यक्ति या उससे अधिक की कोई भूमि ऐसी सीमाओं के भीतर, या किसी वन उपज में या उससे अधिक और इस अध्याय में प्रदान किए गए से निपटने के लिए।

स्पष्टीकरणः – खंड (बी) के प्रयोजन के लिए, सीमाओं का वर्णन करने के लिए पर्याप्त होगा जंगलों, नदियों, घाटियों या अन्य प्रसिद्ध या आसानी से समझ में आने वाली सीमाओं द्वारा जंगल का।

(2) उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत नियुक्त अधिकारी आमतौर पर वन बंदोबस्त अधिकारी के अलावा कोई पद धारण नहीं कर रहा हो।

(3) इस धारा में कोई भी बात राज्य सरकार को तीन से अनधिक ऐसी संख्या में अधिकारियों को नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी, उनमें से एक से अनधिक इस अधिनियम के वन निर्धारण अधिकारी को कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिये उपरोक्तानुसार के अलावा वन पद धारण करने वाला अधिकारी होगा।

धारा 11 जिस भूमि पर अधिकार का दावा किया गया है, उसे अधिग्रहित करने की शक्ति –

(1) किसी भी भूमि में या उसके ऊपर अधिकार के दावे के मामले में, अधिकार का पालन करने के अलावाः –

(क) रास्ते का एक अधिकार;

(ख) वाटर–कोर्स या पानी के इस्तेमाल का अधिकार,

(ग) गोचर का अधिकार, या

(घ) वन उपज का अधिकार,

(2) यदि इस तरह के दावे को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तो वन निपटान अधिकारी या तो–

(i) प्रस्तावित वन की सीमा से ऐसी भूमि को बाहर कर देगा, या

(ii) उसके मालिक या उसके अधिकारों के आत्मसमर्पण के साथ इकरारनामा करेगा, या

(iii) अनिवार्य भूमि अधिग्रहण से संबंधित समय के लिए कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आगे कार्यवाही करेगा ।

(3) इस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण करने के उद्देश्य से :–

(क) वन निपटान अधिकारी को ऐसे कानून के अधीन कार्यवाही करने वाला कलेक्टर माना जाएगा।

(ख) दावेदार एक इच्छुक और उसके सामने पेश होने वाले व्यक्ति को नोटिस के अनुसरण में उपस्थित होने वाला माना जाएगा।

(ग) उस कानून के प्रावधानों का पालन किया गया समझा जाएगा, और

(घ) कलेक्टर दावेदार की सहमति से, या दोनों पक्षों की सहमति से, सुनवाई कर जमीन का मुआवजा दे सकता है।

धारा 26. ऐसे जंगलों में प्रतिबंधित कार्य – व्यक्ति जो, एक आरक्षित जंगल में–

(क) अतिचार करेंगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने देगा।

(ख) कटाई में लापरवाही से किसी भी तरह का नुकसान होता है, उखड़ना, किसी भी पेड़ को बदलना या किसी भी लकड़ी को काटना या खींचना; या

(ग) किसी भी पेड़ को जला दें, या फिर इसका हिस्सा, या से छाल उतारेगा या पत्तियों को तोडेगा या अन्य नुकसान करेगा, वह –

> छह महीने तक की सजा या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा, इसके अलावा जंगल को हुए नुकसान के लिए इस तरह के मुआवजे के अलावा दोषी अदालत भुगतान करने का निर्देश दे सकती है।

(1–ए) कोई भी व्यक्ति जो–

(क) धारा 5 द्वारा निषिद्ध कटाई–सफाई करता है; या

(ख) एक आरक्षित जंगल में आग है, या फिर राज्य सरकार द्वारा इस ओर किए गए किसी नियम का उल्लंघन कर किसी भी आग को जलाता है या इस तरह से जलने वाली आग को छोड़ देता है, इस तरह के जंगल को खतरे में डालने के रूप में कोई काम करता हैं।

(ग) ऐसे मौसमों को छोड़कर कोई भी आग रखता है या वहन करता है, जैसा कि फॉरेस्ट ऑफसर इस ओर से सूचित कर सकता है;

(घ) खदानों का पत्थर, चूना या लकड़ी का कोयला जलाता है, या जमा करते हैं, किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया के विषय में भाग लेगा, या फिर कोई भी वन उपज का संग्रह करता हैं।

(ङ) खेती या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी भूमि को साफ करता है या तोड़ता है;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस ओर से बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करते हुए शिकार करता है, गोली चलाता हैं, मछलिय पकङता ,जल विषैला करता हैं या पाश या जाल बिछाता हैं।

(छ) जंगल के अस्तित्व के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लिप्त है।

वह ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना दोषसिद्धि करने वाले न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया जाये छह महीने तक का कारावास या पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 41. वन उपज के पारगमन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति–

(1) सभी नदियों और उनके तटो का नियंत्रण लकड़ी के तैरने के साथ–साथ भूमि या जल द्वारा पारगमन में सभी लकड़ी और अन्य वन उत्पादों का नियंत्रण राज्य सरकार में निहित है और वह सभी लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के पारगमन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम –

(क) उन मार्गों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके द्वारा केवल लकड़ी या अन्य निर्दिष्ट वन उपज का आयात निर्यात किया जा सकता है।

(ख) पास जारी कर उसकी सीमाएं नियत की जा सकती हैं ।

(ग) ऐसे पासो को जारी करने, लौटाने के लिए या और फीस के भुगतान के लिए उपबंध कर सकते हैं।

(घ) पारगमन में लकड़ी या अन्य वन उत्पाद को रोकने, रिर्पोट करने, जांच या चिन्ह के लिए उपबंध कर सकते है, जिनके सम्बन्ध में विश्वास करने का कारण हो कि कोई राशि उसके मूल्य के आधार पर, या किसी शुल्क, फीस, रोयल्टी या उस पर देय प्रभार के आधार पर देय राज्य सरकार है, या जिसके लिए चिन्ह लगाना इस अधिनियम प्रयोजनों के लिए वांछनीय हैं।

(ङ) निक्षेप की स्थापना और विनियमन के लिए उपबंध कर सकते हैं, जिनके लिए ऐसी लकड़ी या अन्य उत्पाद जांच के लिए या ऐसी राशि के भुगतान के लिए या इसके लिए कि ऐसे चिन्हों को इस पर लगाया जाये, इसके प्रभार में उनके द्वारा लिया जायेगा; और शर्ते, जिनके अधीन ऐसी लकड़ी या अन्य उत्पाद ऐसे डिपो से लाया, संचित और हटाया जायेगा।

(च) लकड़ी या अन्य वन उत्पाद के पारगमन के लिए प्रयुक्त किसी नदी के जलमार्ग किनारों को बन्द या बाधित करने, और किसी ऐसी नदी में घास, झाड़ियां, शाखायें पत्तियां फेंकने या ऐसे कार्य जो ऐसी बंद को बंद या बाधित करे को प्रतिबंधित सकते हैं।

(छ) किसी ऐसी नदी के जलमार्ग या किनारों की किसी बाधा को निवारित करने या हटाने के लिए और उस व्यक्ति, जिसका कार्य या उपेक्षा उनके लिए आवश्यक बनीं, से ऐसे निवारण करने या हटाने के व्यय वसूल करने के लिए उपबंध कर सकते हैं।

(ज) पूर्ण रूप से या विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर शर्तों के अनुसार, लकड़ी चीरने, संपरिवर्तित करने, काटने, जलाने, छुपाने या चिन्ह करने की स्थापना, उन पर किन्ही चिन्हों को परिवर्तित या विरूपित करने या लकड़ी चिन्हित करने के लिए चिन्हित करने का हथौड़ा या अन्य उपकरण रखना या ले जाना प्रतिबंधित कर सकते हैं।

(झ) लकड़ी और चिन्हों के रजिस्ट्रेशन के लिए सम्पत्ति चिन्हों के प्रयोग को विनियमित कर सकते हैं, उस समय को निर्धारित कर सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन उत्तम रहेगा, ऐसे चिन्हों की संख्या सीमित कर सकते हैं, जिन्हें किसी एक व्यक्ति द्वारा पंजीकृत किया जाये, और ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए फीस के अधिरोपण के लिए उपबंध कर सकते हैं ।

धारा–:–42 . धारा 41 के तहत किए गए नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति–

(1) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 41 के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुमनि से जो पच्चीय हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) ऐसे मामले में, जहां उप–धारा (1) के अधीन अपराध सुर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व या विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के लिए तैयारी करने के पश्चात् किया गया है या जहां अपराधी

उसी प्रकार के अपराध के लिए पहले भी सिद्धदोष हो चुका है, वहां शास्तियां उप–धारा (1) में उल्लिखित शास्तियों से दुगनी होगी।

धारा 55. वन उपज, उपकरण, आदि जब्त करने के लिए उत्तरदायी –(1) सभी लकड़ी या वन उपज जो राज्य (राज्य सरकार) की संपत्ति नहीं है और जिसके संबंध में वन अपराध किया गया है, और सारी मशीनरी, शस्त्र, उपकरण, नौकाएं, वाहन, रस्सी, किसी भी वन अपराध को करने में उपयोग की जाने वाली चेन या इसी प्रकार की अन्य कोइ चीज धारा 52–ए,52–बी और 52–सी के प्रावधानों के अधीन ऐसे वन अपराध के लिए अपराधी के आरोप पर जब्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

धारा 62–गलत तरीके से जब्ती की सजा – कोई भी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी जो इस अधिनियम के तहत जब्त करने के लिए उत्तरदायी संपत्ति को जब्त करने के बहाने किसी भी संपत्ति को बेवजह और अनावश्यक रूप से जब्त करता है, वह छह महीने तक कारावास या दस हजार रुपये या दोनों से दण्डनीय होगा।

राजस्थान कतिपय पशु परिरक्षण अधिनियम, 1950

धारा –2 **गाय आदि का वध करना**–जो कोई किसी सांड या गाय ,बैल अथवा बछडे का साशय वध करता हैं तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जायेगा और वह जुर्माने से भी दंडनिय होगा।

धारा –3 **गाय बादि को गंभीर शारीरिक क्षति करना–** जो कोई किसी सांड या गाय ,बैल अथवा बछडे को साशय गंभीर शारीरिक क्षति कारित करता हैं तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 4. **मोर–मोरनी अथवा कबूतर का वध करना या उसको क्षति पहुंचाना**–जो कोई भी आशयपूर्वक मोर–मोरनी अथवा कबूतर का वध करता है या क्षति पहुचाता है, तो उसे किसी ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः माह तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रूपये तक हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 5. **प्रयत्न तथा दुष्प्रेरण** – जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को कारित करने का प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, तो वह उसी दण्ड के लिए दायी होगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित किया गया।

राजस्थान सार्वजनिक उद्यान अधिनियम, 1956

धारा 2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) **पशु**' में कोई भी स्तनपायी, सरीसृप या पक्षी शामिल है;

(2) **'पार्क**' का अर्थ इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक पार्क के रूप में घोषित कोई पार्क या उद्यान और साथ ही इस प्रकार घोषित किसी सार्वजनिक पार्क के भीतर कोई चिड़ियाघर है;

(3) '**अधीक्षक'** का अर्थ पार्क के कार्यकारी प्रभारी व्यक्ति से है और इसमें इस अधिनियम के तहत एक अधीक्षक के कर्तव्यों का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है।

(4) **'ट्रैप**' में कोई भी युक्ति या उपकरण शामिल है जिसके द्वारा किसी जानवर को पकड़ा जा सकता है;

(5) **'हथियार'** में कोई भी आग्नेयास्त्र या गोला–बारूद, या कोई अन्य उपकरण शामिल है जो एक प्रक्षेप्य को आगे बढ़ाने में सक्षम है, या इस तरह से चलने या इस्तेमाल करने में सक्षम है कि किसी भी जानवर को मारा या घायल किया जा सकता है।

धारा 3. सार्वजनिक पार्कों की घोषणा – राज्य सरकार, (सरकारी राजपत्र) में अधिसूचना द्वारा , किसी पार्क या उद्यान को सार्वजनिक पार्क घोषित कर सकती है और उसके बाद इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे पार्क पर लागू होंगे।

धारा 4. पार्कों का नियंत्रण और अधीक्षक के कार्य और कर्तव्य – (1) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, प्रत्येक पार्क के अधीक्षक को ऐसे पार्क के नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव का अधिकार होगा, और उस उद्देश्य के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी से उचित होगा कि –

(ए) ऐसी सड़कों, पुलों, भवनों और बाड़ों का निर्माण और ऐसे अन्य कार्यों को करना जो वह ऐसे पार्क के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे;

(बी) ऐसे पार्क में वैज्ञानिक वस्तुओं के संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करना;

(ग) ऐसे कदम उठाना जिससे ऐसे पार्क में पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके;

(डी) आगंतुकों या दुकानों या अन्य उपक्रमों के आवास के लिए भवनों के निर्माण की अनुमति दें।

(2) राज्य सरकार, (आधिकारिक राजपत्र) में अधिसूचना द्वारा , निर्देश दे सकती है कि किसी भी पार्क का नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव एक स्थानीय प्राधिकरण में निहित होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा पार्क स्थित हो सकता है; और ऐसे प्रत्येक मामले में इस अधिनियम के तहत एक अधीक्षक के कर्तव्यों का ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे पार्क के संबंध में प्रयोग किया जाएगा और ऐसे पार्क से प्राप्त आय, यदि कोई हो, भी उसमें निहित होगी।

धारा 5. पार्क में कुछ कृत्यों का निषेध – यह किसी भी व्यक्ति के लिए वैध नहीं होगाः–

(ए) किसी भी विस्फोटक, जाल या जहर को एक पार्क में या उसके दायरे में लाना

बशर्ते कि भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878 (1878 का अधिनियम 11) या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के तहत किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने या रखने का अधिकार है जिसमें एक पार्क स्थित है, पार्क में ले जा सकता है या रख सकता है,

(बी) एक पार्क के भीतर या एक चिड़ियाघर के भीतर किसी भी जानवर को मारने, घायल करने, पकड़ने या परेशान करने के लिए, या किसी अंडे या घोंसले या किसी पक्षी को लेने या नष्ट करने के लिए,कोइ कार्य बशर्ते कि मानव जीवन की रक्षा में किसी खतरनाक जानवर को मार दिया जा सके;

(सी) जानबूझकर या लापरवाही से आग से या अन्यथा पार्क या उसमें किसी भी वस्तु को नुकसान पहुंचाना तथा

(डी) किसी पार्क से किसी भी जानवर को हटाने के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, ऐसे जानवर के अलावा, जिसे ऐसे पार्क में या किसी जानवर की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।

धारा 6. नियम बनाने की शक्ति – राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नियम बना सकती है, और विशेष रूप से निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले में: –

(क) एक पार्क में नियोजित अधीक्षक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में–

(i) पार्क के भीतर किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों से जनता के सदस्यों का बहिष्कार;

(ii) पार्क के भीतर या किसी चिड़ियाघर के भीतर किसी जानवर को मारना, पकड़ना या जब्त करना और ऐसे जानवर का निपटान;

(iii) पार्क के किसी जानवर, सब्जी, खनिज या अन्य उत्पाद का निपटान;

(ख) वे शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति पार्क में प्रवेश कर सकता है या निवास कर सकता है और वह अवधि या समय जिसके दौरान पार्क या उसका कोई भाग जनता के लिए खुला रहेगा;

(ग) एक पार्क और जानवरों और उसमें संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण;

(घ) एक पार्क में यातायात और यात्रियों की गाड़ी का विनियमन, वे बिंदु जहां से व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं, और वे मार्ग जिनसे वे एक पार्क से गुजर सकते हैं;

(ङ) पार्क में लिखित या अन्यथा या किसी पेड़, पुल, चट्टान, बाड़, सीट या अन्य वस्तु द्वारा विरूपण से सुरक्षा;

(च) अपराधों का शमन करने की शक्ति;

(छ) पार्क में रखे गए जानवरों को छेड़ना या परेशान करना;

(ज) 'पार्क में लोक न्यूसेंस कारित करना,

(झ) किसी व्यक्ति का उत्पीड़न,

(ञ) किसी पार्क में नहाने या पानी के प्रदूषण का निषेध; तथा

(ट) पार्क की किसी भी उपज की खरीद।

धारा 7. दंड – (1) जो कोई भी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन में कोई कार्य करता है, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

(2) कोई भी जानवर या उसका कोइ भाग, जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत अपराध किया गया है और इस्तेमाल किया गया कोई हथियार या जाल जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी जब्ती ऐसे अपराध के लिए निर्धारित किसी अन्य सजा के अतिरिक्त हो सकती है।

धारा 8. वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति और तलाशी की शक्ति – (1) कोई भी पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जिसके खिलाफ उचित संदेह मौजूद है कि वह धारा 7 के अधीन किसी भी दंडनीय अपराध में शामिल है।

(2) कोई भी पुलिस अधिकारी, वारंट के बिना, पार्क के भीतर किसी भी स्थान, भवन, तंबू, वाहन या पात्र की तलाशी ले सकता है, जिसमें धारा 7 की उपधारा (2) के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी कुछ भी शामिल है, और जब्त कर सकता है और अपने पास रख सकता है।

धारा 9. संक्षेप में विचारणीय अपराध – इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संक्षेपतः में विचारणीय होंगे।

10. अधीक्षक, अधिकारियों और सेवकों का लोक सेवक होना – किसी पार्क के लिए नियुक्त प्रत्येक अधीक्षक के साथ–साथ उसमें नियोजित प्रत्येक अन्य अधिकारी और सेवक को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।

मोड्यूल (सी) :– लोक एवं प्राईवेट सम्पत्ति विषयक विधियां–

भाग–1 , बौद्धिक सम्पदा विषेयक विधियां

'राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) अधिनियम, 1990

धारा 2. परिभाषाएँ – इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) '**वाणिज्यिक कर अधिकारी**' से राज्य सरकार के अधीन उस पदनाम से पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) '**वीडियो फिल्म प्रदर्शन**' के किसी टेलीविजन स्क्रीन पर किसी वीडियो कैसेट रिकार्डर और वीडियो कैसेट प्लेयर के माध्यम से किसी फिल्म का प्रदर्शन अभिप्रेत है;

धारा 3.वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन– (1) उप–धारा (4) में अन्यथा यथोपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति वीडियो फिल्म का प्रदर्शन

(क) धारा 4 के अधीन दी गयी किसी अनुज्ञप्ति के अधीन और अनुसार के सिवाय, और

(ख) उस स्थान से, जिसके कि लिए उसे अनुज्ञप्ति दी गयी है, भिन्न किसी स्थान पर नहीं करेगा।

(2) जहाँ किसी स्थान पर किसी वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किसी सेवा या किसी भी अन्य कारबार के अनुक्रम में किया जाये, वहाँ ऐसे प्रदर्शन को, इस बात का विचार किये बिना कि ऐसे प्रदर्शन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से कुछ प्रभारित किया गया है या नहीं, इस अधिनियम के अधीन प्रदर्शन समझा जायेगा।

(3) वीडियों सिनेमा/पार्लर में प्रवेश के लिए मनोरंजन कर, प्रवेश के संदाय के एक सौ प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें। या ऐसे संयोजित आधार पर, जैसा कि विहित किया जाये, उद्‌गृहीत किया जायेगा, और

(4) उप–धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी कुटुम्ब के निवासीय परिसर में घर के सदस्यों, उनके सम्बन्धियों और व्यक्तिगत मित्रों के लिए किए जाने वाले किसी वीडियो फिल्म के प्रदर्शन पर लागू नहीं होगी।

धारा 4. अनुज्ञप्ति का दिया जाना और फीस/मनोरंजन कर का उद्‌ग्रहण.– (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के दायित्वाधीन होने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के, या यथास्थिति, उसके इस प्रकार दायित्वाधीन होने के 30 दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को विहित प्ररूप में आवेदन करेगा।

(2) किसी अनुज्ञप्ति के आवेदन के साथ ऐसी अनुज्ञप्ति फीस या अन्य फीस, जो समय समय पर विहित की जाये और ऐसे अन्य दस्तावेज, जो विहित किये जायें, होंगे।

(3) वीडियो सिनेमा (पार्लर) में प्रवेश के लिए ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जायें, मनोरंजन कर उद्‌गृहीत किया जायेगा, जो प्रवेश के संदाय के सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी, उसे इस बात का समाधान हो जाने पर–

(क) कि यह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के भी उपबन्धों के विरुद्ध नहीं है;

(ख) कि यह लोकनीति के विरुद्ध नहीं है या लोकहित अथवा राज्य सरकार द्वारा धारा 7 के अधीन जारी किये गये आदेशों या निदेशों के विरुद्ध नहीं है;

(ग) कि प्रदर्शन में प्रविष्ट किये जाने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम को सुनिश्चित कर लिया गया है;

(घ) कि आवेदक को इस अधिनियम या राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का राजस्थान अधिनियम 24) के अधीन के किसी अपराध के कारण पूर्व में सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;

(ङ) कि आवेदक इस बात की अण्डरटेकिंग देगा कि वह व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए प्राधिकृत वैधानिक कैसेट्स ही दिखायेगा,

(च) कि यदि वीडियो फिल्म के प्रदर्शन में किसी केबल वायर अथवा अन्य संयंत्र/साधित्र का उपयोग किया जाता है तो आवेदक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का अधिनियम संख्या 15) के अनुसार किसी सार्वजनिक भूमि, तल, सड़क, मार्ग अथवा स्थान पर से ऐसा वायर, संयंत्र/साधित्र आदि ले जाने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा;

(5) अनुज्ञापन प्राधिकारी, सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, कोई अनुज्ञप्ति देने से इन्कार कर सकेगा।

(6) उप–धारा (5) के अधीन के किसी इन्कार से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इन्कार के आदेश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर वीडियो सिनेमाओं के लिए खण्ड आयुक्त के समक्ष और वीडियो पार्लर के लिए उप–आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष अपील कर सकेगा।

धारा 7. राज्य सरकार की आदेश या निदेश जारी करने की शक्ति– राज्य सरकार समय समय पर और आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, ऐसे आदेश या निदेश जारी कर सकेगी. जिन्हें वह वोडियो फिल्मों के प्रदर्शन पर उचित नियन्त्रण रखने के लिए आवश्यक समझे और ऐसे आदेश या निदेश अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों और निर्बन्धनों में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी प्रभावी होंगे।

धारा 8 किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने की शक्ति– (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी इस बात का समाधान हो जाने पर कि वीडियो फिल्म का प्रदर्शन इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों या ऐसे आदेशों या निदेशों के, जो धारा 7 के अधीन जारी किये जायें, उल्लंघन में है, धारा 4 के अधीन दी गयी किसी अनुज्ञप्ति को आदेश द्वारा निलम्बित कर सकेगा।

(2) कोई अनुज्ञप्ति धारण करने वाला व्यक्ति अपनी अनुज्ञप्ति के निलम्बन की कालावधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रयोजन के लिये किसी वीडियो फिल्म का प्रदर्शन नहीं करेगा।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से किसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा।

धारा 10. दोषसिद्धि पर दण्ड– कोई भी व्यक्ति, जो उसे दो गयी अनुज्ञप्ति के किन्हीं भी निर्बन्धनों, शर्तों या निर्बन्धनों या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध की दशा में, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की

दशा में ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगाः

परन्तु किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसा व्यक्ति ऐसे और जुर्माने से दण्डनीय होगा जो अपराध चालू रहने तक के प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

धारा 11. तलाशी और अभिग्रहण. (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी या आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो कि उप–निरीक्षक, पुलिस से नीचे के पद का न हो, ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति होगी, जिसके बारे में इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों या ऐसे आदेशों या निदेशों के, जो कि धारा 7 के अधीन जारी किये गये हों, उल्लंघन में किसी वीडियो फिल्म के प्रदर्शन के लिये उपयोग में लिये जाने का सन्देह हो ।

(2) तलाशी लेने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी या उप–धारा (1) के अधीन आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के लिये किसी टेलीविजन सैट, वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैसेट प्लेयर, मोनोटरिंग स्क्रीन और वीडियो फिल्म को या किसी वीडियो फिल्म के प्रदर्शन के सम्बन्ध में उपयोग में ली जा रही किसी भी अन्य वस्तु को अभिगृहीत करना विधिपूर्ण होगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के उपबन्ध इस धारा के अधीन के प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध **संज्ञेय** और **जमानतीय** होगा।

धारा 12. वीडियो फिल्म आदि का अधिहरण– धारा 10 के अधीन सिद्धदोष ठहराये जाने की दशा में वीडियो फिल्म, वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैसेट प्लेयर, टेलीविजन सेट या प्रदर्शन के सम्बन्ध में उपयोग में लिये गये अन्य उपस्कर और वस्तुयें ऐसे व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय द्वारा अधिहरणीय होंगे।

भाग–2, लोक संम्पत्ति विषयक विधियां–

शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923

धारा 2 परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक कि कोई

बात विषय या सन्दर्भ में विरूद्ध न हो–

(5) "युद्ध सामग्री" के अन्तर्गत कोई पूरा पोत, पनडुब्बी, वायुयान, टेंक या सदृश इंजिन आयुध और गोलाबारूद, तारपीडो या सुरंग जो युद्ध में उपयोग के लिए आशयित या अनुकूलित हो या उसका कोई भाग तथा ऐसे उपयोग के लिए आशयित, चाहे वास्तविक या प्रस्थापित, कोई अन्य चीज, सामग्री या युक्ति है;

(8) "प्रतिषिद्धि स्थान" से अभिप्रेत है –

(क) कोई रक्षा संकर्म, आयुधशाला, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल का संस्थापन या स्थान, सुरंग क्षेत्र, शिविर पोत या वायुयान जो सरकार का है, या सरकार के उसकी ओर से अधिभोग में है, कोई सैनिक तारयन्त्र या टेलिफोन, जो ऐसे उसके अधिभोग में है और कोई कारखाना, डाकयार्ड या अन्य स्थान जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है, और कोई कारखाना, डाकयार्ड या अन्य स्थान जो ऐसे उसका है या अधिभोग में है, और जिसका उपयोग किसी युद्ध सामग्री के या तत्सम्बन्धी किन्ही रेखाचित्रों, रेखांकों, प्रतिमानों या दस्तावेजों के निर्माण, मरम्मत करने, या भंडार में रखने के प्रयोजन के लिए या युद्ध के समय किन्हीं उपयोगी धातुओं, तेल या खनिजों के प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है;

(ख) कोई ऐसा स्थान, जो सरकार का नहीं है और जहाँ कोई युद्ध सामग्री का तत्सम्बन्ध कोई रेखाचित्र, प्रतिमाह, रेखांक या दस्तावेज सरकार के साथ या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के साथ, संविदा के अधीन या अन्यथा सरकार की ओर से बनाई जा रही, मरम्त की जा रही या प्राप्त की जा रही या भण्डार में रखी जा रही है।

(ग) कोई ऐसा स्थान जो सरकार का है या सरकार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है और जिसकी बाबत केन्द्र सरकार ने, इस आधार पर कि उससे सम्बन्धित जानकारी या उसे नुकसान, शत्रु को उपयोगी होगा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहाँ उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है,

(घ) कोई रेल, सड़क मार्ग या जल सारणी या भूमि मार्ग या जल मार्ग द्वारा संचार के (अन्य साधन जिनके अन्तर्गत उनके भागरूप या उनसे सम्बन्धित कोई संकर्म या संरचनाएं भी है) या गैस, जल या विद्युत संकर्मों या सार्वजनिक प्रकार के प्रयोजनों के लिए अन्य संकर्मों के वास्ते प्रयुक्त कोई स्थान जंहा युद्ध सामग्री या कोई रेखाचित्र प्रतिमान, रेखांक या दस्तावेज सरकार की ओर से बनाए जाने से अन्यथा बनाए जा रहे, मरम्त किये जा रहे या भण्डार में रखे जा रहे है जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने इस आधार पर कि उससे संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहां उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है;

धारा 3 गुप्तचरी के लिए शास्तियां –

(1) यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजनों के लिये–

(क) किसी प्रतिसिद्धि स्थान के समीप जायेगा उसका,निरीक्षण करेगा, उस पर से गुजरेगा या उसके निकट होगा या उसमें प्रवेश करेगा, या

(ख) कोई ऐसा रेखाचित्र रेखांक, प्रतिमान या टिप्पणी बनायेगा या करेगा जो शत्रु के लिये प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकता है, या होने के लिये आशयित है, या

(ग) कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेत की या संकेत शब्द, या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक प्रतिमान, चीज या टिप्पणी या अन्य दस्तावेज, या जानकारी अभिप्राप्त, संग्रहित, अभिलिखित, प्रकाशित या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित करेगा जो शत्रु के लिये प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकता है या होने के लिए आशयित है या ऐसे मामले से सम्बन्धित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के प्रभावित होने की सम्भाव्यता है, तो वह कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि उस दशा में जिसमें वह अपराध किसी रक्षा संकर्म आयुधशाला, नौसेनिक या सैनिक या वायुसैनिक बल के स्थापन या आस्थान, सुरंग सुंरग क्षेत्र कारखाने, डाकयार्ड शिविर, पोत या वायुयान के सम्बन्ध में अथवा अन्य रूप से सरकार के नौसेनिक, सैनिक, या वायुसैनिक बल के कार्यों के सम्बन्ध में या किसी गुप्त शायकीय संकेतकी के सम्बन्ध में किया जाता है चौदह वर्ष तक की तथा अन्य मामले में तीन वर्ष तक हो सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये अभियोजन पर यह दर्शित करना आवश्यक नहीं होगा कि अभियुक्त व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य का दोषी है जिसकी प्रवृति राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयोजन दर्शित करने की है, और इस बात के होते हुए भी उसके विरूद्ध कोई ऐसा कार्य साबित नहीं होता है उसे सिद्ध दोष ठहराया जा सकेगा यदि मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से जैसा कि साबित है यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा उससे सम्बन्धित किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान चीज, टिप्पणी दस्तावेज या जानकारी को या किसी गुप्त शासकीय अथवा संकेत शब्द को विधिपूर्ण प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहें व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा बताया, अभिप्राप्त, संग्रहित अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया जाता है, और मामले की प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्रयोजन था तो ऐसे रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पणी दस्तावेज जानकारी संकेतकी या संकेत शब्द की बाबत यह उपधारित किया जायेगा कि उसे राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजनों के लिए बनाया, अभिप्राप्त, संग्रहित, अभिलिखित, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजनों के लिए बनाया, अभिप्राप्त, संग्रहित, अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया गया था।

धारा 4 विदेश अभिकर्त्ताओं से सम्पर्क का कतिपय अपराधों के लिए किए जाने का साक्ष्य होना – **(1)** धारा 3 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में यह तथ्य की वह, चाहे भारत के भीतर या बाहर किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है या उसने, राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए जानकारी अभिप्राप्त की है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकती है या होने के लिए आशायित है :

- **(2)** इस धारा के प्रयोजन के लिए, परन्तु पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना –

- **(क)** किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है यदि वह या तो भारत के भीतर, या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता का नाम या पता उसके बारे में कोई अन्य जानकारी उसके कब्जे में पाई गई है या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अभिप्राप्त की है,

- **(ख) 'विदेशी अभिकर्ता'** पद के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य भारत के भीतर करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी विदेशी शक्ति द्वारा नियोजित है या रहा है या जिसकी बाबत वह प्रतीत होता है कि उसके ऐसा होने या रहने का संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है अथवा जिसने किसी विदेशी शक्ति के हित में ऐसा कोई कार्य भारत के भीतर या बाहर किया है या करने का प्रयत्न किया है या उसके ऐसा करने पर युक्तियक्त संदेह है,

- **(ग)** किसी ऐसे पते की बाबत चाहे वह भारत के भीतर हो या बाहर, जिसके बारें में यह प्रतीत होता है कि उसके किसी विदेशी अभिकर्ता के लिए आशयित संसूचनाओं की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पता होता है कि उसके किसी विदेशी अभिकर्ता के लिए आशयित संसूचनाओं की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पता होने का सन्देह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, अथवा किसी ऐसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आता जाता है या जिसमें वह कोई कारबार करता है यह उपधारित किया जायेगा कि वह विदेशी अभिकर्ता का पता है और ऐसे पते वाली संसूचनाएं विदेशी अभिकर्ता की संसूचनाएं है।

- **धारा 5 जानकारी की सदोष संसूचना आदि** – यदि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियन्त्रण में कोई ऐसा, गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पणी, दस्तावेज या जानकारी है जो किसी प्रतिषिद्ध स्थान से सम्बन्धित हैं या उसमें प्रयुक्त की जाती है या ऐसे स्थान की किसी चीज से सम्बन्धित हैं अथवा जिसके शत्रु की प्रत्यक्षतः या परोक्षतः सहायता होना सम्भाव्य है, या जो किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभूता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के प्रभावित होने की सम्भाव्यता है या जो अधिनियम के उल्लंघन में बनाई या अभिप्राप्त की गई है। अथवा जो उसे सरकार के अधीन पद धारण करने वाली किसी व्यक्ति द्वारा विश्वासपूर्वक सौंपी गई है अथवा जिसको उसे अभिप्राप्ति या जिस तक उसकी पहुंच उसकी उस स्थिति के कारण हुई जो ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार की ओर से की गई किसी संविदा को धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो उस व्यक्ति के अधीन नियोजित है या कर चुका है जो ऐसा पद या संविदा धारण करता है या कर चुका है –

(क) उस संकेतको या संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी की संसूचना उस व्यक्ति से, जिसे उससे संसूचित करने को वह प्राधिकृत है या किसी न्यायालय से, या उस व्यक्ति से, जिसको राज्य के हितों में, उसे संसूचित करना उसका कर्तव्य है, भिन्न किसी व्यक्ति को जानबूझकर संसूचित करेगा या

(ख) अपने कब्जे में जानकारी का उपयोग किसी विदेशी शक्ति के फायदे के लिए या ऐसी किसी अन्य रीति में करेगा जो राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो, या

(ग) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान चीज, टिप्पण या दस्तावेज को अपने कब्जे या नियंत्रण में प्रतिधृत रखेगा जब कि उसे उसको प्रतिधारित रखने का अधिकार नहीं है या जबकि उसे प्रतिधारित रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है या विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा उसकी वापसी या व्ययन के सम्बन्ध में दिए गए सब निदेशों का पालन करने में जानबूझकर असफल होगा, या

(घ) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज गुप्त शासकीय संकेत की या संकेत शब्द या जानकारी की युक्तियुक्त संभाल करने में असफल होगा या ऐसे आचरण करेगा जिससे उसकी सुरक्षा के लिए संकट पैदा हो जाए, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

- **(2)** यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त शासकीय संकेत की शब्द या किसी रेखांचित्र, रेखांक चीज, प्रतिमान, टिप्पण दस्तावेज या जानकारी को स्वैच्छया प्राप्त करेगा जबकि उस समय जब वह उसे प्राप्त करता है वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह संकेतकी, संकेत शब्द, रेखाचित्र रेखांक प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी इस अधिनियम के उल्लंघन में संसूचित की गई है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

- **(3)** यदि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियन्त्रण में कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण दस्तावेज या जानकारी है जो युद्ध सामग्री से सम्बन्धित है उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः किसी विदेशी शक्ति को, या किसी ऐसी अन्य रीति में जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो संसूचित करेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

- **(4)** इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

- **धारा 6– वर्दियों का अप्राधिकृत उपयोग, रिर्पोटो का मिथ्याकरण, कूटरचना, प्रतिरूपण और मिथ्या दस्तावेज** – यदि कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध स्थान में प्रवेश पाने के या प्रवेश पाने में किसी व्यक्ति को सहायता देने के प्रयोजन के लिए राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए–

- **(क)** किसी नौसैनिक, वायुसैनिक, पुलिस या अन्य शासकीय वर्दी का या उससे लगभग उतनी मिलती जुलती वर्दी का कि उससे धोखा हो सकता है, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उपयोग करेगा या पहनेगा या अपने को ऐसा व्यक्ति मिथ्यारूपेण उपदर्शित करेगा जो किसी भी ऐसी वर्दी का उपयोग करने या पहनने का हकदार या हकदार रहा है,

- **(ख)** मौखिक रूप से किसी घोषणा या आवेदन में लिखित रूप में, या अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज में कोई मिथ्या कथन या कोई लोप जानबूझकर करेगा या करने में मौनानुकूल रहेगा, या

- **(ग)** किसी पासपोर्ट को या किसी नौसैनिक, सैनिक या वायु सैनिक या पुलिस या शासकीय पास, अनुज्ञापन, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या उसी प्रकार की अन्य दस्तावेज को (जो एतत्पश्चात इस धारा में शासकीय दस्तावेज के रूप में निर्दिष्ट है) कूटरचित करेगा, बदलेगा या बिगड़ेगा या ऐसी किसी कूटरचित, शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द सम्यकरुपेण दिया गया या संसूचित किया गया है, प्रतिरूपण करेगा या मिथ्या व्यपदेशन करेगा या किसी शासकीय दस्तावेज गुप्त शासकी संकेतकी शब्द को चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिप्रेत करने के आशय कोई मिथ्या कथन जानबूझकर उपयोग करेगा, या

- **(ड़)** किसी ऐसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को जो सरकार के किसी विभाग का या उसके स्वामित्वाधीन हो या जिसको प्रयोग, निर्माण या प्रदाय सरकार द्वारा किसी ऐसी राजनयिक,

नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाता हो जो सरकार द्वारा नियुक्त या उसके प्राधिकार के अधीन कार्यशील हो, सरकार के विभाग या सम्बन्धित प्राधिकारी के प्राधिकार के बिना अथवा किसी ऐसी डाई मुद्रा या स्टाम्प से लगभग इतने मिलते जुलते है कि उसमें धोखा हो सके किसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प कूटकृत करेगा अथवा किसी कूटकृत डाई, मुद्रा, स्टाम्प को जानबूझकर प्रयुक्त करेगा या अपने कब्जे में या नियन्त्रणाधीन रखेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

- **(2)** यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए – **(क)** किसी शासकीय दस्तावेज की, भले ही वह पूरी अथवा उपयोग के लिए जारी की गई हो या नहीं, प्रतिधारित रखेगा जब कि उसे प्रतिधारित रखने का उसे कोई अधिकार नहीं हैं जबकि उसको प्रतिधारित रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है, या सरकार के किसी विभाग या ऐसे विभाग के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसके लौटाने या व्ययन के सम्बन्ध में दिए गए निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

- **(ख)** केवल अपने प्रयोग के लिए जारी की गई किसी शासकीय दस्तावेज पर कब्जा अन्य व्यक्ति को करने देगा या ऐसे जारी किए गए किसी गुप्त शासकीय या संकेतकी या संकेत शब्द को संसूचित करेगा, या विधिपूर्ण प्राधिकार अथवा प्रतिहेतु के बिना किसी ऐसी शासकीय या संकेतकी या संकेत शब्द को संसूचित करेगा, या विधिपूर्ण प्राधिकार अथवा प्रतिहेतु के बिना किसी ऐसी शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेत की या संकेत शब्द को जो उससे भिन्न किसी व्यक्ति के प्रयोग के लिए जारी किया गया हो अपने कब्जे में लेकर उस व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिसके द्वारा या जिसके प्रयोग के लिए वह जारी की गई थी, या किसी पुलिस अधिकारी को उसे प्रत्यावर्तित करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

- **(ग)** पूर्वोक्त जैसे किसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को विधिपूर्ण प्राधिकार या प्रतिहेतु के बिना विनिर्मित करेगा या विक्रय करेगा अथवा विक्रय करेगा अथवा विक्रय के लिए अपने कब्जे में रखेगा, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

- **(3)** इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

- **(4)** धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्ध, सरकार के सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक मामलों से सम्बद्ध या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी से सम्बन्ध इस धारा के अधीन अपराध के लिए किसी अभियोजन में राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के प्रयोजनार्थ वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन दण्डनीय अपराधों के अभियोजन में राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के लिए लागू होते हो।

- **धारा 7 पुलिस अधिकारियों या संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों के काम में हस्तक्षेप करना** – (1) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी या संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को जो उस प्रतिषिद्ध स्थान के सम्बन्ध में गार्ड, कान्सटेबल, पैट्रोल या वैसे ही अन्य कर्त्तव्य पर लगा हो, बाधित नही करेगा, जानबूझकर मार्ग अवरुद्ध नही करेगा या अन्यथा उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, या अड़चन नहीं डालेगा।

- **धारा 8 अपराधों के किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी देने का कर्तव्य** – प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को, जो निरीक्षक की रैन्क से नीचे नहीं है जो इस निमित्त पुलिस के महा निरीक्षक या आयुक्त द्वारा सशक्त किया गया है या संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को जो गार्ड कान्सटेबल, पैट्रोल या वैसे ही अन्य कर्तव्य पर लगा हो, धारा 3 के अधीन या धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के अधीन किसी अपराध से या संदिग्ध अपराध से सम्बन्धित ऐसी जानकारी, जो उसकी अपनी शक्ति में है, मांग किए जाने पर दे और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो और उसके युक्तियुक्त व्ययों के विनिदान पर, ऐसे युक्तियुक्त समय और स्थान पर हाजिर हो जैसा ऐसी जानकारी देने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।

- (2) यदि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी देने में या पूर्वोक्त रूप से हाजिर होने में असफल होगा तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

- **धारा 9 प्रयत्न उद्दीपन आदि** – जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा या उसका किया जाना दुष्प्रेरित करेगा वह दण्ड से दण्डनीय होगा और अपने विरूद्ध ऐसी रीति में कार्यवाही किए जाने का भागी होगा मानों उसने ऐसा अपराध किया हो।

- **धारा 10 गुप्तचरों को संश्रय देने के लिए शास्ति** – (1) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को संश्रय देगा जिसकी बाबत वह जानता है, या उसके पास इस अनुमान के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो धारा 3 के अधीन या धारा 9 के अधीन सपठित धारा 3 के अधीन अपराध करने वाला है या कर चुका है अथवा अपने अधिभोग में या अपने नियन्त्रण के अधीन किन्ही परिसरों में ऐसे किन्ही व्यक्तियों को जानबूझकर मिलने या समवेत होने देना, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

- (2) उपरोक्त जैसे किसी व्यक्ति को संश्रय देने वाले या उपरोक्त जैसे किन्ही व्यक्तियों को अपने अधिभोग में या अपने नियन्त्रण के अधीन किन्ही परिसरों में मिलने या समवेत होने देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है और जो इस निमित्त पुलिस के महानिरीक्षक या आयुक्त द्वारा सशक्त किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से सम्बन्धी ऐसी जानकारी जो उसकी अपनी शक्ति में है, मांग किए जाने पर दें और यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी जानकारी को देने में असफल रहेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(3) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की

हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा 11 तलाशी वारण्ट–

(1) यदि किसी प्रसीडेन्सी, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट का समाधान शपथ पर जानकारी द्वारा करा दिया जाता है कि यह सन्देह किए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है तो वह एक तलाशी वारण्ट दे सकेगा जो उसमें नामित किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की पंक्ति से नीचे नहीं है, इसके लिए प्राधिकृत करेगा कि वह किसी भी समय किन्हीं परिसरों या स्थान की ओर वहा पाए गए प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी ले और रेखाचित्र रेखांक,

प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज या वैसी ही कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज, जो इस इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध का साक्ष्य है, जो किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है और उसे उन परिसरों या स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति के पास मिले, और जिसके बारे में या जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह सन्देह करने का युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है, अभिगृहीत करे।

(2) जहाँ किसी पुलिस अधिकारी को, जो अधीक्षक की रैन्क से निचे का नहीं है, यह प्रतीत होता है कि मामला महान आपात का है और राज्य के हितों में अविलम्ब कार्यवाही आवश्यक है, वहाँ वह अपने हस्ताक्षर सहित लिखित आदेश से किसी पुलिस अधिकारी को वैसा ही प्राधिकार दे सकेगा जैसा मजिस्ट्रेट के वारण्ट के द्वारा इस अपराध के अधीन दिया जा सकता है।

(3) जहाँ पुलिस अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की गई है वहां वह यथाशीघ्र ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट, प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट को और ऐसे नगर के बाहर जिला या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देगा।

रेल्वे अधिनियम 1989

धारा 2. परिभाषाएं–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) **प्राधिकृत** से रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अभिप्रेत है ; (1क) प्राधिकरण से धारा 4क के अधीन गठित रेल भूमि विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;,

(2) **वहन** से रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों या माल का वहन अभिप्रेत है ;

(3) **दावा अधिकरण** से रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 3 के अधीन स्थापित रेल दावा अधिकरण अभिप्रेत है ;

(11) **डेमरेज** से किसी चल स्टाक के निरोध के लिए अनुज्ञात समय छूट की, यदि कोई हो, समाप्ति के पश्चात् ऐसे निरोध के लिए उद्गृहीत प्रभार अभिप्रेत है ;

(17) **माल–भाड़ा** से माल के वहन के लिए उद्गृहीत प्रभार, जिसके अंतर्गत पोतान्तरण प्रभार, यदि कोई हो, अभिप्रेत है ;

(18) **महाप्रबन्धक** से धारा 4 के अधीन नियुक्त किसी आंचलिक रेल का महाप्रबन्धक अभिप्रेत है ;

(20) **सरकारी रेल** से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन कोई रेल अभिप्रेत है ;

(25) **गैर–सरकारी रेल** से सरकारी रेल से भिन्न कोई रेल अभिप्रेत है ;

(28) **पास** से किसी व्यक्ति को केंद्रीय सरकार या रेल प्रशासन द्वारा दिया गया प्राधिकार अभिप्रेत है जो उसको यात्री के रूप में यात्रा करने के लिए अनुज्ञात करता है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई टिकट नहीं है ;

113. रेल दुर्घटना की सूचना–(1) जब किसी रेल के कार्यचालन के अनुक्रम में, निम्नलिखित में से कोई दुर्घटना होती है, अर्थात् –

(क) ऐसी दुर्घटना जिसमें किसी मानव जीवन की हानि या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में यथापरिभाषित घोर उपहति या सम्पत्ति को ऐसी गंभीर क्षति पहुंची है जो विहित की जाए; या

(ख) ऐसी रेलगाड़ियों के बीच कोई टक्कर जिनमें से कोई एक यात्रियों का वहन करने वाली रेलगाड़ी है; या

(ग) यात्रियों का वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी या ऐसी रेलगाड़ी के किसी भाग का पटरी से उतरना; या

(घ) किसी प्रकार की ऐसी कोई दुर्घटना जिसमें प्रायः मानव जीवन की हानि या यथापूर्वोक्त घोर उपहति या सम्पत्ति की गंभीर क्षति होती है; या

(ङ) किसी अन्य प्रकार की ऐसी कोई दुर्घटना, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे,

तब जहां दुर्घटना हुई है, उस स्थान से निकटतम स्टेशन का स्टेशन मास्टर या जहां कोई स्टेशन मास्टर नहीं है वहां रेल के उस अनुभाग का, जिस पर दुर्घटना हुई है, भारसाधक रेल सेवक बिना विलम्ब के दुर्घटना की सूचना उस जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को देगा जिसकी अधिकारिता के भीतर दुर्घटना हुई है, या उस पुलिस थाने के, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर दुर्घटना हुई है, भारसाधक अधिकारी को देगा या, ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए ।

(2) वह रेल प्रशासन जिसकी अधिकारिता के भीतर दुर्घटना होती है तथा वह रेल प्रशासन जिसकी वह रेल है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बिना विलम्ब के, दुर्घटना की सूचना राज्य सरकार को और उस आयुक्त को देगा जिसकी दुर्घटनास्थल पर अधिकारिता है ।

धारा 114. आयुक्त द्वारा जांच–(1) यात्रियों का वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी के ऐसे दुर्घटनाग्रस्त होने की जिसमें मानव जीवन की हानि या घोर उपहति हुई है जिससे किसी यात्री को स्थायी प्रकृति

की पूर्ण या आंशिक निःशक्तता हुई है, या रेल सम्पत्ति को गंभीर नुकसान हुआ है, सूचना की धारा 113 के अधीन प्राप्ति पर आयुक्त, यथासंभव शीघ्र उस रेल प्रशासन को जिसकी अधिकारिता के भीतर दुर्घटना हुई है, उन कारणों की, जिनसे दुर्घटना हुई है, जांच करने के अपने आशय को अधिसूचित करेगा और साथ ही जांच की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और संसूचित करेगा।

परन्तु आयुक्त किसी ऐसी अन्य दुर्घटना के बारे में भी जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसकी ऐसी जांच करना उसकी राय में अपेक्षित है ।

(2) यदि किसी कारणवश आयुक्त दुर्घटना होने के बाद यथाशक्यशीघ्र जांच करने के लिए समर्थ नहीं है तो वह तद्नुसार रेल प्रशासन को अधिसूचित करेगा ।

धारा 123. परिभाषाएं–इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) दुर्घटना से धारा 124 में वर्णित प्रकार की दुर्घटना अभिप्रेत है;

(ख) आश्रित से मृतक यात्री का निम्नलिखित कोई नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात् –

(i) पत्नी, पति, पुत्र और पुत्री, और यदि मृतक यात्री अविवाहित या अवयस्क है तो उसके माता–पिता;

(ii) माता–पिता, अवयस्क भाई या अविवाहित बहिन, विधवा बहिन, विधवा पुत्रवधु और पूर्व मृत पुत्र की अवयस्क संतान, यदि वह मृतक यात्री पर पूर्ण या आंशिक रूप से आश्रित है;

(iii) पूर्व मृत पुत्री की अवयस्क संतान यदि वह मृतक यात्री पर पूर्ण रूप से आश्रित है;

(iv) पितामह–पितामही, जो मृतक यात्री पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं ।

(ग) **अनपेक्षित घटना से अभिप्रेत है,** –

(1) यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी में या उस पर अथवा किसी रेल स्टेशन की प्रसीमाओं के भीतर प्रतीक्षालय, यात्री सामान घर अथवा आरक्षण या बुकिंग कार्यालय में या किसी प्लेटफार्म पर या किसी अन्य स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा,–

(i) आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्थ में कोई आतंकवादी कार्य किया जाना;

(ii) कोई हिंसात्मक आक्रमण किया जाना अथवा लूट या डकैती किया जाना;

(iii) बलवा किया जाना, गोली मारना या आग लगाया जाना;

(2) यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी से किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश गिर जाना।

धारा 124. दायित्व की सीमा–जब किसी रेल के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई दुर्घटना होती है, जो या तो ऐसी रेलगाड़ियों के बीच टक्कर हो जिनमें एक यात्रियों का वहन करने वाली रेलगाड़ी है अथवा यात्रियों का वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी या ऐसी रेलगाड़ी का कोई भाग पटरी से उतर गया हो या कोई अन्य दुर्घटना हुई हो, तब चाहे रेल प्रशासन की ओर से ऐसा कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम हुआ हो या न हुआ हो जो उस यात्री को, जो क्षतिग्रस्त हुआ है या जिसने हानि उठाई है, उसके बारे में अनुयोजन करने और नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार बनाता है, रेल प्रशासन,

किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मरने वाले यात्री की मृत्यु के कारण हुई हानि के लिए और ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई वैयक्तिक क्षति तथा यात्री के स्वामित्व में ऐसे माल की, जो उसके साथ उस कक्ष में या उस रेलगाड़ी में हो, हानि, नाश, नुकसान, या क्षय के लिए, उस सीमा तक, जो विहित की जाए, और केवल उस सीमा तक ही, प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए यात्रीष के अंतर्गत कर्तव्यारूढ़ रेल सेवक आता है ।

धारा 124क. कष्टदायी दुघर्टना के आधार पर क्षतिपूर्ति–(1) जब रेलवे के कार्य में कोई कष्टदायी दुर्घटना घटित होती हैं, तब चाहे रेलवे प्रशासन की कोई गलत रीति से कार्यवाही या लापरवाही या त्रुटि चाहे हो या यात्री जो क्षतिग्रस्त हो गये हैं या उनके यात्रियों के आश्रित , जिनकी मृत्यु हो गई हैं, ऐसी कार्यवाही को पोषित करने व क्षतिपूर्ति के प्रावरण इसके बारे में क्षति के लिये उतरदायी होगे, जैसा कि विहित किया जाए। केवल उस नुकसान के लिये जो कि दुर्घटना में जिसमें मृत्यु हो या किसी यात्रा को क्षति ऐसी कष्टदायी के परिणामस्वरूप हों,

परन्तु इस धारा के अन्तर्गत किसी भी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा, यदि यात्री की मृत्यु या उसे क्षति निम्न के कारण होती हैं–

(क) उसके द्वारा हत्या या आत्महत्या करने पर,

(ख) स्वंम को घायल कर लेने पर,

(ग) उसके स्वमं के आपराधिक कृत्य से,

(घ) उसके द्वारा नशे की हालात या पागलपन की अवस्था में कोई कृत्य किया जाता हैं,

(ङ) किसी भी प्राकृतिक कारण या बीमारी या चिकित्सकीय या शल्य उपचार तब तक कि इस प्रकार के उपचार उपरोक्त कष्टदायी दुर्घटना के द्वारा कारित नहीं किया गया हैं।

स्पष्टीकरण– इस धारा के अन्तर्गत यात्रियों से अर्थ–

(i) रेल्वे कर्मचारी जो कि डयूटी पर हैं,

(ii) एक व्यक्ति जिसे यात्रा के लिये वैध टिकिट यात्रा के लिय, रेल द्वारा यात्रा के लिये जा रहे यात्रीगण या वैद्य प्लेटफार्म टिकिट लिये व्यक्ति जो कि कष्टदायी दुर्घटना का शिकार हो जाता हैं।

धारा 125. प्रतिकर के लिए आवेदन–(1) धारा 124 या धारा 124क, के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन दावा अधिकरण को निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा –

(क) उस व्यक्ति द्वारा जिसे क्षति पहुंची है या कोई हानि हुई है; या

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा; या

(ग) जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क है, वहां उसके संरक्षक द्वारा; या

(घ) जहां दुर्घटना या अनपेक्षित घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई है वहां मृतक के किसी आश्रित द्वारा या जहां ऐसा आश्रित अवयस्क है वहां उसके संरक्षक द्वारा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रतिकर के लिए किसी आश्रित द्वारा प्रत्येक आवेदन प्रत्येक अन्य आश्रित के फायदे के लिए होगा ।

धारा 126. रेल प्रशासन द्वारा अंतरिम राहत–(1) जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने धारा 125 के अधीन प्रतिकर के लिए कोई आवेदन किया है, अंतरिम राहत का संदाय चाहता है, वहां वह, रेल प्रशासन को अंतरिम राहत के संदाय के लिए, उस धारा के अधीन किए गए आवेदन की प्रति सहित आवेदन कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो रेल प्रशासन ठीक समझता है, उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण आवेदक को अविलम्ब राहत देना अपेक्षित है वहां वह दावा अधिकरण द्वारा धारा 124 या धारा 124 के अधीन संदेय प्रतिकर की वास्तविक रकम का अवधारण किए जाने तक, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे क्षति पहुंची है या जिसे हानि हुई है या उस दशा में जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई है, मृतक के किसी आश्रित को उतनी राशि संदत्त कर सकेगा जितनी वह ऐसी राहत देने के लिए युक्तियुक्त समझता है किन्तु संदत्त राशि ऐसी दर से, जो विहित की जाए, संदेय प्रतिकर की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(3) रेल प्रशासन, उपधारा (2) के अधीन अंतरिम राहत देने के बारे में आदेश करने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उसकी एक प्रति दावा अधिकरण को भेजेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन रेल प्रशासन द्वारा संदत्त किसी राशि को, दावा अधिकरण द्वारा उस समय गणना में लिया जाएगा जब वह संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करे।

धारा 137. उचित पास या टिकट के बिना कपटपूर्वक यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना–(1) यदि कोई व्यक्ति रेल प्रशासन को धोखा देने के आशय से, –

(क) धारा 55 के उल्लंघन में रेल के किसी सवारी डिब्बे में प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा अथवा किसी रेलगाड़ी में यात्रा करेगा; या

(ख) ऐसे किसी एक तरफा पास या एक तरफा टिकट को जो पूर्वतन यात्रा में पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है या वापसी टिकट की दशा में उसके आधे को, जो पहले ही ऐसे उपयोग में लाया जा चुका है, उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा,
तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जो न्यायालय के निर्णय में वर्णित किए जाएंगे, ऐसा दंड पांच सौ रुपए के जुर्माने से कम नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दूरी के लिए जिस तक वह यात्रा कर चुका है एक तरफ के साधारण किराए के या जहां उस स्टेशन के बारे में जहां से वह चला था, कोई संदेह है वहां उस स्टेशन से जहां से रेलगाड़ी आरंभ होकर चली थी, एक तरफ के साधारण किराए के या यदि रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकटों की रेलगाड़ी के आरंभ होकर चलने के पश्चात् परीक्षा की जा चुकी है तो उस स्थान से जहां टिकटों की इस प्रकार परीक्षा की गई थी, या उस दशा में जिसमें उनकी एक से अधिक बार परीक्षा की गई है उस स्थान से, जहां उनकी अंतिम बार परीक्षा की गई थी,

एक तरफ के साधारण किराए के अतिरिक्त उपधारा (3) में वर्णित अधिक प्रभार देने के लिए भी दायी होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिक प्रभार, उस उपधारा में निर्दिष्ट एक तरफ के साधारण किराए के बराबर राशि या दो सौ पचास रुपए दोनों में से जो भी अधिक हो, होगा।

(4) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 65 में किसी बात के होते हुए भी, अपराधी को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने वाला व्यक्ति ऐसी अवधि का, जो छह मास तक की हो सकेगी, कारावास भोगेगा।

धारा 142. टिकटों के अंतरण के लिए शास्ति–(1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस निमित्त प्राधिकृत कोई रेल सेवक या अभिकर्ता नहीं है, –

(क) कोई टिकट या वापसी टिकट का कोई भी आधा भाग विक्रय करेगा या विक्रय करने का प्रयत्न करेगा; या

(ख) कोई ऐसा टिकट, जिस पर सीट या बर्थ का आरक्षण किया जा चुका है या वापसी टिकट का कोई भी आधा भाग या सीजन टिकट किसी को देगा या देने का प्रयत्न करेगा,

जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति उसे लेकर यात्रा कर सके तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा तथा वह टिकट भी जो उसने विक्रय किया हो या जिसके विक्रय करने का प्रयत्न किया हो, अथवा दिया हो या देने का प्रयत्न किया हो, समपहृत हो जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस निमित्त प्राधिकृत रेल सेवक या अभिकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई टिकट क्रय करेगा या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई टिकट अपने कब्जे में लेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि किसी पूर्वोक्त टिकट का क्रेता या धारक उससे यात्रा करेगा या यात्रा करने का प्रयत्न करेगा तो उसका वह टिकट, जो उसने इस प्रकार क्रय या प्राप्त किया है, समपहृत हो जाएगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उचित टिकट के बिना यात्रा कर रहा है और उसके विरुद्ध धारा 138 के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन ऐसा दंड दो सौ पचास रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

धारा 143. रेल टिकटों को उपाप्त करने और प्रदाय करने का अप्राधिकृत कारबार चलाने के लिए शास्ति–(1) यदि कोई व्यक्ति, जो इस निमित्त प्राधिकृत कोई रेल सेवक या अभिकर्ता नहीं है,–

(क) किसी रेल में यात्रा के लिए या किसी रेलगाड़ी में यात्रा के लिए आरक्षित स्थान के लिए टिकट उपाप्त करने और प्रदाय करने का कोई कारबार करेगा; या

(ख) ऐसा कोई कारबार करने की दृष्टि से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टिकट क्रय करेगा या उसका विक्रय करेगा अथवा क्रय करने या विक्रय करने का प्रयत्न करेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसे टिकट भी, जो उसने इस प्रकार उपाप्त किए हों, प्रदाय किए हों, क्रय किए हों, विक्रय किए हों अथवा जिनके क्रय या विक्रय का प्रयत्न किया हो, समपहृत हो जाएंगे

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड एक मास की अवधि के कारावास से या पांच हजार रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

(2) जो कोई इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे ऐसा अपराध किया गया है अथवा नहीं, वह उसी दंड से दंडनीय होगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।

धारा 145. मत्तता या न्यूसेंस–यदि किसी रेल के सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर कोई व्यक्ति–

(क) मत्तता की हालत में होगा;

(ख) कोई न्यूसेंस या अशिष्ट कार्य करेगा अथवा गाली गलौच की या अश्लील भाषा का उपयोग करेगा; या

(ग) जानबूझकर या किसी प्रतिहेतु के बिना रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी सुख–सुविधा में बाधा डालेगा जिससे किसी यात्री की आरामदायक यात्रा पर प्रभाव पड़ता हो, तो वह किसी रेल सेवक द्वारा रेल से हटाया जा सकेगा, और उसके पास या टिकट के समपहरण के अतिरिक्त, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, ऐसा दंड–

(क) प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, एक सौ रुपए के जुर्माने से कम का नहीं होगा; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, एक मास के कारावास से और दो सौ पचास रुपए के जुर्माने से, कम का नहीं होगा।

धारा 151. कतिपय रेल संपत्तियों का नुकसान या विनाश–(1) यदि कोई व्यक्ति, इस आशय से या इस ज्ञान से कि यह नुकसान संभाव्य है कि उससे उपधारा (2) में निर्दिष्ट रेल सम्पत्तियों में से किसी का नुकसान या नाश हो सकता है अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा या अन्यथा, ऐसी संपत्ति का नुकसान करेगा या ऐसी संपत्ति का नाश करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रेल संपत्तियां, रेल की पटरी, पुल, स्टेशनों के भवन और संस्थापन, सवारी डिब्बे या वैगन, लोकोमोटिकव, सिगनल, दूर संचार, विद्युत कर्षण और ब्लाक उपस्कर और ऐसी अन्य सम्पत्तियां हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार यह राय रखते हुए कि उनके नुकसान या नाश से किसी रेल के कार्यचालन को खतरा होना संभाव्य है, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

धारा 164. खतरनाक माल को विधिविरुद्धतया रेल पर लाना–यदि कोई व्यक्ति धारा 67 के उल्लंघन में अपने साथ कोई खतरनाक माल वहन के लिए ले जाएगा या किसी ऐसे माल को वहन के लिए रेल प्रशासन को सौंपेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो

एस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसे माल को रेल पर ले जाने के कारण हुई किसी हानि, क्षति या नुकसान के लिए भी दायी होगा।

धारा 165. घृणोत्पादक माल को विधिविरुद्धतया रेल पर लाना–यदि कोई व्यक्ति, धारा 67 के उल्लंघन में अपने साथ कोई घृणोत्पादक माल वहन के लिए ले जाएगा या ऐसा माल वहन के लिए रेल प्रशासन को सौंपेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और ऐसे माल को रेल पर ले जाने के कारण हुई किसी हानि, क्षति या नुकसान के लिए भी दायी होगा।

धारा 166. सार्वजनिक सूचनाओं को विरूपित करना–यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, –

(क) रेल प्रशासन के आदेश द्वारा रेल या किसी चल स्टाक पर लगाए गए या चिपकाए गए किसी बोर्ड या दस्तावेज को उखाड़ेगा या जानबूझकर नुकसान पहुंचाएगा; या

(ख) किसी ऐसे बोर्ड या दस्तावेज या किसी चल स्टाक पर के किन्हीं अक्षरों या अंकों को मिटाएगा या बदलेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

धारा 167. धूम्रपान–(1) यदि रेलगाड़ी के किसी कक्ष में कोई अन्य यात्री धूम्रपान पर आक्षेप करता है तो कोई भी व्यक्ति उस कक्ष में धूम्रपान नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन किसी रेलगाड़ी या रेलगाड़ी के किसी भाग में धूम्रपान प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988

परिभाषाः–

(1) किसी धार्मिक संस्था के सम्बन्ध मे **" प्रबन्धक"** से अभिप्रेत हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तत्समय, अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उस संस्था के कार्यकलापों,कृत्यों या सम्पतियों का प्रकाशन, प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण करता हैं और इसके अन्तर्गत कोई धार्मिक कृत्यकारी भी हैं,(चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो),

(2) **"राजनीतिक किया कलाप"** के अन्तर्गत किसी राजनीति दल के लक्ष्यों या उद्देश्यों या रातनीतिक प्रकृति के किसी आन्दोलन , समस्या या प्रश्न का, सभाएं, प्रदर्शन,जुलूस, निधि संग्रहण या संवितरण आयोजिक करके, या निदेश या आदेश जारी करके, या किसी अन्य साधन से संप्रवर्तन या प्रचार करने का किया कलाप हैं, और इसके अन्तर्गत संसद, किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय

प्राधिकरण के किसी निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन लङने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी और से ऐसा क्रिया– कलाप भी हैं,

(3) **"राजनीतिक दल"** से अभिप्रेत हैं व्यक्तियों का कोई ऐसा सगम या निकाय,

(i) जो तत्समय प्रवृत,निवार्चन प्रतीक(आरक्षण और आवंटन) के आदेश 1968 के अधीन किसी राजनीतिक दल के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत हुआ हो समझा जाता हैं।

(ii) जिसने किसी विधान मण्डल के निर्वाचन के लिये उम्मीदवार खङे किये है। किन्तु जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश,1968 के अधीन किसी राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत नही है या रजिस्ट्रीकृत हुआ नही समझाा जाता हैं, या

(iii) जो कोई राजनीतिक क्रिया–कलाप करने के लिये या निर्वाचन के माध्यम से या अन्यथा राजनीतिक शक्ति अर्जित करने या उसका प्रयोग करने के लिये संगठित किया गया है।

(च) **"धार्मिक संस्था"** से किसी धर्म या मत के समर्वतन के लिये कोई संस्था अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत धार्मिक उपासना के स्थान के रूप में प्रयुक्त कोई स्थान या परिसर हैं चाहे वह किसी भी नाम या अभिदान से ज्ञात हो।

धारा 3 कतिपय प्रयोजनों के लिये धार्मिक संस्थाओं के उपयोंग का प्रतिषेध – कोई भी धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक, संस्था के, या उसके नियन्त्रण के अधीन , किसी परिसर का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये न तो करेगा और न करने देगा,

(क) किसी राजनीतिक क्रिया कलाप का संप्रवर्तन या प्रचार,या

(ख) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त या सिद्धदोष ठहराये गये किसी व्यक्ति की संश्रय देना ,या

(ग) कोई आयुध या गोला– बारूद जमा करना,या

(घ) तत्समय प्रवृत किसी विधि के उल्लघन में कोई माल या वस्तुएं रखना, या

(ङ) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के बिना कोई सन्निर्माण या किलेबन्दी, जिसके अन्तर्गत तहखाने, बंकर, टावर, दीवारें भी हैं, बनाना या खङी करना ,

(च) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध या किसी न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के उल्लघंन में कोई विधिविरूद्ध या ध्वंसक कार्य करना,या

(छ) कोई ऐसा कार्य करना जिससे विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच असामजंस्य या शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावना की अभिवृद्धि होती है या अभिवृद्धि होने का प्रयास होता हैं,

(ज) कोई ऐसा क्रिया कलाप करना जो भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता के प्रतिकूल हैं , या

(झ) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम,1971 के उपबन्धों के उल्लघन में कोई कार्य करना।

धारा 4. धार्मिक संस्था के भीतर आयुध और गोला बारूद ले जाने पर निर्बन्धन–कोई धार्मिक संस्था या उसका प्रबन्धक, धार्मिक संस्था के भीतर किन्ही आयुधों या गोला–बारूद का, या कोई आयुध या गोला–बारूद ले जाने वाले किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होनें देगा।

परन्तु इस धारा की कोई बात–

(क) सिख धर्म के मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कृपाण धारण करने और लेकर चलने पर लागू नहीं होगी, या

(ख) ऐसे आघुधों पर लागू नहीं होगी जिनका प्रयोग संस्था के रूढि या प्रथा द्वारा स्थापित, किसी धार्मिक संस्कार या अनुष्ठान के भाग के रूप में किया जाता हैं।

धारा 5. कतिपय क्रिया– कलापों के लिये धार्मिक संस्थाओं की निधियों के उपयोग का प्रतिषेध–कोई भी धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक, संस्था की, या उसके नियन्त्रण के अधीन, किन्ही– कलाप के प्रयोजन के लिये या ऐसा कोई कार्य करने के लिये या किसी विधि के अधीन अपराध के रूप में दण्डनीय है, न तो करेगा न करने देगा।

धारा 6. राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिये धार्मिक मंच का प्रतिषेध– कोई भी धार्मिक संस्था या उसका प्रबन्धक, उसके तत्वाधान में आयोजन या हो रहे किसी समारोह,उत्सव सत्संग, शोभा यात्रा या संस्था का उपयोग किसी राजनीतिक क्रियाकलाप के लिये नहीं करने देगा।

धारा 7.शास्तियां–जहां कोई धार्मिक संस्था या उसका प्रबधंक धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वहां प्रबन्धक और ऐसे उल्लंघन से सशक्त प्रत्येक व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 8. इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराने गये या आरोप–पत्रित व्यक्तियों की निरर्हता–

(1) किसी धार्मिक संस्था के किसी प्रबन्धक या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराधों के लिये दोषसिद्ध पर, उसकी पदवी या पद से हटा दिया जायेगा और वह किसी अन्य विधि से इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुये भी, किसी धार्मिक संस्था में प्रबन्धक के रूप में या किसी अन्य हैसियत से नियुक्ति के लिए उसी दोषसिद्ध की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिये हटाया जायेगा।

(2) जहां किसी धार्मिक संस्था का कोई प्रबन्धक या अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त हैं और ऐसे व्यक्ति के अभियोजन के लिये आरोप– पत्र किसी न्यायालय में दाखिल किया जाता है और आरोप पत्र पर विचार करने के पश्चात तथा अभियोजन पक्ष और अभियुक्त की सुनवाई के पश्चात न्यायालय की यह राय है कि प्रथमदृष्टया मामला बनता हैं, वहां उस व्यक्ति को विचारण के लम्बित रहने तक, उसकी पदवी या पद की शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने का आदेश या निर्देश पारित करेगा।

(3) जहां किसी प्रबन्धक या अन्य कर्मचारी को उपधारा (1) के अधीन हटा दिया गया है या उपधारा (2) के अधीन रोक दिया गया हैं , वहां ऐसे हटाने जाने या रोक दिये जाने के परिणामस्वरूप हुई रिक्ती को उस रीति से भरा जा सकेगा जो उस धार्मिक संस्था को लागू विधि में उपबन्धित है।

धारा 9. कतिपय व्यक्तियों का पुलिस को सूचना देने के लिये आबद्ध होना– धार्मिक संस्था का प्रत्येक प्रबन्धक या अन्य कर्मचारी, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर धार्मिक संस्था स्थित हैं, इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी उल्लघंन के बारे में सूचना देने के लिये आबद्ध होगा और ऐसा करने में किसी असफलता के लिये वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860(45 आफ 1860) की धारा 176 के अधीन दायी होगा।

लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984

धारा 2 (ख) :– में लोक सम्पत्ति की परिभाषा दी गई है–''**लोक सम्पत्ति**'' से अभिप्राय है कोई स्थावर या चल सम्पत्ति (मशीन आदि) जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, केन्द्र, प्रान्त या राज्य के अधीन स्थापित किसी नियम या कम्पनी अधिनियम 1956 या कोई संस्थान, समुदाय या उपक्रम जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लोक सम्पत्ति घोषित की गयी है उसे ''लोक सम्पत्ति'' कहते हैं।

धारा 3(1) :– लोक सम्पत्ति को हानि कारित करने वाली रिष्टी के लिये पाँच वर्ष तक का कारावास व आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

धारा 3(2) :– जल, प्रकाश, उर्जा, बिजली, खान, कारखाना, वितरण या आपूर्ति, तेल प्रतिष्ठान पर रिष्टी कारित करने पर छह माह से पाँच वर्ष तक का कारावास व आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

धारा 4 :– अग्नि या विस्फोटक द्वारा लोक सम्पत्ति को हानि पहुँचाने का एक वर्ष से कम नहीं और 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना से दण्ड़ित किया जा सकता है।

धारा 5 :– धारा 3 या 4 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त या सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में तो तब तक जमानत पर नहीं छोडा जाएगा जब तक कि अभियोजन को इस प्रकार के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्रदान न कर दिया हो।

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005

धारा 2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) **बख्तरबंद कार सेवा"** से बख्तरबंद कार के साथ सशस्त्र रक्षकों के अभिनियोजन द्वारा प्रदान की गई सेवा और ऐसी अन्य संबंधित सेवाएं अभिप्रेत है, जो समय–समय पर यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए,

(ख) **"नियंत्रक प्राधिकारी"** से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "**अनुज्ञप्ति** मे धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अनुदत अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(घ) **"अधिसूचना** से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) **"विहित"** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) **"प्राइवेट सुरक्षा"** में, किसी व्यक्ति या संपत्ति अथवा दोनों की संरक्षा या रक्षा करने के लिए, लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत बख्तरबंद कार सेवा की व्यवस्था भी है;

(छ) **"प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण** से किसी औद्योगिक या कारवार उपक्रम या किसी कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं जिनके अन्तर्गत प्राइवेट सुरक्षा गार्डों या उनके पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना भी है. उपलब्ध कराने या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के कारबार में लगा हुआ, सरकारी अभिकरण, विभाग या संगठन से भिन्न, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है।

(ज) **"प्राइवेट सुरक्षा गार्ड"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या दोनों को शस्त्र सहित या उनके बिना प्राइवेट सुरक्षा प्रदान कर रहा है और उसके अंतर्गत पर्यवेक्षक भी है।

(झ) **संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में,** "राज्य सरकार" के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है।

धारा 3. नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के गृह विभाग में संयुक्त सचिव मे अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या समतुल्य अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी।

(2) राज्य सरकार, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उसे ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृंद उपलब्ध करा सकेगी, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

धारा 4. व्यक्तियों या प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति के बिना प्राइवेट सुरक्षा गार्डन रखना या उपलब्ध कराना– कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारवार तभी करेगा या प्रारंभ करेगा, जब उसके पास इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति हो।

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्राइवेट सुरक्षा अधिकरण का कारबार कर रहे हैं, ऐसे प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष अवधि तक और यदि उसने वर्ष की उक्त अवधि के भीतर ऐसी अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन कर दिया हैं तो ऐसे आवेदन के निपटारे तक ऐसा कारबार करता रहेगा।

परन्तु यह और कि कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण विदेश में प्राइवेट सुरक्षा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं करेगा जो ऐसी अनुज्ञा देने के पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा ।

धारा 5. अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता– (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए किसी व्यक्ति से आवेदन पर केवल उसके पूर्व के सम्यक सत्यापन के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।

धारा 6. ये व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति के लिए पात्र नहीं है– (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह–

(क) किसी कंपनी के संप्रवर्तन, उसके बनाने या प्रबंध के संबंध में किसी अपराध के लिए (उसके द्वारा कंपनी के संबंध में किया गया कोई कपट) सिद्धदोष किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित दिवालिया भी है,या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है, जिसके लिए विहित दण्ड दो वर्ष से अन्यून का कारावास है या

(ग) किसी ऐसे संगठन या संगम से सम्पर्क रखता है जिसे उसके ऐसे क्रियाकलापों के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा वा लोक व्यवस्था के लिए खतरा है या ऐसे व्यक्ति के बारे में यह जानकारी है कि वह उन क्रियाकलापों में लिप्त है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं; या

(घ) अवचार या नैतिक अद्यमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए, किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम पर विचार नहीं किया जाएगा. यदि, वह भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है या जिसका स्वत्वधारी या बहुमत शेयर धारक, भागीदार या निदेशक ऐसा है जो भारत का नागरिक नहीं है।

धारा 7 अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन (1) किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा, जो विहित किया जाए।
(2) आवेदक धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के संबंध में ब्यौरे समाविष्ट करते हुए एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित अपने प्राइवेट सुरक्षा गाडों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और धारा 11 के अधीन और पुलिस में रजिस्ट्रीकृत या न्यायालय में लंबित मामलों की, जिनमें आवेदक लिप्त है, शर्तों को पूरा करेगा।
(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ–

(क) यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण किसी राज्य के एक जिले में कार्य कर रहा है तो पांच हजार रुपए की फीस होगी,
(ख) यदि अभिकरण किसी राज्य के एक से अधिक किन्तु पांच जिलों तक में कार्य कर रहा है तो दस हजार की फीस होगी और
(ग) यदि वह संपूर्ण राज्य में कार्य कर रहा है तो पच्चीस हजार रुपए की फीस होगी।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, और संबद्ध पुलिस प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, आवेदन की पूर्ण विशिष्टियों और विहित फीस के साथ प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या तो अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा :

परन्तु आवेदन अस्वीकार किए जाने का कोई आदेश तभी किया जाएगा जब–

(क) आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो, और

(ख) वे आधार, जिन पर अनुज्ञप्ति से इंकार किया जाता है, आदेश में वर्णित किए गए हो।

(5) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति

(क) पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगी, जब तक कि उसे धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन रद्द नहीं कर दिया जाता,

(ख) पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, समय–समय पर पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी, और

(ग) ऐसी शर्तो के अध्यधीन होगी, जो विहित की जाऐ।

धारा 8. अनुज्ञप्ति का नवीकरण–(1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति की तारीख से कम–से–कम पैतालीस दिन पूर्व ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, किया जाएगा और उसके साथ अपेक्षित फीस और इस अधिनियम की धारा 6, धारा 7 तथा धारा 11 के अधीन अपेक्षित अन्य दस्तावेज भी होंगे।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण लिए आवेदन पर सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अंदर आदेश पारित करेगा।
(3) नियंत्रक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे
और लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा :
परन्तु इंकार करने का कोई आदेश आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा।

धारा 9. प्रचालन प्रारंभ करने और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की शर्ते (1) प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, अनुज्ञप्ति अभिशप्त करने के छह मास के भीतर अपने क्रियाकलाप प्रारंभ करेगा।

राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) नियम, 2005

धारा 2. परिभाषाएँ – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(ए) **"अधिनियम"** का अर्थ है निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005;

(बी) **"एजेंसी"** का अर्थ हैः निजी सुरक्षा एजेंसी;

(सी) **"नियंत्रण प्राधिकरण"** का अर्थ है, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत नामित नियंत्रण प्राधिकरण;

(डी) **"फॉर्म"** का मतलब इन नियमों से जुड़ा एक फॉर्म है; तथा

(ई) **"लाइसेंस"** का अर्थ अधिनियम के तहत दिया गया लाइसेंस है।

धारा 3. लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने की रीति – (1) लाइसेंस प्रदान करने के लिए किसी एजेंसी द्वारा प्रत्येक आवेदन, नियंत्रक प्राधिकारी को प्रपत्र में तीन प्रतियों में किया जाएगा।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ –

(ए) एक डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक, जो अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (3) के अनुसार शुल्क के भुगतान को दर्शाता है, जो नियंत्रक प्राधिकारी को देय है।

(बी) फॉर्म में आवेदक का विवरण, उसके पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए।

(सी) फॉर्म में आवेदन का शपथपत्र।

धारा 4. आवेदक के पूर्ववृत्त का सत्यापन – (1) नियम 3 के उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, नियंत्रक प्राधिकारी ऐसी पूछताछ करेगा, जो आवेदन की सामग्री और आवेदक के विवरण को सत्यापित करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) नियंत्रण प्राधिकारी, लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रति और उसके संलग्नकों को सत्यापन के लिए दो प्रतियों में जिला पुलिस अधीक्षक को उसकी रिपोर्ट/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित जिले, जहां एजेंसी अपनी गतिविधियों को शुरू करने का इरादा रखती है, को भेजेगा।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक व्यक्ति, जिसके नाम पर प्रपत्र भरा गया है, के पूर्ववृत्त के सत्यापन के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करेगाः

(i) क्या आवेदक या कंपनी ने पहले व्यक्तिगत रूप से या दूसरों की भागीदारी में किसी निजी सुरक्षा एजेंसी का संचालन किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा

(ii) क्या आवेदक के पास कोई विशेष योग्यता या कौशल है, जो उसके निजी सुरक्षा एजेंसी के संचालन को सुविधाजनक बना सकता हैं।

(4) जिला पुलिस अधीक्षक 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रपत्र में भेजेंगे। रिपोर्ट/अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति वह अपने कार्यालय अभिलेख तथा संबंधित पुलिस थाने में अपने पास रखेगा।

धारा 5. लाइसेंस प्रदान करना – (1) नियंत्रक प्राधिकारी नियम 4 के तहत निर्धारित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद और आवेदक की उपयुक्तता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद और साथ ही आवेदन किए गए संचालन के क्षेत्र के लिए लाइसेंस देने की आवश्यकता के लिए निर्धारित प्रारूप में लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

(2) जिला पुलिस अधीक्षक से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' के बिना कोई भी अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जायेगी।

धारा 6. लाइसेंस की शर्तें– (1) अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट निजी सुरक्षा सेवा से संबंधित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा।

(2) लाइसेंस नियंत्रण प्राधिकारी को लाइसेंस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर एजेंसी बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के नाम, माता–पिता, जन्म तिथि, स्थायी पता, पत्राचार के लिए पता और प्रमुख पेशे की सूचना देगा,

(3) लाइसेंसधारी एजेंसी बनाने वाले व्यक्तियों के पते में किसी भी परिवर्तन या प्रबंधन के किसी भी परिवर्तन के बारे में नियंत्रण प्राधिकरण को इस तरह के परिवर्तन के सात दिनों के भीतर सूचित करेगा।

(4) लाइसेंसधारी निजी सुरक्षा एजेंसी के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान एजेंसी बनाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ या एजेंसी द्वारा नियुक्त या नियुक्त किए गए निजी सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के खिलाफ किसी भी आपराधिक आरोप के बारे में तुरंत नियंत्रण प्राधिकरण को सूचित करेगा। इस तरह के संचार की एक प्रति उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को भी भेजी जाएगी जहां वह व्यक्ति रहता है।

(5) प्रत्येक लाइसेंसधारी निजी सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक मानकों की आवश्यकताओं और इन नियमों में निर्धारित उनके प्रशिक्षण का पालन करेगा, जिस शर्त पर लाइसेंस दिया जाता है।

(6) जैसा कि इन नियमों में प्रदान किया गया है, लाइसेंस प्रदान करने के लिए भुगतान किया गया शुल्क अप्रतिदेय होगा।

धारा 7. निजी सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन – (1) किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त करने से पहले, एजेंसी निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से ऐसे व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में खुद को संतुष्ट करेगी–

(ए) व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त को स्वयं सत्यापित करके।

(बी) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र पर भरोसा करके बशर्ते एजेंसी के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो।

(सी) जिला पुलिस अधीक्षक के अधिकार के तहत हस्ताक्षरित पुलिस अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट पर भरोसा करके।

(2) सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित या नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को एजेंसी को दो प्रतियों में फॉर्म ट जमा करना होगा। यदि व्यक्ति पिछले पांच वर्षों के दौरान एक से अधिक जिलों में रहा है, तो प्रपत्रों की संख्या जिलों के रूप में कई होगी

(3) एजेंसी या तो स्वयं या संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को प्रपत्र भेजकर भरे गए विवरणों की सत्यता की जांच कराएगी।

(4) यदि एजेंसी स्वयं आवेदक के चरित्र और पूर्ववृत्त को सत्यापित करने का निर्णय लेती है, तो वह निम्नलिखित का पता लगाएगीः –

(ए) उस इलाके / इलाकों से आवेदन की पहचान और प्रतिष्ठा जहां वह कथित तौर पर निवास कर रहा है।

(बी) क्या आवेदक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है/विचाराधीन है।

(सी) क्या आवेदक को कभी दोषसिद्ध किया गया है।

(डी) आवेदक की सामान्य प्रतिष्ठा चाहे व्यक्ति को नियुक्त करना या नियोजित करना राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करेगा।

(5) यदि एजेंसी चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए आवेदन को पुलिस को संदर्भित करती है, तो वह आवेदक के फॉर्म को जिला पुलिस अधीक्षक को भेजेगी, जहां एजेंसी का मुख्यालय बैंक ड्राफ्ट या बैंकरों के साथ स्थित है। 100/रुपये चेक का – प्रति फॉर्म के साथ संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को देय है। जिला पुलिस अधीक्षक तब संबंधित पुलिस थानों को प्रपत्र (ओं) को संदर्भित करेगा। और तब पुलिस –

(ए) व्यक्ति की पहचान स्थापित करें और उस इलाके का दौरा करके व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन करें, जहां व्यक्ति रहने या रहने का दावा करता है और इलाके के सम्मानित निवासियों से अपनी पहचान और प्रतिष्ठा का पता लगाता है।

(बी) जिला पुलिस मुख्यालय में पुलिस स्टेशन, संबंधित पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्ड से परामर्श लें।

(सी) विशेष रूप से बताएं कि क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी समय आपराधिक मामला दर्ज किया गया है या यदि उसे कारावास से दंडनीय आपराधिक अपराध का दोषी ठहराया गया है।

(डी) विशेष रूप से टिप्पणी करें कि क्या निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा सत्यापन के तहत व्यक्ति को नियुक्त करने या नियोजित करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा।

(ई) चरित्र और पूर्ववृत्त रूप में व्यक्ति के प्रत्येक दावे पर टिप्पणियां दर्ज करें और सत्यापन की अवधि में आजीविका के साधनों सहित उसकी गतिविधियों के बारे में एक सामान्य रिपोर्ट भी दर्ज करें।

(एफ) सुनिश्चित करें कि चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट चरित्र और पूर्ववृत्त प्रपत्र की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर जारी की जाती है।

(6) किसी व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस की रिपोर्ट को गोपनीय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसे नामित कवर में के एक नामित अधिकारी को संबोधित किया जाएगा।

(7) पुलिस सत्यापन के आधार पर और स्वयं के सत्यापन के आधार पर, एजेंसी फॉर्म में एक चरित्र प्रमाण पत्र जारी करेगी और उसे ऐसी एजेंसी द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति उस का कर्मचारी न हो। एजेंसी का यह प्रमाणपत्र सामान्यतः जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैध होगा।

धारा 8.सुरक्षा प्रशिक्षण – (1) नियंत्रण प्राधिकारी सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। यह प्रशिक्षण कम से कम सौ घंटे की कक्षा निर्देश और साठ घंटे के क्षेत्र प्रशिक्षण की अवधि के लिए होगा, जो कम से कम बीस कार्य दिवसों में फैला होगा। हालांकि पूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कर्मियों को कम से कम चालीस घंटे की कक्षा में केवल एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता होगी।

(2) प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, अर्थात्: –

(ए) सार्वजनिक रूप से आचरण और वर्दी का सही पहनना;

(बी) शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण;

(सी) भौतिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भवन या अपार्टमेंट की सुरक्षा, कर्मियों की सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा;

(डी) अग्निशमन;

(ई) भीड़ नियंत्रण;

(एफ) पहचान पत्र, पासपोर्ट और स्मार्ट कार्ड सहित पहचान पत्रों की जांच करना;

(जी) अंग्रेजी वर्णमाला और अरबी अंकों को पढ़ने और समझने में सक्षम होना चाहिए जैसा कि आमतौर पर पहचान दस्तावेजों, हथियार लाइसेंस, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण पत्रक में पाया जाता है;

(एच) तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों की पहचान;

(आई) प्राथमिक चिकित्सा;

(जे) संकट प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन;

(के) रक्षात्मक ड्राइविंग (बख्तरबंद वाहन के चालक के लिए अनिवार्य और दूसरों के लिए वैकल्पिक);

(एल) गैर–निषिद्ध हथियारों और आग्नेयास्त्रों का संचालन और संचालन (वैकल्पिक);

(एम) भारतीय दंड संहिता, निजी बचाव का अधिकार, पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया। आर्म्स एक्ट (केवल ऑपरेटिव सेक्शन), एक्सप्लोसिव एक्ट (ऑपरेटिव सेक्शन);

(एन) पुलिस और सैन्य बलों में रैंक के बैज;

(ओ) सार्वजनिक और पुलिस में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के हथियारों की पहचान;

(पी) सुरक्षा उपकरणों और उपकरणों का उपयोग (केवल पर्यवेक्षकों के लिए)।

(3) सुरक्षा गार्ड को नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षु को प्रशिक्षण संस्थान या संगठन द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(4) नियंत्रण प्राधिकारी समय–समय पर या तो स्वयं या अपने स्वयं के अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधा के कामकाज का निरीक्षण करेगा। आम तौर पर ऐसा निरीक्षण हर साल कम से कम दो बार किया जाएगा।

(5) सभी एजेंसियां सफल प्रशिक्षुओं की सूची उसके द्वारा निर्दिष्ट तरीके से नियंत्रण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगी।

धारा 9. सुरक्षा गार्डों के लिए शारीरिक फिटनेस का मानक – (1) एक व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त या नियोजित होने के लिए पात्र होगा यदि वह नीचे निर्दिष्ट शारीरिक फिटनेस के मानकों को पूरा करता हैः –

(i) ऊंचाई, 160 ईएमएस (महिला 150 सेंटीमीटर के लिए), ऊंचाई और वजन की मानक तालिका के अनुसार वजन, 4 ईएमएस के विस्तार के साथ छाती 80 ईएमएस (महिलाओं के लिए छाती माप के लिए कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं)।

(ii) नेत्र दृष्टिः दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.06 सुधार के साथ या बिना, रंगहीनता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों में रंग प्रदर्शन को पहचानने और भेद करने में सक्षम होना चाहिए और अंग्रेजी वर्णमाला और अरबी अंकों में प्रदर्शन को पढ़ना और समझना चाहिए। .

(iii) घुटने और सपाट पैर से मुक्त और छह मिनट में एक किलोमीटर दौड़ने में सक्षम होना चाहिए।

(iv) सुनवाईः दोष से मुक्त; बोली जाने वाली आवाज और सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म को सुनने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना चाहिए।

(v) उम्मीदवार के पास खोज करने, वस्तुओं को संभालने और जरूरत पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने में निपुणता और ताकत होनी चाहिए।

(2) उम्मीदवार किसी संक्रमण या संक्रामक रोग के सबूत से मुक्त होना चाहिए। वह किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए जो सेवा से बढ़ सकती है या सेवा के लिए उसे अयोग्य बना सकती है या जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है।

(3) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके लिए काम करने वाला प्रत्येक सुरक्षा गार्ड अपनी पिछली ऐसी परीक्षा से हर बारह महीने के बाद एक चिकित्सा परीक्षा से गुजरता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह प्रवेश स्तर के लिए निर्धारित शारीरिक मानक का रखरखाव जारी रखे।

धारा 10. पर्यवेक्षकों के लिए प्रावधान – (1) अधिक से अधिक पन्द्रह निजी सुरक्षा गार्डों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए एक पर्यवेक्षक होगा।

(2) यदि निजी सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैं और एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके काम की निगरानी करना व्यावहारिक नहीं है, तो एजेंसी अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति करेगी ताकि कम से कम प्रत्येक छह निजी सुरक्षा गार्डों के लिए एक हो। पर्यवेक्षक सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध है।

धारा 11. लाइसेंस की शर्तों का सत्यापन और लाइसेंस की समीक्षा – (1) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी भी निजी सुरक्षा एजेंसी के निजी गार्डों और पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण और कौशल का सत्यापन कर सकता है।

(2) नियंत्रण प्राधिकारी ऐसी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस के जारी रहने या अन्यथा की समीक्षा कर सकता है, जिन्होंने आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो।

धारा 12. लाइसेंस का नवीनीकरण – (1) प्रत्येक एजेंसी अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट की गई वैधता की समाप्ति से कम से कम 45 दिन पहले लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन करेगी।

(2) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होना चाहिएः –

(ए) एक डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक जिसमें धारा 7 की उप–धारा (3) के अनुसार शुल्क का भुगतान दिखाया गया हो, जो नियंत्रक प्राधिकारी को देय हो।

(बी) अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन का विवरण।

(सी) आवेदक का शपथपत्र।

धारा 13. लाइसेंस के नवीनीकरण की शर्तें – नियंत्रक प्राधिकारी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करेगा यदिः–

(i) लाइसेंसधारी के व्यवसाय का मुख्य स्थान नियंत्रक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है;

(ii) लाइसेंसधारी ने अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट समयावधि के भीतर आवेदन दाखिल नहीं किया है;

(iii) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है या अपेक्षित शुल्क/दस्तावेजों के साथ नहीं है;

(iv) लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है;

(v) जिला पुलिस अधीक्षक ने अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट भेजी है;

(vi) लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (2) के तहत अपने निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में विफल रहा है; बशर्ते कि आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ही इनकार करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

धारा 15. एजेंसी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर – एजेंसी द्वारा अधिनियम के तहत बनाए जाने के लिए आवश्यक रजिस्टर फॉर्म एक्स में होगा।

धारा 16. फोटो पहचान पत्र – (1) धारा 17 की उप–धारा (2) के तहत एजेंसी द्वारा जारी किया गया प्रत्येक फोटो पहचान पत्र फॉर्म में होगा।

(2) फोटो पहचान पत्र में पूरे चेहरे की रंगीन छवि, निजी सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, एजेंसी का नाम और उस व्यक्ति की पहचान संख्या होगी जिसे फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है।

(3) फोटो पहचान पत्र में एजेंसी में व्यक्तियों की स्थिति और फोटो–पहचान पत्र के वैध होने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी।

(4) फोटो पहचान पत्र आद्यतित रखा जाएगा और विवरण में कोई भी परिवर्तन उसमें दर्ज किया जाएगा।

(5) निजी सुरक्षा गार्ड को जारी किया गया फोटो–पहचान पत्र इसे जारी करने वाली एजेंसी को वापस कर दिया जाएगा, जब निजी सुरक्षा गार्ड अब उसके द्वारा नियुक्त या नियोजित नहीं होगा।

(6) फोटो–पहचान पत्र के किसी भी नुकसान या चोरी को तुरंत जारी करने वाली एजेंसी के ध्यान में लाया जाएगा।

धारा 17. अन्य शर्तें – (1) इस बात के होते हुए भी कि एजेंसी अपने निजी सुरक्षा गार्डों को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने के लिए बाध्य करती है या नहीं, प्रत्येक निजी सुरक्षा एजेंसी जारी करेगी और इसे अनिवार्य करेगी या इसके सुरक्षा गार्डः –

(ए) एजेंसी को अलग करने वाला एक आर्म बैज;

(बी) संगठन में अपनी स्थिति को इंगित करने के लिए कंधे या छाती का बैज;

(सी) सीटी को सीटी की रस्सी से जोड़ा जाता है और बाईं जेब में रखा जाता है;

(डी) सुराख़ और लेस वाले जूते;

(2) निजी सुरक्षा गार्ड द्वारा सक्रिय ड्यूटी पर पहने जाने वाले कपड़े ऐसे होंगे कि वे उसके कुशल प्रदर्शन में बाधा न डालें। विशेष रूप से वे न तो बहुत तंग हों और न ही बहुत ढीले हों जिससे कि अंगों की गति या झुकने में बाधा उत्पन्न हो।

(3) प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोटबुक और एक लेखन उपकरण ले जाएगा।

(4) प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर रहते हुए अधिनियम की धारा 17 के तहत जारी फोटो–पहचान पत्र को अपने शरीर पर कमर के स्तर से ऊपर के सबसे बाहरी वस्त्र पर विशिष्ट तरीके से प्रदर्शित करेगा।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिनियम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाऐं

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत परिभाषाऐं दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाऐं इस प्रकार है :–

नजूल भूमि :– राज्य सरकार में निहित ऐसी आबादी भूमि जो किसी नगरपालिका, पंचायत गांव या कस्बे या नगर सीमा के भीतर स्थित है।

भू अभिलेख अधिकारी :– भू अभिलेख अधिकारी से अभिप्राय जिलाधीश या कलेक्टर से होगा और उसमें अतिरिक्त तथा सहायक भू अभिलेख अधिकारी भी सम्मिलित होगा।

गांव :– गांव से अभिप्राय उस भूमि खण्ड से होगा जो गांव के रुप में मान्यता प्राप्त हो व अभिलिखित हो चुका हो।

राजस्व बोर्ड की स्थापना और गठन

धारा 4 के अनुसार बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम तीन सदस्य और अधिकतम 15 सदस्य होंगें

राज्य सरकार द्वारा अस्थाई तौर पर इन सदस्यों की संख्या बढाई जा सकती है।

यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र, निष्कासन या अस्थायी अनुपस्थिति से रिक्ति उत्पन्न होती है तो इस स्थिति में बोर्ड का गठन, अमान्य नही होगा, ऐसी स्थिति में बोर्ड का वरिष्ठतम सदस्य जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होगा बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

धारा 5 :– सदस्यो का कार्यकाल

बोर्ड के सभी सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त बने रहेंगे।

धारा 6 :– बोर्ड के बैठने का स्थान

इस बोर्ड का मुख्यालय– अजमेर में स्थित है।

धारा 7 :– राज्य सरकार बोर्ड का रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी जो बोर्ड के कर्तव्यों का निवर्हन करने के लिए आवश्यक है नियुक्त करेगी।

राजस्व बोर्ड की शक्तियां

बोर्ड राजस्थान में भू राजस्व से संबंधित अपील, निगरानी, रिवीजन एवं निर्देश या रेफरेंस का उच्चतम न्यायालय होगा।

इस अधिनियम के अधीन रहते हुए बोर्ड को राज्य के राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण एवं नियन्त्रण की शक्ति प्रदान की गई है।

बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के कार्यों का वितरण कर सकता है और उसे बोर्ड के सदस्यों से न्यायपीठ गठित करने का अधिकार होगा।

बोर्ड की अधिकारिता अध्यक्ष या किसी एक सदस्य द्वारा या किसी न्यायापीठ द्वारा जिसमें दो या दो से अधिक सदस्य हो क्रियान्वित की जा सकती है।

राजस्व बोर्ड के तहत न्यायपीठ

धारा 11 के अनुसार बोर्ड को कोई मामला न्यायपीठ को निर्देशित करने की शक्ति है। बोर्ड के अध्यक्ष या कोई भी अन्य सदस्य किसी मामले के निपटान के लिए वह मामला न्यायपीठ को निर्देश के लिए भेज सकता है यदि उस मामले में कोई विधि का प्रश्न निहित है या विधि का बल रखने वाली कोई प्रथा उस मामले में निहित है।

राजस्व बोर्ड न्यायपीठ द्वारा मामला उच्च न्यायालय को भेजना

धारा 12 के अनुसार न्यायपीठ किसी मामले को उच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकती है। ये मामले इस प्रकार है :–

1. जहाँ न्यायपीठ को यह प्रतीत होता है कि वह मामला सार्वजनिक महत्व का है।
2. उस मामले में उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना वांछनीय है।

प्रादेशिक क्षेत्र

धारा 15 के अनुसार राज्य के राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए निम्नांकित क्षेत्रों में बांटा गया है :

1. संभाग
2. जिला

3. उपखण्ड
4. तहसील
5. उप तहसील

राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा इन क्षेत्रों के निर्माण, समाप्ति या परिवर्तन का अधिकार है।

राजस्व न्यायालयों तथा अधिकारियों की शक्तियां

- आयुक्त, कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रों में भूराजस्व अधिनियम और काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
- बंदोबस्त आयुक्त राज्यभर की भूमि बंदोबस्त के सभी मामलों का भारसाधक है।
- भूअभिलेख निदेशक पूरे राज्य में निम्न मामलों के लिए उतरदायी होगा।
    - सर्वेक्षण करना
    - भूअभिलेखों की तैयारी, पुनिरीक्षण और उनका रखरखाव करना।
- भूअभिलेख, अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में उन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किये गये हैं।

राजस्व अपील प्राधिकरण

- राजस्व अपील अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी और इन अधिकारियों को राजस्व अपील प्राधिकारी से पदाविहित/पदनाम किया जायेगा।
- राजस्व अपील प्राधिकारी की निम्न अधिकारिता होगी –
    1. अपील
    2. पुर्नरीक्षण
    3. निर्देशों को ग्रहण करना और उनका निस्तारण करना।
- अपील – राजस्व न्यायालय के अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील इस अधिनियम के अन्तर्गत ही हो सकेगी अन्य किसी भी विधि के अधीन नहीं होगी।

प्रथम अपील

- धारा 75 के अनुसार निम्नांकित अधिकारियों को प्रथम अपील की जा सकती है :–
- कलेक्टर को तहसीलदार के मूल आदेश के विरूद्ध
- बंदोबस्त अधिकारी व भूराजस्व अधिकारी को राजस्व न्यायालय के आदेश के विरुद्ध
- बंदोबस्त आयुक्त को बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध
- निदेशक भूअभिलेख को भूअभिलेख अधिकारी के आदेश विरूद्ध
- राजस्व अपील प्राधिकारी को सहायक कलेक्टर, एस.डी.ओ, कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध
- राजस्व बोर्ड को आयुक्त, अपर आयुक्त राजस्व अपील प्राधिकरण और बंदोबस्त आयुक्त के आदेश के विरुद्ध

द्वितीय अपील

- धारा 76 के अनुसार प्रथम अपील में पारित किसी भी आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील हो सकती है –

- कलेक्टर के आदेश पर द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को की जा सकती है।
- बंदोबस्त अधिकारी के आदेश पर द्वितीय अपील बंदोबस्त आयुक्त को
- भूअभिलेख अधिकारी के आदेश पर आयुक्त भूअभिलेख को द्वितीय अपील।
- आयुक्त राजस्व अपील प्राधिकारी और बंदोबस्त आयुक्त के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व बोर्ड को की जा सकती है।

ऐसे मामले जिनमें अपील नहीं की जा सकती

- परीसीमा अधिनियम धारा 5 के अन्तर्गत वर्णित आधारों पर यदि किसी अपील या आवेदन का ग्रहण करने का आदेश है।
- पुनिरीक्षण या पुनरावलोकन के लिए किसी आवेदन को नामंजूर करने का आदेश
- ऐसा आदेश जो इस अधिनियम द्वारा अन्तिम आदेश घोषित कर दिया गया हो।
- अन्तरिम आदेश के विरूद्ध ।

अपील की परिसीमा अवधि

- धारा 78 के अनुसार किसी अपील के लिए परिसीमा अवधि निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है :–
- भू अभिलेख अधिकारी को 30 दिनों के भीतर
- राजस्व अपील प्राधिकारी या बंदोबस्त निदेशक भू अभिलेख अधिकारी को आदेश तिथी से 60 दिनों के भीतर
- राजस्व बोर्ड को आदेश तिथि से 90 दिनों के भीतर

राजस्व अपील अधिकारियों की शक्तियां

- धारा 80 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारियों की शक्तियों का वर्णन किया गया हैं।
- अपील प्राधिकारी अपील को ग्रहण कर सकते हैं या अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर अपील को नामंजूर कर सकता है।
- यदि अपील ग्रहण कर ली जाती है तो सुनवाई की तिथि निर्धारित की जायेगी और प्रत्यार्थी को नोटिस दिया जायेगा।
- पक्षकारों को सुनने के बाद प्राधिकारी
  1. जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी पुष्टि कर सकता है उसको बदला जा सकता है या उसके विपरीत आदेश कर सकता है।
  2. अन्वेषण और आगे करने को कह सकता है।
  3. स्वंय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है।
  4. मामले को निर्दशों के साथ निपटारा करने के लिए प्रतिपेषित (वापस भेजना) कर सकता है।

कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग

- अधिनियम की धारा 90 क के अनुसार कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। केवल शर्तों एवं निर्बन्धनों के अन्तर्गत ही ऐसा उपयोग किया जा सकता है :–

- धारा 82 के अनुसार भूमि धारण करने वाला व्यक्ति कृषि भूमि का अन्यथा उपयोग करना चाहता है तो उसे कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से आज्ञा प्राप्त करनी होगी।
- ऐसे उपयोग के लिए उसे सक्षम अधिकारी या कलेक्टर के पास आवेदन करना होगा।
- आवेदन प्राप्त होने पर उस आवेदन की जांच की जाएगी और जांच के पश्चात ही आदेश जारी किया जाएगा।
- जब किसी व्यक्ति को किसी कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य करने की अनुज्ञा दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति पर निर्धारित दरों पर कर या प्रभार का भुगतान करने का दायित्व अधिरोपित किया जाता है।
- यदि बिना अनुज्ञा के ऐसा कार्य किया जाता है तो उसे भूमि से बेदखल किया जा सकेगा।

बकाया भू राजस्व की वसूली की रीतियां

- धारा 228 में राजस्व या लगान की बकाया की वसूली की रीतियों का उल्लेख किया गया है :–
    1. व्यतिक्रमियों में से किसी पर मांग का आदेश पत्र या उपस्थित होने का तलबीपत्र तामील कराकर
    2. किसी जंगम संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा
    3. किसी जोत की कुर्की या विक्रय जिसके संबंध में बकाया है
    4. ऐसी जोत से भिन्न किसी अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा
    5. किसी रिसीवर की नियुक्ति द्वारा

पटवारी

- धारा 31 के अन्तर्गत पटवारी की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जायेगी।
- पटवारी के मुख्य कर्तव्य –
    1. वार्षिक रजिस्टर अभिलेखों का रखरखाव करना और अभिलेखों का रखरखाव करना और सुधार करना।
    2. मण्डल के सभी भूमि धारकों और काश्तकारों से लगान राजस्व और अन्य मांगों को संग्रहित करना।

खसरा

- धारा 112 के अनुसार भू, अभिलेख अधिकारी हर क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लिए खेतों का नक्शा एवं रजिस्टर तैयार करेगा। इसमें प्रत्येक क्षेत्र की सर्वेक्षण संख्या इंगित की जायेगी। इस रजिस्टर को खसरा कहते है। जिसमें निम्नलिखित प्रविशिष्टियाँ होगी –
- भू धारक का नाम
- खेत का क्षेत्र
- सिचाई के स्त्रोत
- वर्तमान एवं पुरानी खसरा संख्याओं का विवरण

अधिकार अभिलेख

- भूमि अभिलेख अधिकारी प्रत्येक गांव के लिए अधिकार अभिलेख तैयार करेगा जिसका उद्देश्य सर्वेक्षण अभिलेख और राजस्व प्रयोजन होगा। इन अधिकार अभिलेखों में निम्न सम्मिलित
- – खेवात
- – खतौनी
- – माफी रजिस्टर

खेवात

- खेवात एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें सर्वेक्षण और अभिलेख के अन्तर्गत क्षेत्र के सभी भू धारकों का विवरण होता है ।
- इस रजिस्टर में भागीदारों, कब्जाधारियों और काश्तकारों के हित एवं अधिकार निर्दिष्ट होते है।

खतौनी

- खतौनी ऐसा रजिस्टर है जिसमें सर्वेक्षण और अभिलेख क्षेत्र में भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों की निम्न विशिष्टीयाँ निर्दिष्ट है –
- भूमि धारक की खाता संख्या
- भूमि धारक का नाम और उसका वर्ग
- हर खेत की सर्वेक्षण संख्या और उसका क्षेत्र
- सिंचाई का स्त्रोत, सर्वेक्षण संख्या सहिंत वार्षिक लगान या राजस्व

माफी रजिस्टर

- **माफी रजिस्टर** – ऐसा रजिस्टर जिसमें बिना लगान एवं राजस्व के भूमि धारण करने वालों का विवरण रहता है।

नामान्तरण

- यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि का कब्जा उत्तराधिकार, अंतरण या विधि द्वारा किसी अधिकार या हित के अन्तर्गत प्राप्त करता है और उसे वार्षिक रजिस्टर में अभिलेखित करना आवश्यक है तो इसकी सूचना गांव के पटवारी को दी जायेगी।
- इस सूचना की रिपोर्ट कब्जा तिथि से तीन महीने के अन्दर तहसील के तहसीलदार को देनी होगी।
- यदि वह व्यक्ति अवयस्क है तो उसकी और से यह सूचना उस सम्पत्ति के संरक्षक द्वारा दी जायेगी।

नामान्तरण की प्रकिया

- प्रत्येक गाँव के लिए नामान्तरण का रजिस्टर रखा जायेगा।
- नामान्तरण की सूचना इस रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में भरी जायेगी।

- पटवारी द्वारा प्रविशिष्टि इस रजिस्टर में अंतरण की प्रविष्टि का सार ग्राम पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और गाँव के सहज दृश्य स्थान पर लगाया जायेगा।
- यदि किसी प्रविष्टि के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा आक्षेप किया जाता है तो वह निर्धारित प्रारूप में और लिखित में तहसीलदार या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को देगा।
- तहसीलदार या प्राधिकृत अधिकारी इन आक्षेप की सम्यक जाँच करायेगा और अतंरण का आदेश यथानुसार देगा।
- नामान्तरण का आदेश तहसीलदार या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नामान्तरण रजिस्टर में अभिलिखित एवं हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- नामान्तरण की निर्धारित फीस का संदाय करना होगा।

दस्तूर गंवई

- दस्तूर गंवई या वाजिब उल अर्ज बंदोबस्त कार्य के दौरान तैयार किया गया गांव के निवासियों का अधिकारों एवं दायित्वों से संबधित रूढियों एवं प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
- इस दस्तावेज में उस गांव की रूढियों एवं प्रथाओं के आधार पर गांव के निवासियों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्यों तथा उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत उल्लेख किया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिनियम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण शब्दावली

1. **कृषि वर्ष** :– इस अधिनियम के तहत कृषि वर्ष से अभिप्राय 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर आगामी 30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष से है।
2. **काश्तकार या कृषक** :– काश्तकार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगा जो स्वयं अपने आप या नौकरों या अभिधारियों द्वारा पूर्णतः अपना जीवन निर्वाह करता है। किन्तु वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगें जो शौक के लिए या उप व्यवसाय के रुप में काश्तकारी करते है।
3. **बिस्वेदार** :– बिस्वेदार से मतलब ऐसे व्यक्ति से होगा जिसे राज्य के किसी भाग में कोई गांव या गांव का कोई भाग बिस्वेदारी पृथानुसार दिया जाता है तथा जो अधिकार अभिलेख में बिस्वेदार या स्वामी के रुप में दर्ज किया गया है। अजमेर क्षेत्र में खेवटदार भी इसी में सम्मिलित है।
4. **फसल** :– फसलों में छोटे वृक्ष, झाडियां, पौधे तथा बेलें जैसे गुलाब की झाडियां, पान की बेलें, मेहंदी की झाडियां, केले तथा पपीता आदि सम्मिलित है किन्तु चारा व प्राकृतिक उपज शामिल नहीं है।
5. **अधिकतम क्षेत्र** :– अधिकतम क्षेत्र से तात्पर्य राज्य में कहीं भी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी हैसियत से भूमि के प्रसंग में भूमि के उस अधिकतम क्षेत्र से होगा जो इस अधिनियम में नियत किया गया है।

   ऐसे परिवार जिनमें 5 या 5 से कम सदस्य हो अधिकतम क्षेत्र तीस एकड तथा पांच से अधिक परिवार के सदस्य के लिए 5 एकड प्रति व्यक्ति भूमि अधिक होगी किन्तु किसी भी परिवार के लिए अधिकतक भूमि 60 एकड से अधिक नहीं होगी।
6. **भू सम्पदा** :– भू सम्पदा से तात्पर्य जागीरदार द्वारा धारित भूमि या जागीर भूमि में किसी हित से होगा तथा उसमें बिस्वेदार या जमीदार या भूस्वामी द्वारा धारित भूमि या भूमि में हित सम्मिलित होगा। भूसम्पदा का धारक भूसम्पदाधारी कहा जाता है।
7. **अनुदान** :– अनुदान से मतलब राज्य के किसी भाग में भूमि धारण करने या भूमि में हित रखने के अनुदान या अधिकार से होगा तथा वह व्यक्ति जिसे उक्त अधिकार दिया जाए वह अनुदानग्रहीता होगा।
8. **उपवन भूमि** :– राज्य के किसी भाग में भूमि का विशिष्ट टुकडा जिस पर वृक्ष ऐसी संख्या में लगे हुए हों कि उक्त भूमि को या उसके किसी अधिकांश भाग को किसी अन्य कृषि प्रयोजन के लिए मुख्यतया काम में लेने से रोकते हों या पूर्णतः बढ जाने पर रोकेंगें तथा उस हेतु लगाये गये वृक्ष उपवन के रुप में माने जायेंगें।
9. **उपवनधारी** :– ऐसा खातेदार जो उपवन भूमि को धारण किए हुए है तथा उसका स्वरुप बनाये हुए है।
10. **जोत या भूमि क्षेत्र** :– भूमि के एक या अधिक टुकडे जो एक पट्टे या बंधक या अनुदान के अधीन धारित हो। किसी व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में कहीं भी धारित भूमि के सभी टुकडे चाहे वह स्वयं जोतता हो या पट्टे पर देता हो, उसकी जोत मानी जाएगी। जहां भूमि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित हो, वहां उन में से प्रत्येक का अंश उसकी पृथक जोत मानी जाएगी चाहे उसका बंटवारा हुआ हो या नहीं।
11. **इजरा या ठेका** :– इजरा या ठेका से तात्पर्य लगान की वसूली के लिये दिये गये फार्म या पट्टे से होगा, वह क्षेत्र जिसके संबंध में इजरा है, इजरा क्षेत्र कहलाएगा तथा ठेकेदार से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जिसे ठेका दिया जाएगा।

12. **जागीरदार** :– ऐसा व्यक्ति जो राज्य के किसी स्थान में जागीर भूमि या जागीर भूमि के हितों को धारण करता हो तथा किसी लागू जागीर कानून के अधीन जागीरदार के रुप में मान्य हो।
13. **सुधार** :– सुधार से तात्पर्य काश्तकार की जोत के संबंध में इस प्रकार होगा :–
    - काश्तकार द्वारा स्वयं के निवास हेतु भूमि क्षेत्र में बनाया गया रहने का भवन या उसके द्वारा अपने भूमि क्षेत्र मे बनाया गया पशुओं का बाडा, भण्डार गृह या कृषि के प्रयोजनार्थ कोई अन्य प्रकार का निर्माण।
    - ऐसा कोई कार्य जिससे भूमि क्षेत्र की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाए। इसमें निम्नांकित कार्य शामिल होंगें :–
        क. कृषि प्रयोजनार्थ जल के संग्रहण, प्रदाय या वितरण हेतु बांधों, तालाबों, कुओं, पानी के नालों तथा अन्य साधनों का निर्माण।
        ख. बाढ आदि से होने वाली क्षति से रक्षा करने हेतु साधनों का निर्माण।
        ग. भूमि का पुनरुद्धार करना, साफ करना, समतल करना या ऊंचा करना।
        घ. भूमि क्षेत्र के पास सुविधा युक्त लाभप्रद उपयोग हेतु निवास हेतु जरुरी भवन।

कृषि हेतु अस्थायी निर्माण इसमें शामिल नहीं होंगें।

14. **खुदकाश्त** :– राज्य के किसी भाग में किसी भी भू सम्पदाधारी द्वारा स्वयं काश्त की गई भूमि जिसमें भूप्रबन्ध अभिलेख में खुदकाश्त, सीर, हवाला, निजी जोत या घर खेड के रुप में अभिलिखित भूमि भी शामिल है।
15. **भूमिहीन व्यक्ति** :– एक व्यवसायी कृषक जो स्वयं काश्त करता है या जिससे काश्त की उम्मीद की जा सकती है किन्तु जो अपने नाम से या सम्मिलित परिवार के किसी सदस्य के नाम से भूमि धारण नहीं करता है या एक मात्र टुकडा रखता है।
16. **भूमि** :– भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जो कृषि कार्यों या उसके अधीन अन्य कार्यों या उपवन या चारागाह हेतु पट्टे पर दी जावे या धारण की जावे तथा उसमें जोत पर स्थित भवनों या वार्डों की भूमि अथवा जल से ढकी भूमि भी सम्मिलित होगी जो सिंचाई हेतु या सिंघाडा या उसकी जैसी फसलें उगाने हेतु काम में ली जा सके।
    परन्तु इसमें आबादी भूमि सम्मिलित नहीं होगी लेकिन भूमि से संलग्न किसी भी चीज से स्थाई रुप से संबंधित वस्तुओं से होने वाले लाभ शामिल होंगें।
17. **भूस्वामी** :– भू स्वामी से तात्पर्य राजस्थान लैण्ड एक्वीजीशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स एक्ट 1963 के अन्तर्गत परिभाषित भू सम्पदा को अपनी व्यक्तिगत या निजी सम्पत्तियों के विषय में प्रसंविदा के अनुसार किए गए केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम रुप से अनुमोदित समझौते के अधीन तथा उसके अनुसार धारण करने वाले राजस्थान की प्रसंविदा के अन्तर्गत रियासतों के नरेश से है।
18. **भूमिधारी** :– भूमिधारी से तात्पर्य राज्य के किसी भाग में उस व्यक्ति से है जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो लगान देता है या जिसे स्वक्त या गर्भित करार के अभाव में लगान देना होगा। इसमें :–
    - भू सम्पत्तिधारी
    - उचित लगान दर पर अनुदान ग्रहीता
    - उप पट्टे की दशा में मुख्य काश्तकार जिसने भूमि पट्टे पर दी है या उसका बंधकग्रहीता
    - इजरेदार या ठेकादार
    - प्रत्येक व्यक्ति जो भूमि सीधे या उसके अधीन धारण करे।

19. **अधिवासित भूमि** :– ऐसी भूमि जो काश्तकार को कुछ समय के लिए किराये पर दी गई हो एवं उसके कब्जे में हो। इसके अन्तर्गत खुदकाश्त की भूमि भी सम्मिलित होगी तथा **अनधिवासित भूमि** से तात्पर्य उस भूमि से होगा जो कब्जे में नहीं है।

    अतिक्रमी के कब्जे में भूमि अधिवासित भूमि में सम्मिलित नहीं है।

20. **गोचर भूमि** :– गोचर भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से होगा जो गांव या गांवों के पशुओं को चराने के काम में आती हो या जो बन्दोबस्त अभिलेख में गोचर भूमि के नाम से दर्ज हो या राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखी गई हो।
21. **लगान** :– लगान से तात्पर्य उससे होगा जो कुछ भी भूमि के उपयोग या अधिवास या भूमि में किसी अधिकार के लिए नकद या जिंस या अंशतः नकद व जिंस के रुप में देय होगा तथा सायर भी इसमें सम्मिलित होगा। सेवा को लगान नहीं माना जाएगा।
22. **सायर** :– सायर में वह सब कुछ सम्मिलित है जो कुछ पट्टेधारी या अनुज्ञाधारी द्वारा अधिवासित भूमि से ऐसी उपज जैसे घास फूस, लकडी, ईंधन, फल, लाख, गोंद, लूंग, पाला, पन्नी, सिंघाडा या ऐसा कूडा करकट जैसे भूमि पर बिखरी हुई हड्डियां या गोबर इकट्ठा करने के लिए या मछली पकडने के अधिकार के लिए या वन संबंधी अधिकारों के लिए या कृत्रिम साधनों से सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी के उपयोग के लिए भुगतान किया जाना हो।
23. **आसामी** :– आसामी से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जो लगान देता है या किसी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संविदा के अभाव में देता है। इसके अन्तर्गत सह आसामी, उपवनधारी, ग्रामसेवक, बंधक ग्रहीता भी सम्मिलित है।
24. **ग्राम सेवा अनुदान** :– ग्राम समुदाय के लिए या ग्राम प्रशासन के संबंध में किसी सेवा के उपज में या उसके परिश्रम के रुप में दिया जाना वाला अनुदान ग्राम सेवा अनुदान है, ऐसा अनुदान ग्राम सेवक द्वारा ग्रहण किया जाता है।
25. **बन्दोबस्त** :– बन्दोबस्त से तात्पर्य लगान या राजस्व या दोनो के बन्दोबस्त या पुनः बन्दोबस्त से है।
26. **शिकमी आसामी** :– राज्य के किसी भी भाग में चाहे किसी नाम से जानने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि के आसामी से लेकर भूमि धारण करता है तथा जिसके द्वारा लगान, अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अभाव में दिया जाता है। इसके अन्तर्गत मालिक या भूस्वामी से भूमि धारण करने वाला आसामी भी सम्मिलित है।

काश्तकारों की श्रेणियां

- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार काश्तकारों की निम्नांकित श्रेणियां होंगीं :–
    1. खातेदार काश्तकार
    2. मालिक
    3. खुदकाश्त काश्तकार
    4. गैरखातेदार काश्तकार

खुदकाश्त अधिकार

- खुदकाश्त अधिकार से तात्पर्य जो इस अधिनियम के अन्तर्गत खुदकाश्त धारियों को दिए गए है।
- खुदकाश्त अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो किसी भू सम्पत्ति धारी की भू सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनता है।

- खुदकाश्त अधिकार विनिमय या खुदकाश्त के विभाजन या जीवन निर्वाह के प्रयोजनार्थ दान में या उपहार में दिये जाने के अतिरिक्त हस्तान्तरणीय नहीं है।
- खुदकाश्त अधिकार का अवसान निम्नांकित परिस्थितियों में होता है :–
  1. भूमिधारी का उत्तराधिकारी नहीं रहने पर
  2. शर्तों का उल्लंघन कर उसका हस्तान्तरण करने पर
  3. नियम विरुद्ध भूमि किराये पर दिए जाने पर
  4. भूमि के अधिकार किसी कानून के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित हो जाए।
  5. जब खुदकाश्त धारी स्वयं खातेदार काश्तकार बन जाए।

भूमियां जिनमें खातेदारी अधिकार नहीं होंगें

1. गोचर भूमि
2. नदी तल या तालाब की भूमि
3. सिंघाडा या अन्य उपज पैदा करने वाली जलमग्न भूमि
4. भूमि जो बदल बदल कर की जाने वाली कृषि या अस्थायी कृषि के लिए प्रयोग में आने वाली भूमि
5. सरकार के स्वामित्व वाले बाग
6. किसी लोक प्रयोजन के कार्य के लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि
7. सैनिक पडाव के लिए नियत भूमि
8. किसी छावनी की सीमाओं के भीतर की भूमि
9. रेल्वे या नहर की सीमा बन्धों के भीतर की भूमि
10. किसी सरकारी वन के सीमा बन्धों के भीतर की भूमि
11. नगर निकायों की खाइयों की भूमि
12. शिक्षण संस्थाओं द्वारा कृषि के शिक्षण के लिए तथा खेल के मैदानों की भूमि
13. सरकार के कृषि फार्म या घास फार्म की भूमि
14. पानी के जलाशयों या टांकों की आरक्षित भूमि

ऐसे मामले जिनमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है

1. जागीर समाप्त होने की तारीख से बतौर जागीरदार या काश्तकार भूमि पर कब्जा साबित नहीं होने पर
2. जागीर का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर
3. कोई जमाबन्दी पेश नहीं करने पर
4. ऐसी भूमि के मामले में जिसमें भूमि खुदकाश्त की परिधि में नहीं आती है।

काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार

1. निवास के लिए मकान का अधिकार
2. लिखित पट्टे एवं प्रतिलेख का अधिकार
3. बेगार का प्रतिषेध
4. पट्टों के रजिस्टीकरण के स्थान पर प्रमाणीकरण का अधिकार
5. लगान से भिन्न संदाय का प्रतिषेध
6. भूमि में स्थित सामग्री के उपयोग का अधिकार
7. कुऐं के नालबट में अधिकार
8. न्यायालय की प्रक्रिया से जब्ती, कुर्की या विक्रय पर रोक का अधिकार

भूमि का समर्पण

- भूमि समर्पण से अभिप्राय है भू अभिधारी द्वारा अपने भूमि क्षेत्र पर से कब्जे का स्वेच्छापूर्वक त्याग कर दे। भू अभिधारी एक मई को या उससे पूर्व अपना कब्जा छोडते हुए भूमि का समर्पण कर सकता है।
- भूमि समर्पण के आवश्यक तत्व इस प्रकार है :–
  1. भूमि के क्षेत्र पर से कब्जे का त्याग किया जाना।
  2. ऐसे त्याग का स्वेच्छापूर्वक होना।
  3. त्याग तहसीलदार या नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत पत्र के माध्यम से किया गया हो।
  4. परित्याग केवल भूमिधारी के पक्ष में ही किया जा सकता है अन्य किसी के पक्ष में नहीं।

भूमि का सुधार

- इस अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत राज्य सरकार या भूस्वामी सम्पूर्ण भाग या उस पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार कर सकते है।
- धारा 66 के अन्तर्गत खातेदार भी अपने भूमि क्षेत्र मे सुधार कर सकता है किन्तु
  1. राज्य सरकार खातेदार द्वारा किये जाने वाले सुधार को किसी क्षेत्र में सार्वजनिक हित में प्रतिबन्धित कर सकेगी
  2. राज्य सरकार ऐसे सुधार के नियमन के लिए नियम बना सकेगी।
- कोई भूस्वामी किसी अन्य काश्तकार की भूमि में भी तहसीदार की अनुमति से सुधार कर सकता है।
- धारा 67 के अनुसार भूमि के सुधार के अधिकार का प्रयोग तहसीलदार की आज्ञा से ही किया जा सकता है। तहसीलदार निम्नांकित परिस्थितियों में भूमि सुधार करने की आज्ञा देने से इंकार कर सकता है :–
  1. यदि कार्य सुधार की परिभाषा में नहीं आता है।
  2. यदि सुधार प्रयोजन के मुकाबले कार्य अधिक खर्चीला है।
  3. कार्य ऐसा है जिसे भूमिधारी को अधिकार नहीं है या सुधार करने की पूर्व में रजामन्दी नहीं ली गई है।

भूमि सुधार से हुई हानि की क्षतिपूर्ति

- धारा 73 के अनुसार यदि कोई भूमिधारी किसी अन्य काश्तकार की भूमि में नियमानुसार सुधार करता है तो वह उस काश्तकार को
  1. ऐसी किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी होगा जो वह सुधार के समय उस काश्तकार को पहुंचाऐ
  2. यदि ऐसे सुधार से किसी भूमि की उत्पादन क्षमता को क्षति हुई है तो तद्नुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

भूमि सुधार के लिए मुआवजा

- धारा 74 के अनुसार कोई काश्तकार सुधार के लिए निम्नांकित दशाओं में मुआवजा पाने का अधिकारी होगा :–
  1. जब उसकी बेदखली के लिए डिक्री या आदेश पारित कर दिया गया हो।
  2. जब उसे विधि विरुद्ध रीति से कब्जा विहीन कर दिया गया हो।

3. जब वह पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भूमि क्षेत्र को खाली कर देता है यदि सुधार धारा 70 के अधीन अन्य काश्तकारों द्वारा किया गया हो।

भूमि सुधार के लिए क्षतिपूर्ति रकम का निर्धारण

- धारा 75 के अनुसार भूमि सुधार के लिए क्षतिपूर्ति की रकम का निर्धारण करते समय निम्नांकित को ध्यान में रखा जाएगा :–
  1. भूमि सुधार के कारण उस भूमि क्षेत्र के मूल्य एवं उपज में सुधार के कारण हुई वृद्धि या कमी की रकम
  2. सुधार की हालत या उसके प्रभावों के कायम रहने की अनुमानित अवधि का
  3. सुधार कार्य करने में लगे श्रम या पूंजी का
  4. अन्य कोई बात जो सुधार कार्य के लिए अनुकूल हो

भूमि सुधार के संबंध में विवाद

- धारा 78 के अनुसार यदि निम्नांकित के संबंध में सुधार से संबंधित कोई विवाद होता है तो सहायक कलक्टर उस विवाद का निर्णय आवेदन पत्र पर करेगा :–
  1. सुधार के विवाद के संबंध में
  2. इस विषय में कि कोई कार्य सुधार है या नहीं
  3. यदि कार्य प्रतिबन्ध करने के बाद भी किया गया है
  4. क्षतिपूर्ति के विषय के संबंध में
  5. क्षतिपूर्ति की रकम के संबंध में
  6. सुधार का लाभ उठाने के संबंध में।

काश्तकारी अधिकारों का अवसान

- धारा 63 के अनुसार काश्तकारी अधिकारों का अवसान निम्नांकित परिस्थितियों में होगा :–
  1. जब वह उत्तराधिकारी छोडे बिना मर जाए।
  2. जब वह भूमि का समर्पण या परित्याग कर दे।
  3. जब उसकी भूमि नियमानुसार अवाप्त कर ली गई हो।
  4. जब उसे भूमि से नियमानुसार बेदखल कर दिया गया हो।
  5. जब उसे कब्जे से वंचित कर दिया गया हो तथा कब्जा लेने के अधिकार की मियाद निकल गई हो।
  6. वह भूमिधारी के समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लेता है या भूमिधारी उसे उत्तराधिकार से या अन्यथ अवाप्त करा लेता है।
  7. वह भूमि को बेच देता है या दान कर देता है।
  8. वह विधिवत पासपोर्ट प्राप्त किए बिना या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना विदेश चला जाता है।
  9. यदि भूमि का आवंटन नियमानुसार रद्द कर दिया जाए या भूमि पुनः सरकार के कब्जे में लिए जाने के आदेश दिए जाए।

बेदखली

- धारा 161 के अनुसार किसी भू अभिधारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है। बेदखली के आधार इस प्रकार है :–
  1. लगान के बकाया की डिक्री के निष्पादन में
  2. जोत के अवैध अन्तरण पर

3. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग किए जाने पर
4. खुदकाश्त, गैर खातेदार एवं शिकमी अभिधारियों की बेदखली के विशिष्ट आधार
5. अतिक्रमण या अतिचार के आधार पर
6. बंधक की अवधि समाप्त हो जाने पर

दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध उपचार

- यदि किसी भूअभिधारी को दोषपूर्ण तरीके से उसकी भूमि से बेदखल कर दिया गया है तो उसके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नांकित उपचार दिए गए है –
- धारा 187 के अन्तर्गत बाद संस्थित करने का अधिकार जिसमें :–
  1. भूमि क्षेत्र के कब्जे के लिए
  2. दोषपूर्ण बेदखली के लिए प्रतिकर के लिए
  3. किये गये किसी सुधार के प्रतिकर के लिए
- धारा 188 के अन्तर्गत दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध व्यादेश

काश्तकारी अधिकारों का परित्याग

- काश्तकारी अधिकारों का परित्याग निम्नांकित परिस्थितियों में माना जाएगा :–
  1. यदि काश्तकार ने जोत पर खेती करना बन्द कर दिया हो।
  2. यदि वह भूमि छोडकर अन्यत्र चला गया है तथा किसी ऐसे व्यक्ति को चार्ज में छोड कर नहीं गया है जो लगान की अदायगी के लिए जिम्मेदार हो।
  3. यदि काश्तकार भूमिधारी को लिखित नोटिस दिये बिना चला गया है तथा लगान देने के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है।

लगान का निर्धारण

- इस अधिनियम के अन्तर्गत लगान की दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :–
- धारा 110 के अनुसार लगान के निर्धारण से पूर्व क्षेत्र को विभिन्न सर्किलों में बांटा जाएगा तथा उन क्षेत्रों में मृदा का वर्गीकरण किया जाएगा।
- धारा 111 के अनुसार दरों का निर्धारण करते समय निम्नांकित को ध्यान में रखा जाएगा :–
  1. काश्तकारों द्वारा पूर्व में भुगतान की गई लगान की दरें
  2. समीपस्थ मुख्य मण्डियों में कृषि उपज की प्रचलित कीमतें
  3. उगाई गई फसलों या उपज की मात्रा का रोटेशन
  4. उपज का मूल्य के 1/6 भाग से अधिक नहीं हो
  5. फसलों का रोटेशन तथा अवकाश काल जो साधारणतया काश्तकारों द्वारा भूमि को दिए जाते है।
  6. राज्य के अन्य भागों में प्रस्तावित दरें
  7. कृषि व्यय तथा काश्तकार के अपने तथा परिवार के निर्वाह का व्यय
  8. ऐसी अन्य बातें जिनका काश्तकारों पर सीधा प्रभाव पडता हो।

लगान की दरों में घटोतरी करने के आधार

- धारा 124 के अन्तर्गत निम्नांकित परिस्थितियों में निर्धारित लगान की दर में घटोतरी की जा सकती है :–
  1. यदि लगान की दर स्वीकृत लगान दरों से अधिक है

2. यदि भूमि के सुधार या अन्य किसी कारण से भूमि की उपज शक्ति में कमी हो गई हो।
3. यदि उसकी भूमि का क्षेत्रफल किसी उचित कारण से कम हो गया हो। जैसे अतिक्रमण या बाढ से मिट्टी बह जाना या भूमि को सार्वजनिक उपयोग में लेना।
4. यदि लगान निर्धारित उच्चतम मात्रा से अधिक है।
5. यदि लगान किसी डिक्री या आज्ञा से घटाने योग्य है।

लगान की उच्चतम सीमा

- लगान की उच्चतम सीमा निम्नांकित परिस्थितियों के अनुसार होगी :–
- भू राजस्व बन्दोबस्त निश्चित हो जाने की दशा में भू सम्पत्ति धारक से भू राजस्व का अधिकतम तीन गुना
- बन्दोबस्त निश्चित हो जाने की दशा में काश्तकार से भू राजस्व का अधिकतम दो गुना
- उपरोक्त दोनो स्थितियों में विधवा, अवयस्क, असमर्थ या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ रहे विधार्थी से डेढ गुना
- जिन्सों की दशा में फसल की समग्र उपज का 1/6 भाग

मोड्यूल (डी) :– औषधि, आयुध एवं विस्फोटक संबधी विधियां

स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार प्रतिषेध अधिनियम –1988

धारा 2 (E) : अवैध व्यापार :– जो कोई व्यक्ति कोका, अफिम आदि की अवैध फसल करता हैं या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ को अपने कब्जे में रखता हैं या उसका क्रय– विक्रय करता हैं तो यह कहा जायेगा कि वह मादक पदार्थों का अवैध व्यापार रहा हैं। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित है–

1. अवैध व्यापार का वित पोषण करने वाले।
2. जो अवैध व्यापार को करने में षडयंत्र रचता हैं या उसका दुष्प्रेरण करता हैं।
3. जो अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों को संश्रय देता हैं।

धारा.3 : अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों का निरोध आदेश जारी करना

(1) इस धारा के तहत केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा निरोध जारी किया जा सकता हैं और यदि राज्य सरकार द्वारा निरोध आदेश जारी किया जाता हैं तो वह सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) यदि राज्य सरकार द्वारा निरोध आदेश जारी किया जाता हैं तो राज्य सरकार उसे अनुमोदन हेतु 10 दिन के अन्दर केन्द्र सरकार को भेजेगी।

(3) जिस व्यक्ति के विरूद्ध निरोध आदेश जारी किया गया हैं उसे आदेश के आधारों की सूचना 5 दिन के भीतर दी जायेगी।

धारा. 8 : यदि जिस व्यक्ति के विरूद्ध निरोध आदेश जारी किया गया हैं, वह फरार हो गया हैं तो उसके विरूद्ध धारा द.प्र.सं. की धारा 82–85 के तहत कार्यवाही की जायेगी और यदि वह फिर भी उपस्थित नही होता हैं

तो उसके विरूद्ध धारा 8 (B) PIT NDPS Act के तहत प्रकरण दर्ज किया जायेगा। (सजा 10 वर्ष)

धारा 9 : सलाहकार बोर्ड का कार्यवाही :–

(1) इस अधिनियम के तहत अलग– अलग स्तरों पर सलाहकार बोर्ड का गठन किया जायेगा जिसमें 3 सदस्य होगे जो उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत न्यायाधीश होगें

(2) जब निरोध आदेश जारी किया जायेगा तो वह 5 सप्ताह के अन्दर सलाहकार बोर्ड को भेजा जाएगा।

(3) सलाहकार बोर्ड मामला अपने पास आने पर उसमें जांच करेगा। जांच के क्रम में बोर्ड द्वारा किसी भी व्यक्ति के बयान लिये जा सकते हैं। कोई भी दस्तावेज मांगा जा सकता हैं। सलाहकार बोर्ड जांच

करने के पश्चात निरोध आदेश जारी होने के 11 सप्ताह के अन्दर– अन्दर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगा।

(4) यदि बोर्ड के सदस्यों में किसी तथ्य को लेकर विरोधाभास हैं तो बहुमत के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

(5) सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट गोपनीय होगी तथा जिस व्यक्ति के विरूद्ध निरोध आदेश जारी किया गया हैं वह जांच में किसी विधि व्यवसाय (अधिवक्ता) की सहायता नही ले सकता हैं।

(6) यदि सलाहकार बोर्ड जांच के बाद यह मानता हैं कि निरोध आदेश सही जारी किया गया है तो समुचित सरकार ऐसे आदेश को नियमित कर सकेगी।

(7) निरोध के आधार उचित प्रतीत नही होता हैं तो उस व्यक्ति को तुरन्त निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

धारा 11: इस अधिनियम के तहत निरोध की अधिकतम अवधि 01 वर्ष होगी।

धारा 12: सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही से संरक्षण

विस्फोटक अधिनियम 1884

धारा 4 :– इस अधिनियम में जब तक कि अन्यथा संदर्भ से अपेक्षित न हो –
(घ) **विस्फोटक** से अभिप्रेत है बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिकोल, गनकाटन, डाइनाइट्रो टालुईन, ट्राई नाइट्रो टालुईन, पिकरिक एसिड, डाई नाइट्रो फिलान, ट्राइ नाईट्रो रिसार्सिनाल, साइक्लो ट्राइ मेथिलिन, ट्राइ नाइट्रामाईन, पेन्टाइरिथ्राल टेट्रा नाईट्रेट, टेट्रिल, नाइट्रो ग्वानिडीन, लेड, एजाइड, लेट स्टाइफेनट, पारे या अन्य धातु का फल्मिनेट, डाइएजोडाइनाइट्रोफिनाल, रंगीन आतिश या अन्य पदार्थ चाहे वह एक रसायन सम्मिश्रण या पदार्थों का सम्मिश्रण हो चाहे वह ठोस तरल या गैसीय हो जिसका प्रयोग या विनिर्माण विस्फोट द्वारा व्यावहारिक प्रभाव उत्पन्न करना या आतिशबाजी करना हो और कुहरा संकेत, आतिशबाजी, पलीते, राकेट, आघात टोपियां, विस्फोटक प्रेरक, कारतूस सभी प्रकार के गोला बारूद और इस खण्ड में यथा परिभाषित विस्फोटक का प्रत्येक अनुकूलन या निर्मित इसके अन्तर्गत है।
निर्यात से भारत के बाहर भूमि, जल, या वायुमार्ग से ले जाना अभिप्रेत है।
आयात से भारत के भीतर भूमि, जल, या वायुमार्ग से लाना अभिप्रेत है।

धारा 5 :– विस्फोटको के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन और आयात का अनुज्ञापन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति

धारा 5 क :– उन व्यक्तियों द्वारा जो कुछ विस्फोटकों का पहले से ही कारबार कर रहे हैं अनुज्ञप्ति के बिना कुछ अवधि के लिए ऐसा कारबार करते रहना।

धारा 6 :– विशेष रूप से भयानक विस्फोटों का निर्माण करने के कब्जे में रखने से निषेध करने की केन्द्र सरकार की शक्ति –
(1) पुर्वगामी धारा के अधीन बनाये गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी केन्द्र सरकार समय– समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा–
(क) पूर्णरूपेण या किन्ही शर्तों के अधीन केन्द्र सरकार ऐसी भयानक प्रकृति के विस्फोटक का निर्माण करने ,कब्जे में रखना या उसका आयात करने का निषेध कर सकती हैं जिसके लिए केन्द्र सरकार की राय में अधिसूचना जारी करना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।
(2) किसी विस्फोट के सम्बन्ध में आयात के बारे में जिसकी इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी हुई हो, सीमा–शुल्क अधिनियम,1962 (52 ऑफ 1962) प्रभावी होगा और जलयान,गाडी या वायुयान जिसमें ऐसे विस्फोटक हो जिसे कि वह उस अधिनियम के अधिनियम के अधीन विनियमित या प्रतिषिद्ध किसी वस्तु के सम्बन्ध में और ऐसी वस्तु से युक्त जलयान,गाडी या वायुयान पर लागू होते हैं।

धारा 6 क :– युवा व्यक्तियों द्वारा और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा विस्फोटों के विनिर्माण कब्जे विक्रय या परिवहन पर प्रतिषेध –
(क) कोई व्यक्ति –
–जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है या
–जो किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता या हिंसा अन्तग्रस्त हो कम से कम छह माह के लिए दण्डादिष्ट किया गया हो दण्डादेश की समाप्ति के पश्चात पांच वर्ष की अवधि में किसी समय या जिसे परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश दिया गया है।

–जिसकी अनुज्ञप्ति नियमों के उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दी गई है पांच वर्ष के दौरान किसी भी समय या

(ख) कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे विक्रय परिदान या प्रेषण के समय खण्ड क के अधीन ऐसे विस्फोटक का विनिर्माण विक्रय, परिवहन, आयात, निर्यात करने या उसे कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध है या विकृतचित्त है।

धारा 9 ख :– कतिपय अपराधों के लिए दण्ड –

(1) अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन में –

क – किसी विस्फोटक का विनिर्माण, आयात, निर्यात करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा।

ख – किसी विस्फोटक को कब्जे में रखेगा उसका प्रयोग करेगा विक्रय करेगा या परिवहन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो तीन हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा।

ग – किसी अन्य मामले में ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई धारा 6 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में किसी विस्फोट का विनिर्माण करेगा उसका कब्जा रखेगा या उसका आयात करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से पांच हजार रूपए तक हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई –

क – धारा 6 क के खण्ड क के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण विक्रय, परिवहन, आयात, निर्यात, करेगा या उसका कब्जा रखेगा

ख – उस धारा के खण्ड ख के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विक्रय परिदान या प्रेषण करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

ग – धारा 8 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी दुर्घटना की सूचना देने में असफल होगा वह –

1. जुर्माने से जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा या

2.यदि दुर्घटना मानव जीवन की हानि हुई है तो कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

धारा 12 :– दुष्प्रेरण और प्रयत्न – उसी दण्ड से दण्डित होगा मानो उसने वह अपराध किया हो।

धारा 13 :– खतरनाक अपराध करनेवाले व्यक्तियों को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति।

औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954

धारा 2. परिभाषाएं–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "विज्ञापन के अन्तर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, लपेटन, या अन्य दस्तावेज, और मौखिक रूप से या प्रकाश, ध्वनि या धुआं उत्पन्न या पारेषित करके, की गई घोषणा भी है;

(ख) "औषधि के अन्तर्गत निम्नलिखित है,–

(i) मनुष्यों या पशुओं के आन्तरिक या बाह्य उपयोग के लिए कोई औषध;

(ii) ऐसा कोई पदार्थ, जो मनुष्यों या पशुओं में रोग के निदान, रोगमुक्ति, रोग का शमन, रोग की चिकित्सा या निवारण के लिए, या उसमें, उपयोग के लिए आशयित है;

(iii) खाद्य से भिन्न कोई वस्तु, जो मनुष्यों अथवा पशुओं के शरीर की संरचना या किसी आंगिक क्रिया को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने, या उस पर असर डालने के लिए आशयित है;

(iv) कोई वस्तु, जो उपखण्ड (i) (ii) (iii) और में निर्दिष्ट किसी औषध, पदार्थ या वस्तु के घटक के रूप में प्रयोग के लिए आशयित है;

(ग) "चमत्कारिक उपचार के अंतर्गत है–ऐसा तलिस्मा, मन्त्र, कवच और किसी भी प्रकार का अन्य जादू–टोना, जिसमें मनुष्यों अथवा पशुओं के रोग के निदान, रोगमुक्ति, रोग में कमी करने या रोग की चिकित्सा या निवारण के लिए, या में, या मनुष्यों अथवा पशुओं के शरीर की संरचना या किसी आंगिक क्रिया को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने या उस पर असर डालने के लिए अद्‌भूत शक्तियां होना अभिकथित है;

धारा 3. कुछ रोगों और विकारों की चिकित्सा के लिए कुछ ओषधियों के विज्ञापन का प्रतिषेध–इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, किसी ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा जिसमें किसी औषधि के प्रति निर्देश ऐसे शब्दों में किया गया है जिनसे यह धारणा बनती है या यह प्रकल्पित है कि वह औषधि निम्नलिखित के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है,–

(क) स्त्रियों का गर्भपात करना अथवा स्त्रियों में गर्भधारण का निवारण ,अथवा

(ख) लैंगिक आनन्द के लिये मनुष्यों की क्षमता बनाये रखना या उसे बढाना, अथवा

(ग) स्त्रियों के ऋतुस्त्राव विकारों को ठीक करना,अथवा

(घ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग ,विकार या दशा का ,अथवा किसी ऐसे अन्य रोग, विकार या दशा का, जो अधिनियिम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किये जाएं, निदान ,रोगमुक्ति , उसमें कमी करना या उसकी चिकित्सा का निवारणः

परन्तु ऐसा कोई नियम

(i) किसी ऐसे रोग,विकार या दशा के सम्बन्ध में ही बनाये जायेगा, जिसके लिये, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के परामर्श से, समय पर चिकित्सा अपेक्षित हैं या जिसके लिये सामान्यत कोई मान्य उपचार नही हैं,

(ii) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 (1940 का 23) के अधीन गठित औषधि तकनीक सलाकार बोर्ड से और , यदि केन्द्रिय सरकार आवश्यक समझे तो ,आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव ही बनाया जाएगा।

धारा 4. ओषधियों के सम्बन्ध में भ्रामक विज्ञापनों का प्रतिषेध–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति किसी औषधि के सम्बन्ध में किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा यदि उस विज्ञापन में कोई ऐसी बात है,–

(क) जिससे उस औषधि की वास्तविक प्रकृति के बारे में कोई मिथ्या धारणा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः बनती है; अथवा

(ख) जिसमें उस औषधि के लिए कोई मिथ्या दावा किया गया है; अथवा

(ग) जो अन्यथा किसी तात्त्विक विशिष्ट में मिथ्या या भ्रामक है ।

धारा 5. कुछ रोगों और विकारों की चिकित्सा के लिए चमत्कारिक उपचारों के विज्ञापन का प्रतिषेध–कोई व्यक्ति जो चमत्कारिक उपचार करने की वृत्ति करता है या जिसका ऐसी वृत्ति करना तात्पर्यित है, किसी ऐसे चमत्कारिक उपचार के, जिसमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः यह दावा किया गया है कि वह धारा 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रभावकारी है, किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा ।

धारा 6. कुछ विज्ञापनों के भारत में आयात या भारत से निर्यात का प्रतिषेध–कोई व्यक्ति, ऐसे राज्यक्षेत्रों में, जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है, किसी ऐसी दस्तावेज का आयात, या उन राज्यक्षेत्रों से निर्यात नहीं करेगा, जिसमें धारा 3, या धारा 4, या धारा 5 में निर्दिष्ट प्रकार का कोई विज्ञापन हो और ऐसे विज्ञापनों वाली दस्तावेज ऐसा माल समझी जाएंगी जिसका आयात या निर्यात सी कस्टम ऐक्ट, 1878 (1878 का 8) की धारा 19 के अधीन प्रतिषिद्ध है और उस अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे, सिवाय इसके कि उसकी धारा 183 का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो उसके अंग्रेजी पाठ में, "देगा शब्द के स्थान पर **दे सकेगा** शब्द रखे गए हों।

धारा 7. शास्ति–जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह, सिद्धदोष ठहराए जाने पर,–

(क) प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से;

(ख) किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 8. प्रवेश, तलाशी आदि की शक्तियां–(1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत है,–

(क) किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन वहां कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह आवश्यक समझे, किसी भी उचित समय पर, प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) ऐसा कोई विज्ञापन अभिगृहीत कर सकेगा, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है।

परन्तु इस खण्ड के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग, किसी ऐसी दस्तावेज, वस्तु या चीज के लिए, जिसमें ऐसा कोई विज्ञापन अन्तर्विष्ट है, उस दस्तावेज, वस्तु, या चीज की अन्तर्वस्तु सहित, यदि कोई हो, किया जा सकेगा, यदि वह विज्ञापन इस कारण कि वह उत्कीर्णित है या अन्यथा, उस दस्तावेज, वस्तु, या चीज से उसकी समग्रता, उपयोगिता या विक्रय मूल्य पर प्रभाव डाले बिना, अलग न किया जा सकता है;

(ग) खण्ड (क) में उल्लिखित किसी स्थान में पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य किसी भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा, और, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है तो, उसे अभिगृहीत कर सकेगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को, यथाशक्य, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 98 के अधीन जारी किए गए वारण्ट के प्राधिकारी के अधीन ली गई किसी तलाशी या किए गए किसी अभिग्रहण को लागू होते हैं ।

(3) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है वहां वह, यथाशक्य शीघ्र, किसी मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तिला देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के सम्बन्ध में उससे आदेश प्राप्त करेगा।

धारा 9क. अपराधों का संज्ञेय होना–दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

धारा 10. अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता–प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

धारा 10क. समपहरण–जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है वहां वह न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि कोई भी दस्तावेज (समस्त प्रतियों सहित) वस्तु या चीज, जिसकी बाबत उल्लंघन किया गया है, उसकी अन्तर्वस्तु सहित, जहां ऐसी अन्तर्वस्तु धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अभिगृहीत की जाती है वहां, सरकार को समपहृत हो जाएगी।

मोड्यूल (ई) : अन्य विधियां

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सक्षम प्राधिकारी

धारा 2 (ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी है :–

1. लोकसभा या राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या किसी संघ राज्य क्षेत्र की दशा में, जिसकी ऐसी सभा है, का अध्यक्ष।
2. उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति।
3. किसी उच्च न्यायालय की दशा में उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति।
4. संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल।
5. संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रकाशक।

सूचना–धारा 2 (च) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार किसी भी रुप में, इलेक्ट्रिक अभिलेखों सहित, धारित कोई अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, संविदा रिपोर्ट, आंकडों संबंधी सामग्री जो किसी लोक प्राधिकारी के नियन्त्रण या अधीन हो, सूचना है।

धारा 11–पर व्यक्ति सूचना (थर्ड पार्टी इनफोरमेशन) –सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जहां किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय रखने का आवेदन किया गया है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां लोक सूचना अधिकारी पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को लिखित सूचना देगा कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं तथा सूचना प्रकट करते समय उसके निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा। किन्तु यदि सूचना का प्रकटन उसके व्यक्तिगत हित से लोक हित में है तो सूचना का प्रकटन किया जा सकेगा।

धारा 10–सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पृथक्करणीयता :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जहां सूचना तक पहुंच के किसी अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां अभिलेख के उस भाग तक सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना नहीं है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है । ऐसी सूचना युक्तियुक्त रुप से पृथक की जा सकती है, यही पृथक्करणीयता है।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों की बाध्यताए–

प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को ऐसी रीति या रुप मे रखेंगें जिससे उनकी पहुंच को सुकर बनाया जा सके।

1. अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों तथा संबंधित कार्यों को अधिनियम के अधिनियमित होने के 120 दिन के अन्दर प्रकाशित करेगा तथा उसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा।

2. महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय जनता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को प्रकाशित करेगा।
3. प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा।
4. यह प्रयास करेगा कि स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अन्तराल पर सूचना उपलब्ध कराता रहे ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पडे।
5.

धारा 8 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नांकित परिस्थितियों में सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी –

1. सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता एवं अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता है।
2. जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वार अभिव्यक्त रुप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है।
3. जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विशेषाधिकार का भंग होता है।
4. जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो तथा इस बात की संभावना नहीं है कि सूचना के प्रकटन से लोक हित का समर्थन होता है।
5. लोक हित के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना।
6. किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
7. जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालता हो।
8. सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकडे जाने या अभियोजन की क्रिया में अडचन डालें
9. मंत्रीमण्डल के कागजात, जिसमें मंत्रीपरिषद्, सचिवों व अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है, किन्तु किसी मामले में विनिश्चय के बाद जनता के लिए उपलब्ध करवाये जाऐंगें।
10. लोक हित के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना जिसका प्रकटन किसी लोक क्रिया कलाप या हित से संबंध नहीं है तथा जिससे किसी व्यक्ति की एकान्तता का अतिक्रमण होता हो।
11. शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अन्तर्गत कोई सूचना, यदि सूचना का प्रकटन लोक हित में नहीं हो।

जब किसी सूचना के प्रकटन को अस्वीकार किया जाता है तो धारा 9 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति को अस्वीकृति के आधार बताए जाऐंगें।

धारा 12 – केन्द्रीय सूचना आयोग का संगठन :– सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अनधिक केन्द्रीय सूचना आयुक्त से मिलकर बनाया जाएगा। सदस्य विधि, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, समाज सेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का ज्ञान व अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्ति होंगें।

मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य केन्द्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति :–

मुख्य सूचना आयुक्त तथा केन्द्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा निम्नांकित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी :–

- प्रधानमन्त्री जो समिति का अध्यक्ष होगा।
- लोकसभा में विपक्ष का नेता।
- प्रधानमन्त्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रीमण्डल का एक मंत्री।

मुख्य सूचना आयुक्त तथा केन्द्रीय सूचना आयुक्त पांच वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसके पश्चात पद ग्रहण नहीं करेंगें तथा पुर्ननियुक्ति के पात्र नहीं होंगें।

धारा 14 – मुख्य सूचना आयुक्त तथा केन्द्रीय सूचना आयुक्तों को पद से हटाये जाने की प्रकिया

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य सूचना आयुक्त तथा केन्द्रीय सूचना आयुक्तों को पद से निम्नांकित परिस्थितियों में हटाया जा सकता है :–

- उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात दी गई रिपोर्ट के आधार पर कदाचार या असमर्थता पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय द्वार जांच रिपोर्ट दिए जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश होने तक उसे निलम्बित किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति द्वारा निम्नांकित मामलों में भी पद से हटाने की शक्ति है –
  - दिवालिया होने पर
  - किसी नैतिक अद्यमता के मामले में अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाने पर
  - अन्य किसी वैतनिक नियोजन में लगने पर
  - राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर
  - ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त करने पर जिससे उसके पद के कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो।

धारा 15:– राज्य सूचना आयोग का संगठन :– सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार राज्य सूचना आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अनधिक राज्य सूचना आयुक्त से मिलकर बनाया जाएगा। सदस्य विधि, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, समाज सेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का ज्ञान व अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्ति होंगें।

मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु प्रकिया

मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्त राज्यपाल द्वारा निम्नांकित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी :–

- मुख्यमन्त्री जो समिति का अध्यक्ष होगा।
- विधानसभा में विपक्ष का नेता।
- मुख्यमन्त्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रीमण्डल का एक मंत्री।

मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त पांच वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसके पश्चात पद ग्रहण नहीं करेंगें तथा पुर्ननियुक्ति के पात्र नहीं होंगें।

धारा 17 :– मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को पद से हटाये जाने की प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को पद से निम्नांकित परिस्थितियों में हटाया जा सकता है :–

- उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात दी गई रिपोर्ट के आधार पर कदाचार या असमर्थता पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय द्वार जांच रिपोर्ट दिए जाने के बाद राज्यपाल के आदेश होने तक उसे निलम्बित किया जा सकता है।
- राज्यपाल द्वारा निम्नांकित मामलों में भी पद से हटाने की शक्ति है –
    - दिवालिया होने पर
    - किसी नैतिक अधमता के मामले में अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाने पर
    - अन्य किसी वैतनिक नियोजन में लगने पर
    - राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर
    - ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त करने पर जिससे उसके पद के कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो।

विधि–विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967

धारा 3. किसी संगम के विधि–विरूद्ध होने की घोषणा –

1. केन्द्रीय सरकार ऐसे संगम को, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विधि–विरूद्ध घोषित कर सकेगी।

2. हर अधिसूचना में वे आधार जिन पर वह निकाली गई ऐसी विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट होंगी।

3. ऐसी कोई अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक उसमें की गई घोषणा का अधिकरण ने धारा 4 के अधीन किसी आदेश द्वारा पुष्टि न कर दी हो और वह आदेश राजपत्र में प्रकाशित न कर दिया गया हो।

4. हर अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाने के अतिरिक्त कम से कम एक दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित की जाएगी जिसका परिचालन उस राज्य में हो। तामील करने में निम्नलिखित सभी या कोई ढंग अनुसरित किए जा सकेंगे अर्थात् –

(क) अधिसूचना की एक प्रति कार्यालय के किसी सहज दृश्य भाग में लगाना,

(ख) अधिसूचना की एक प्रति की, संगम के प्रधान पदाधिकारियों पर तामील करना।

(ग) अधिसूचना की अन्तर्वस्तुओं को उस क्षेत्र में जिसमें संगम के क्रियाकलाप किये जाते है लाउडस्पीकरों द्वारा उदघोषित करना।

धारा 7. किसी विधि विरूद्ध संगम की निधियों से उपयोग का प्रतिषेध करने की शक्ति –

1. जहाँ कि धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना उपधारा 3 के अधीन प्रभावी हो गई है, कोई संगम विधि विरूद्ध घोषित किया जा चुका है और केन्द्र सरकार का ऐसी जाँच के पश्चात् समाधान हो गया है कि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में कोई ऐसे धन प्रतिभूतियाँ है जो उस विधि विरूद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जा रहे है वहाँ केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति की धनों, प्रतिभूतियों को केन्द्रीय सरकार के लिखित आदेशों के अनुसरण के सिवाय संदत्त परिदत्त या अन्तरित करने से लिखित आदेश द्वारा प्रतिषिद्धि कर सकेगी और आदेश की एक प्रति की तामील इस प्रकार प्रतिषिद्ध व्यक्ति पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी।

केन्द्रीय सरकार और उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रतिषेधात्मक आदेश की एक प्रति अन्वेषणार्थ सरकार के किसी ऐसे राजपत्रित ऑफिसर को पृष्ठांकित कर सकेगी, जिसे वह चुने। जिसके अधीन ऐसा ऑफिसर उस व्यक्ति के जिसे वह आदेश निर्दिष्ट है ऐसे व्यक्ति की धनों, प्रतिभूतियों या पावतियों में, जिसके बारे में संदेह हो कि वे विधि विरूद्ध संगम के प्रयोजन के लिए आशयित है पूछताछ कर सकेगा।

3. किसी आदेश की प्रति की तामील, उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए द.प्र.सं. 1973 में उपबन्धित है।

उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रतिषेधात्मक आदेश से व्यथित, व्यक्ति ऐसे आदेश की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर, जिला न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि जिन धनों, प्रतिभूतियों या पावतियों के संबंध में वह प्रतिषेधात्मक किया गया है वे विधि–विरूद्ध संगम के प्रयोजनों के

लिए उपयोग में नहीं लाए जा रहे है और जिला न्यायाधीश का न्यायालय इस प्रश्न का विनिश्चय करेगा।

5. उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी अन्वेषण के अनुक्रम में प्राप्त कोई भी सूचना सरकार के किसी राजपत्रित ऑफिसर द्वारा, केन्द्रीय सरकार की सम्मति के बिना, प्रकट नहीं की जाएगी।

6. इस धारा में '' **प्रतिभूति** '' के अन्तर्गत ऐसी दस्तावेज आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह धन का संदाय करने के लिए किसी वैध दायित्व के अधीन या जिसके अधीन किसी व्यक्ति को धन के संदाय के लिए कोई वैध अधिकार अभिप्राप्त होता है।

धारा 8.– विधि विरूद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए स्थानों को अधिसूचित करने की शक्ति –

1. जहाँ कि धारा 3 के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना द्वारा, जो उस धारा की उपधारा (3) के अधीन प्रभावी हो गई है कोई संगम विधि–विरूद्ध घोषित किया जा चुका है, वहाँ केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे स्थान को अधिसूचित कर सकेगी जो उसकी राय में ऐसे विधि विरूद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है।

2. उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकलने पर, वह जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसा अधिसूचित स्थान स्थित है, या उसके द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई ऑफिसर उन समस्त जंगम सम्पतियों की, जो उस अधिसूचित स्थान में पाई जाए, एक सूची दो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में तैयार करेगा।

3. यदि सूची में विनिर्दिष्ट की गई कोई वस्तुएं, जिला मजिस्ट्रेट की राय में, उस विधि विरूद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते है या लाई जा सकती है तो वह किसी भी व्यक्ति की उन वस्तुओं का उपयोग, जिला मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश के अनुसार करने के सिवाय, करने से प्रतिसिद्ध करने वाला आदेश कर सकेगा।

4. जिला मजिस्ट्रेट तदुपरि यह निदेश कर सकेगा कि कोई व्यक्ति, जो अधिसूचना की तारीख को उस अधिसूचित स्थान में निवास नहीं करता था, जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना, अधिसूचित स्थान पर या उसमें न तो प्रवेश करेंगा और न रहेगा।

5. जहाँ की उपधारा (4) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को अधिसूचित स्थान पर या उसमें प्रवेश करने या रहने की अनुज्ञा दी जाती है, वहाँ वह व्यक्ति आचरण के विनियमन के लिए ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाए।

6. कोई भी पुलिस ऑफिसर जो उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे की पंक्ति का न हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति अधिसूचित स्थान पर, उसमें प्रवेश करने वाले, प्रवेश चाहने वाले व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या तलाशी लेने के लिए निरूद्ध कर सकेगा।

परन्तु उपधारा 6 के अनसुरण में किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ही ली जाएगी।

7. यदि उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कोई व्यक्ति किसी अधिसूचित स्थान में है तो, उसे किसी भी ऑफिसर द्वारा, अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, वहाँ से हटाया जा सकेगा।

8. उपधारा (1) के अधीन किसी स्थान के संबंध में निकाली गई अधिसूचना से अथवा उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति –

(क) यह घोषणा करने के लिए कि वह स्थान विधि–विरूद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है, अथवा

(ख) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किए गए आदेशों को अपास्त कराने के लिए आवेदन अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रावधान कर सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसा अधिसूचित स्थान स्थित है।

धारा 10. विधि–विरूद्ध संगम के सदस्य के लिए शास्ति –

- जो कोई धारा 3 के अधीन निकाली गई ऐसी अधिसूचना द्वारा, जो उस धारा की उपधारा (3) के अधीन प्रभावी हो गई हो, विधि विरूद्ध घोषित किए गए संगम का सदस्य होगा और बना रहेगा या संगम के अधिवेशनों में भाग लेगा या ऐसे किसी विधि–विरूद्ध संगम की क्रियाओं में किसी भी प्रकार की सहायता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 11. विधि–विरूद्ध संगम की विधियों के लिए शास्ति –

- यदि कोई व्यक्ति, जिन पर धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किन्हीं धनों, प्रतिभूतियों या पावनों के संबंध में किसी प्रतिषेधात्मक आदेश को तामील की जा चुकी है, उस प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में उन्हें संदत्त, परिदत्त या अन्तरित करेगा या उससे किसी भी रीति से या अन्यथा बरतेगा तो वह तीन वर्ष तक के कारावास या, जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा और द.प्र.सं. 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे उल्लंघन का विचारण करने वाला न्यायालय दोषसिद्ध व्यक्ति से उन धनों या पावनों की रकमों या उन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य, जिनके संबंध में प्रतिषेधात्मक आदेश का उल्लंघन किया गया हैं या उनका ऐसा भाग जैसा न्यायालय ठीक समझे, वसूल करने के लिए उस पर अतिरिक्त जुर्माना भी अधिरोपित कर सकेगा।

धारा 12. अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति –

- जो कोई किसी वस्तु का उपयोग, धारा 8 की उपधारा (3) के संबंध में किए गए प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में करेगा, वह एक वर्ष के कारावास से, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
- जो कोई धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में जानते हुए जानबूझकर किसी अधिसूचित स्थान में होगा या प्रविष्ट होने का प्रयत्न करेगा, वह एक वर्ष के कारावास से, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 13. विधि–विरूद्ध क्रिया–कलाप के लिए दण्ड –

1. यदि कोई –

- किसी विधि विरूद्ध क्रियाकलाप में भाग लेगा या ऐसी क्रिया करेगा, अथवा
- किसी विधि विरूद्ध क्रिया के किए जाने के पक्ष समर्थन करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, सलाह देगा, उद्दीप्त करेगा, वह सात वर्ष के कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा।

2. जो कोई धारा 3 के अधीन विधि–विरूद्ध घोषित किए गए किसी संगम की किसी विधि विरूद्ध क्रिया में उस धारा की कोई उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना हो जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार की सहायता करेगा वह पाँच वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

3. इस धारणा में की गई कोई बात भारत सरकार और किसी अन्य देश के सलाहकार के बीच हुई संधि, करार या अभिसमय को, या भारत सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए की जाने वाली किसी बातचीत को लागू नहीं होगी।

धारा 14. अपराधों का संज्ञेय होना –

- द.प्र.सं., 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007

धारा 2 :– परिभाषाऐं –

- 2 ख :– साइबर अपराध से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 के अधीन सभी अपराध व इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे कम्प्यूटर, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट, एटीएम आदि के उपयोग द्वारा किए गए अपराध।
- 2 छ :– संगठित अपराध में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सदोष या अविधिपूर्ण अभिलाप के लिए उनके सामान्य आशय के अनुसरण में किया गया कोई अपराध सम्मिलित है।

धारा 10 विशेष पुलिस अधिकारी :–

- जिला पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, लिखित आदेश के द्वारा उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए नियुक्त कर सकेगा जो नियुक्ति आदेश में विर्निदिष्ट की जाए।
- इस प्रकार नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी को वही शक्तियां, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे और वह उन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए दायी होगा और उन्ही शास्तियों के अधीन होगा और उन्ही प्राधिकारियों का अधीनस्थ होगा जिनका सामान्य पुलिस कर्मचारी होता है।

धारा 16 किसी पुलिस जिले में पुलिस बल का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण व निदेशन :–

- राज्य सरकार किसी पुलिस जिले के लिए जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी।
- परन्तु महानगर क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक को उप पुलिस आयुक्त पदाभिहित किया जाएगा।
- जिले में पुलिस बल का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण व निदेशन पुलिस महानिदेशक के संपूर्ण नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला पुलिस अधीक्षक में निहित होंगी।
- पुलिस अधीक्षक की न्यूनतम पदावधि दो वर्ष की होगी।
- जिला पुलिस अधीक्षक को राज्य सरकार निम्नांकित परिस्थितियों में हटा सकेगी –
  1. किसी दाण्डिक न्यायालय में उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने
  2. अखिल भारतीय सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों के कारण पदच्युत, अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाने पर या निम्नतर पंक्ति में पदावनत कर दिया जाने पर,
  3. सेवा से उसके निलम्बन पर
  4. शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर,
  5. उसके स्वयं के अनुरोध पर
  6. ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर जो लिखित में अभिलिखित की जाएगी।
- राज्य सरकार पुलिस अधीक्षक की सहायता के लिए एक या अधिक अपर, उप या सहायक पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी।

धारा 17 किसी पुलिस वृत्त में पुलिस बल का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण व निदेशन :–

- राज्य सरकार किसी पुलिस वृत्त के लिए पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी।
- परन्तु महानगर क्षेत्र में पुलिस उप अधीक्षक को सहायक पुलिस आयुक्त पदाभिहित किया जाएगा।
- पुलिस उप अधीक्षक की न्यूनतम पदावधि दो वर्ष की होगी।
- वृत्त में पुलिस बल का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण व निदेशन पुलिस महानिदेशक के संपूर्ण नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए पुलिस उप अधीक्षक में निहित होंगी।

❖ जिला उप–पुलिस अधीक्षक को राज्य सरकार निम्नांकित परिस्थितियों में हटा सकेगी –

1. किसी दाण्डिक न्यायालय में उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने
2. सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों के कारण पदच्युत, अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाने पर या निम्नतर पंक्ति में पदावनत कर दिया जाने पर,
3. सेवा से उसके निलम्बन पर
4. शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर,
5. उसके स्वयं के अनुरोध पर
6. ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर जो लिखित में अभिलिखित की जाएगी।

धारा 19 क्षेत्र ड्यूटी पर के कतिपय पुलिस अधिकारियों की पदस्थापन अवधि :–

❖ पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के रूप में या किसी अपराध अन्वेषण युनिट के भारसाधक अधिकारी के रूप में पदस्थापित किसी पुलिस अधिकारी की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी।

❖ किसी भी अधिकारी को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में स्थानान्तरित किया जा सकता है –

1. उच्चतर पद पर उसकी पदोन्नति
2. उसकी अधिवर्षिता
3. न्यायालय द्वारा उसकी दोष सिद्धि
4. किसी दाण्डिक न्यायालय में उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने ,
5. अनुशासनिक कार्यवाहियों के कारण पदच्युत, अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाने पर या निम्नतर पंक्ति में पदावनत कर दिया जाने पर,
6. सेवा से उसके निलम्बन पर
7. शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर,
8. कोई रिक्ति भरने के लिए
9. उसके स्वयं के अनुरोध पर या
10. ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर जो लिखित में अभिलिखित की जाएगी।

धारा 21 :– राज्य पुलिस आयोग

❖ राज्य सरकार एक राज्य पुलिस आयोग स्थापित करेगी जो इस अध्याय के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा।

❖ गृह विभाग का प्रभारी मंत्री आयोग का अध्यक्ष होगा।

❖ सदस्य –

1. राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता या सबसे बडे प्रतिपक्ष दल का नेता
2. मुख्य सचिव
3. गृह विभाग का प्रभारी सचिव
4. पुलिस महानिदेशक
5. लोक जीवन में ख्याति प्राप्त तीन व्यक्ति जिनमें कम से कम एक समाज के कमजोर वर्ग में से होगा।

❖ राज्य सरकार आयोग के सचिव के रुप में कार्य करने के लिए अपर महानिदेशक की पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।

❖ आयोग अपनी बैठकों व कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे नियमो का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा बनायें जाऐं।

धारा 29 पुलिस अधिकारियों के कृत्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व :–

❖ पुलिस अधिकारी के निम्न कृत्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे –

1. विधि का प्रवर्तन करना और जनता के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, अधिकारों, गरिमा और मानवाधिकारों का संरक्षण करना।
2. अपराध और लोक न्यूसेन्स का निवारण करना।
3. आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना आतंककारी क्रिया कलापों का निवारण और नियंत्रण करना।
4. लोक संपत्ति का संरक्षण करना,
5. अपराधों का पता लगाना और अपराधियों को न्यायालय में पेश करना।
6. ऐसे व्यक्तियों को पकड़ना जिन्हे वह पकडने के लिए विधितः प्राधिकृत है और जिनके पकड़े जाने के पर्याप्त आधार हैं।
7. प्राकृतिक या मानवकृत आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थितियों में जनता की मदद करना और राहत उपायों में अन्य ऐजेन्सियों की सहायता करना।
8. जनता और यानों के व्यवस्थित संचालन को सुकर बनाना और यातायात को नियंत्रित और विनियमित करना।
9. लोक शांति को प्रभावित करने वाली और अपराध से संबंधित आसूचना एकत्र करना।
10. लोक प्राधिकारियों को उनके कृत्यों और कर्तव्यों के लिए सुरक्षा उपलब्ध करवाना।
11. ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना जो उसे विधि द्वारा या किसी भी विधि के अधीन ऐसे निदेश जारी करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा आदिष्ट किया जाए।
12. राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई प्राधिकारी पुलिस अधिकारियों को ऐसे अन्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए।

धारा 30 पुलिस के सामाजिक दायित्व :–

1. जनता के सदस्यों से विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय सम्यक् शिष्टता और शालीनता से व्यवहार करेगा,
2. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों और शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिलांग नागरिकों, जो सड़क पर अन्य या स्थानों पर असहाय स्थिति में पाये जाते हैं, का मार्गदर्शन और सहायता करेगा।,
3. अपराध और सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराएगा,
4. लोक स्थान और लोक परिवहन में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बालकों के उत्पीड़न, जिसमें पीछा करना, आपत्तिजनक भाव–भंगिमा, संकेत, फब्तियां या किसी भी रूप में किया जाने वाला उत्पीड़न शामिल है का निवारण करेगा,
5. जनता के सदस्यों विशेषकर महिलाओं, बालकों और समाज के कमजोर वर्ग के सदस्यों को विधिपूर्ण सहायता प्रदान करेगा।

धारा 31 संज्ञेय मामलों में इत्तिला का अभिलिखित किया जाना :–

❖ पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी भी संज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में प्रत्येक इत्तिला को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार तुरंत प्राप्त और अभिलिखित करेगा।

❖ जहां कोई व्यक्ति जिला पुलिस अधीक्षक को ऐसे किन्ही तथ्यों की सूचना भेजता है या देता है

जिसमें प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध गठित होता है और अभिकथन करता है कि अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी ने इत्तिला अभिलिखित करने से इन्कार किया है तो जिला पुलिस अधीक्षक उक्त पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी के विरूद्ध नियमों के अनुसार तुरन्त अनुशासनिक कार्यवाही करेगा या करवाएगा।

- ❖ उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन कोई दण्ड संबंधित अधिकारी के सेवा अभिलेख में लिखा जाएगा और जब उसकी क्षमता और निष्पादन का निर्णय अपेक्षित हो तब सदैव उस पर विचार किया जाएगा।

धारा 32 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का पालन किया जा सकेगा।

धारा 33 पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर समझे जाएंगे :–

- ❖ इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर समझा जाएगा।

धारा 34 पुलिस अधिकारी को राज्य के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकेगा।

धारा 35 पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में नियोजित नहीं होंगें।

धारा 36 पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से स्वयं को हटाने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा करने की अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा नहीं दे दी गई हो।

धारा 37 पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष सूचना रख सकेंगे :–

- ❖ किसी पुलिस अधिकारी के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई सूचना रखना और समन, वारंट, तलाशी वारंट या ऐसी अन्य वैध आदेशिका, जो अपराध कारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध जारी की जा सके, के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण होगा।
- ❖ किन्ही फरार व्यक्तियों के संबंध में इस धारा के अन्तर्गत न्यायालय से वारण्ट प्राप्त किया जाएगा।

धारा 38 पुलिस अधिकारी अदावाकृत संपत्ति का प्रभार लेंगे :–

- ❖ किसी भी अदावाकृत संपत्ति का प्रभार लेना अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में उसकी तालिका देना प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा।
- ❖ ऐसी सम्पत्ति के व्ययन की रीति वह होगी जो विहित की जाए।
- ❖ इस प्रयोजन के लिए पुलिस नियम 2008 में नियम 7 एंव 8 दिए गए है।

धारा 39 :– पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगें :–

- ❖ प्रत्येक पुलिस थाने या चौकी का भारसाधक अधिकारी निर्धारित प्रारुप में साधारण डायरी रखेंगें।
- ❖ डायरी के संधारण में नियम राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 9 में दिए गए है।

धारा 43 लोक स्थान आरक्षित करने और नाका लगाने की शक्ति :–

- ❖ ऐसी जांचों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए जिला पुलिस अधीक्षक लोक नोटिस द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए किसी मार्ग या अन्य लोक स्थान को अस्थाई रूप से आरक्षित कर सकेगा और इस प्रकार आरक्षित क्षेत्र से व्यक्तियों और यानों के संचालन को विनियमित कर सकेगा।
- ❖ जिला पुलिस अधीक्षक आम जनता के हित में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या लोक सडकों और मार्गों पर नाकों और अन्य आवश्यक संरचनाएं खड़ी करने के लिए या किसी अपराध का निवारण या पता लगाने के लिए यानों या उनके अधिभोगियों की जांच करने के

लिए किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

धारा 44 आदेश का परिरक्षण :–

- ऐसी जांचों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी लोक मार्गों या आम रास्तों पर सभी सभाओं या जुलूसों को विनियमित करने के लिए साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगा और वे मार्ग जिनसे और वह समय जब ऐसे जुलूस गुजर सकेंगे, विहित कर सकेगा
- परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को इस बात का समाधान हो जाता है कि उस जुलूस के अनियंत्रित होने पर शांति भंग होने की संभावना है तो वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करने का निदेश दे सकेगा।
- जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी शर्तों के साथ जिन्हे वह उचित समझे अनुज्ञा दे सकेगा। शांति भंग होने की संभावना पर इंकार कर सकेगा।
- कोई भी पुलिस अधिकारी जिस पर किसी जन सभा या जुलूस को विनियमित करने का उत्तरदायित्व है ऐसे किसी भी जुलूस को जिसे उपधारा 2 में उपदर्शित अनुज्ञा प्राप्त न हो या जो उसकी राय में अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करता हो रोक सकेगा और ऐसे किसी भी सभा या जुलूस को तितर बितर होने का आदेश दे सकेगा।
- ऐसे आदेश को मानने से इन्कार करने पर ऐसा जमाव विधि विरूद्ध जमाव माना जाएगा।
- जिला पुलिस अधीक्षक आम जनता के हित में किसी लोक स्थान में प्रवेश या निकास या प्रचालन का समय विनियमित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा।

धारा 55 :– सामुदायिक सम्पर्क समूह :–

- जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित कर या अधिक समुदाय सम्पर्क समूह विहित रीति से गठित करेगा, परन्तु प्रत्येक पंचायत के लिए कम से कम एक समुदाय सम्पर्क समूह गठित किया जावेगा।
- समुदाय सम्पर्क समूह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे जो विहित किए जाए।

धारा 60 सड़क इत्यादि पर कतिपय अपराधों के लिए दण्ड :–

- कोई भी व्यक्ति किसी कस्बे में या राज्य सरकार द्वारा सूचित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान या सडकों पर निम्नांकित में से कोई कार्य करता है तो उसे 50 रुपये तक के जुर्माने या आठ दिन के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा तथा उसे बिना वारण्ट गिरफ्तार किया जाएगा –
  1. पशुओं का वध, उग्र सवारी इत्यादि
  2. पशुओं के प्रति क्रूरता,
  3. यात्रियों को बाधा पहुंचाना,
  4. माल को बिक्री के लिए अरक्षित रूप से खुला छोड़ना,
  5. मार्ग में कचरा फेंकना,
  6. मत्त या बलवा करता हुआ पाया जाना,
  7. शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन,
  8. संकटमय स्थानों को परिरक्षित करने में उपेक्षा,

राजस्थान पुलिस नियम, 2008

नियम 2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हों :–
(क) **अधिनियमः–** से राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 14) अभिप्रेत है;
(ख) **"प्रशासन** से राज्य पुलिस बल का प्रबन्ध और संगठन अभिप्रेत है,

(ग) **हलका कांस्टेबल"** से पुलिस स्टेशन का ऐसा पुलिस कांस्टेबल अभिप्रेत है, जिसे उसके हलका क्षेत्र के रूप में क्षेत्र विशेष समनुदेशित किया गया हों और हलका कांस्टेबल के रूप में पदनामित किया गया हों;

(घ) **"मण्डल"** से अधिनियम की धारा 28 के अधीन गठित पुलिस संस्थापना मण्डल अभिप्रेत है.

(ङ) **"सी एल जी** से अधिनियम की धारा 55 के अधीन गठित सामुदायिक सम्पर्क समूह अभिप्रेत है;

(च) **"आयोग"** से अधिनियम की धारा 21 के अधीन स्थापित राज्य पुलिस आयोग अभिप्रेत

(छ) **"जिला पुलिस अधीक्षक"** में महानगरीय क्षेत्र के संबंध में पुलिस उपायुक्त शामिल होता है, और

(ज) " **धारा**" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(2) इन नियमों में प्रयुक्त, लेकिन परिभाषित नहीं, शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में प्रदान किया गया है।

नियम 3 पुलिस महानिदेशक की शक्तियां, कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियां – (1) राज्य पुलिस दल का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण और नियन्त्रण पुलिस महानिदेशक में निहित होगा।

(2) पुलिस महानिदेशक की सहायता एक या अधिक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों द्वारा की जायेगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो।

(3) पुलिस महानिदेशकः–

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नीतियों, रणनीतिक योजना और वार्षिक योजना को क्रियान्वित करेगा

(ख) सम्पूर्ण राज्य के पुलिस बल के सम्पूर्ण प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगाः

(ग) राज्य पुलिस बल का भाग बनने वाले सभी ब्यूरों, संस्थाओं और यूनिटों के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा,

(घ) अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों, रजिस्टरों और प्ररूपों को विनिर्दिष्ट करेगा और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां विनिर्दिष्ट करेगा;

(ङ) अधिनियम के प्रावधानों की पालना में सभी अधीनस्थ रैंकों की भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करेगा।

(च) विभाग के वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा; और

(छ) राज्य पुलिस बल की सामान्य दक्षता, प्रभावशीलता, जिम्मेदारिता और उत्तरदायित्व क लिए जिम्मेदार होगा।

(4) पुलिस महानिदेशक निम्नलिखित के लिए पुलिस बल को आदेश जारी कर सकता है,

(क) शांति–व्यवस्था बनाये रखने

(ख) अपराध का निवारण करने और पता लगाने

(ग) पुलिस द्वारा इन्टेलीजेंस का संग्रहण और संसूचना विनियमित करने;

(घ) पुलिस संगठन का विनियमन करने और निरीक्षण करने, और

(ङ) आयुधों साज–सामानों, कपड़ों और अन्य साधनों, जो राज्य पुलिस बल को प्रदान किये जायें, के वर्णन और मात्रा को वर्णित करने

(च) पुलिस बल के अधीनस्थ रैकों के निवास स्थान को विहित करने;

(छ) सभी पर्यवेक्षीय और अधीनस्थ रैंकों के अधिकारियों को कर्तव्य समनुदेशित करने ओर उस तरीके तथा शर्तों को विहित करने, जिनके अनुसार वे अपनी संबंधित शक्तिया प्रयुक्त करेंगे और कर्तव्यों का निवर्हन करेंगे,

(ज) राज्य पुलिस बल के सदस्यों का विनियमन, परिनियोजन, गतिविधि और स्थान निर्धारण करने;

(झ) भिन्न–भिन्न रैंकों का प्रशिक्षण करने,

(ञ) पुलिस को अत्यधिक दक्ष बनाने और शक्ति का दुरूपयोग व कर्त्तव्यों की उपेक्षा रोकने और

(ट) उन कर्त्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों को दक्षता से पूर्ण करने, जिन्हें अधिनियम की धाराओं 29 और 30 के अधीन पुलिस अधिकारियों पर वर्णित किया गया है।

नियम 7. लावारिस सम्पत्ति – (1) उसके द्वारा पायी गयी या उसे दी गई लावारिस सम्पत्ति का प्रभार लेने वाला पुलिस अधिकारी सूची तैयार करेगा, जिसमें सम्पत्ति को प्रभार में लेने के समय और स्थान और उसकी मात्रा तथा पहचान से संबंधित विवरण लिखे जायेंगे और सम्पत्ति का प्रभार लेते हुए देखने वाले दो व्यक्तियों द्वारा सूची हस्ताक्षरित की जायेगी।

(2) लावारिस सम्पत्ति का प्रभार लेने वाला पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र हो सके, उप–नियम(1) के अधीन तैयार सूची के साथ क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सम्पत्ति परिदत्त करेगा, या परिदत्त करायेगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन लावारिस सम्पत्ति प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी जनरल डायरी में प्रविष्टि करेगा या करायेगा, जो ऐसी सम्पत्ति परिदत्त करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

(4) पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी लावारिस सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

नियम 8. लावारिस सम्पत्ति का निस्तारण. (1) लावारिस सम्पत्ति प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, यथास्थिति, को ऐसे प्ररूप में और ऐसे तरीके में, जिसे पुलिस महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायें, 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट भेजेगा।

(2) यदि लावारिस सम्पत्ति या उसका कोई भाग त्वरित या प्राकृतिक नष्ट होने योग्य वस्तु है, या उसमें पालतु पशु है, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी विलम्ब के बिना जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, यथास्थिति को रिपोर्ट भेजेगा और इसे जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, यथास्थिति,

के आदेशों के अधीन नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया जायेगा, और उसके आगम सरकारी खाते में जमा कर दिये जायेंगे।

(3) जहां उप–नियम (1) या (2) के अधीन प्रभारी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यहां जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, यथास्थिति ऐसी सम्पत्ति का विवरण बताते हुए और यह अपेक्षा करते हुए उद्घोषणा जारी करेगा कि कोई भी व्यक्ति, जिसका उस पर दावा हो, उसके समक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष उपस्थिति होगा और ऐसी उदघोषणा की तिथि से तीन माह के भीतर अपना दावा साबित करेगा।

स्पष्टीकरण– उद्घोषणा से ऐसी उद्घोषणा जारी करने वाले पुलिस अधिकारी के क्षेत्राधिकार में सभी पुलिस स्टेशनों के सहजदृश्य स्थान पर और पुलिस विभाग की वेबसाईट पर और यदि किसी ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य पचास हजार रूपये से अधिक हो, स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा लावारिस सम्पत्ति के वर्णन और विवरण के साथ सार्वजनिक नोटिस जारी करना अभिप्रेत है।

(4) उप–नियम (3) के अधीन उद्घोषणा जारी करने से पहले किसी भी तिथि पर जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, यथास्थिति, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसी सम्पत्ति रखने या प्रशासित करने के ऐसे दावाकर्ता के हक से संतुष्ट होने पर किसी भी दावाकर्ता को सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए आदेश कर सकता है।

(5) जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, यथास्थिति, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी अपने स्वविवेक पर उप–नियम (4) के अधीन कोई आदेश करने से पहले उस व्यक्ति से, जिसे उक्त सम्पत्ति परिदत्त की जानी है, ऐसी प्रतिभूति ले सकता है, जिसे वह उपयुक्त समझें और यहां से पूर्व अन्तर्विष्ट कोई भी बात उस व्यक्ति से, जिसे ऐसे आदेश की पालना में यह परिदत्त की जा सकती हो, उसका पूर्ण या कोई भाग वसूल करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

(6) जहां किसी व्यक्ति, जिसका सम्पत्ति में दावा हों, से उस निमित्त जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, यथास्थिति, द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने और अपना दावा साबित करने की उप–नियम (3) के अधीन उद्घोषणा द्वारा अपेक्षा की जाती हों, वहां ऐसा अधिकारी उस पर अपने निष्कर्षो के साथ उसके समक्ष कार्यवाहियों का अभिलेख जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, यथास्थिति को भेजेगा।

(7) उप–नियम (3) के अधीन जारी उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का आधिपत्य या प्रशासन के किसी दावाकर्ता के हक से संतुष्ट होने पर जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, यथास्थिति उसे सम्पत्ति सौंपने या उसका भुगतान सौंपने, यदि सम्पत्ति का विक्रय उप–नियम (2) के अधीन कर दिया गया हो, यथास्थिति का आदेश कर सकता है।

(8) जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, यथास्थिति, अपने स्वविवेक पर उप–नियम (7) के अधीन कोई आदेश करने से पहले उस व्यक्ति से, जिसे उक्त सम्पत्ति परिदत्त की जानी है या राशि का भुगतान किया जाना है, ऐसी प्रतिभूति ले सकता है, जिसे वह ठीक समझे और यहां से पूर्व अन्तर्विष्ट कोई भी बात उस व्यक्ति से, जिसे ऐसे आदेश की पालना में यह परिदत्त या भुगतान की जा सकती हो, उसका पूर्ण या कोई भाग वसूल करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

(9) यदि उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति पर अपना दावा साबित नहीं करता है, तो सम्पत्ति या उप–नियम (2) के अधीन जमा राशि राज्य सरकार के निस्तारण में होगी और ऐसी सम्पत्ति, यदि उप–नियम (2) के अधीन विक्रय नहीं की गयी हो, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, यथास्थिति के आदेशों के अधीन नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। उसकी राशि सरकारी खाते में जमा की जायेगी।

(10) यदि सरकार को लावारिस सम्पत्ति की किसी राशि के लिए कोई दावा किया जाता है और यदि ऐसा दावा पुलिस रेंज महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त, यथास्थिति की संतुष्टि पर साबित किया जाता है, चाहे पूर्णतः हों या भागत, तो पुलिस रेंज महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त, यथास्थिति, द्वारा निर्धारित राशि दावाकर्ता को भुगतान करेगी।

नियम 9. जनरल डायरी – (1) सभी पुलिस स्टेशन पुस्तक में जनरल डायरी रखेंगे, जिसमें उपयुक्त संख्या में पेज होंगे, जिसे पुलिस स्टेशन को जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त यथास्थिति, द्वारा जारी किया जायेगा। ऐसी पुस्तकों में सभी पेजों पर ऐसे तरीके में नम्बर लगाये जायेंगे ताकि कार्बन कॉपी प्रक्रिया द्वारा दो प्रतियों में जनरल डायरी रखने के लिए व्यवस्था की जा सकें परन्तु जनरल डायरी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जा सकेगी।

(2) जनरल डायरी में सभी प्रविष्टियां पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की जायेगी। जनरल डायरी में कोई प्रविष्टि करने वाला अधिकारी डायरी में प्रविष्टि किये जाने के बाद तुरन्त ही अपने हस्ताक्षर करेगा, और इसके तुरन्त नीचे पेज पर क्रॉस लाईन की जायेगी।

(3) पुलिस महानिरीक्षक उस समय को नियत करेगा, जिस पर दैनिक जनरल डायरी बन्द की जायेगी और उस सूचना तथा तरीके को भी विनिर्दिष्ट करेगा, जिसमें ऐसी सूचना प्रत्येक दिन के आरम्भ में जनरल डायरी में लिखी जानी हैं।

(4) जनरल डायरी सभी घटनाओं के अभिलेख के रूप में आशयित है, जो कि पुलिस स्टेशन में घटित होता है, जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों की हलचल और गतिविधियों, बाहरी व्यक्तियों के आने–जाने, चाहे पदाधिकारी हों या गैर–पदाधिकारी हो, को लिखा जाना चाहिए।

(5) पुलिस के अधिकारियों की जानकारी में प्रत्येक घटना जनरल डायरी में लिखी जायेगी। संज्ञेय अपराध की घटना से संबंधित प्राप्त कोई भी सूचना दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन की गई कार्यवाही के विवरणों के साथ जनरल डायरी में संक्षिप्त में अभिलेखित की जायेगी।

(6) असंज्ञेय अपराध, व्यक्तियों या सम्पत्ति के गुम हो जाने से संबंधित मौखिक रूप में प्राप्त शिकायतों की सूचना जनरल डायरी में अभिलेखित की जायेगी। यदि ऐसी सूचना लिखित में प्राप्त की जाती है तो इसका संदर्भ जनरल डायरी में किया जायेगा।

(7) जनरल डायरी में की गई प्रत्येक प्रविष्टि को मार्जिनल हेडिंग दिया जायेगा और मासिक रूप में क्रम में नम्बर दिया जायेगा।

(8) पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी जनरल डायरी में सही एवं समय पर प्रविष्टियां अभिलेखित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(9) जनरल डायरी प्रति दिन बन्द की जायेगी और इसकी एक प्रति यथासंभव शीघ्र वृत्त के प्रभारी पुलिस अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(10) जनरल डायरी आउटपोस्ट द्वार भी रखी जायेगी और आउटपोस्ट के प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखी जायेगी। इसमें पुलिस कार्मिक की गतिविधि और उनके द्वारा प्राप्त कोई सूचना अभिलेखित की जायेगी।

(11) आउटपोस्ट की जनरल डायरी की एक प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दैनिक प्रस्तुत की जायेगी। इसका अवलोकन करना और आवश्यक कार्यवाही करना पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा।

(12) पुलिस महानिदेशक समय समय पर जनरल डायरी में अन्य सूचना अभिलेखित करने से संबंधित निर्देश जारी कर सकता है।

नियम 10. पुलिस सेवा के लिए भुगतान. निम्नलिखित प्रभार पुलिस सेवा के लिए संदाय के निमित्त अधिनियम की धारा 46 के प्रावधान के अनुसार उद्ग्रहित किये जायेंगेः–

(1) कांस्टेबल – 536 रू. प्रतिदिन

(2) हैड कांस्टेब– 644 रू. प्रतिदिन

(3) एस.आई./ए.एस.आई./पी.सी. –875 रू. प्रतिदिन

(4) निरीक्षक–1010 रू. प्रतिदिन

नियम 11. विशेष पुलिस अधिकारीगण –(1) विशेष पुलिस अधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात् –

(क) जब यह प्रतीत होता है कि कोई विधिविरूद्ध जमाव या बलवा या शांति व्यवधान हुआ हैं या युक्तियुक्त रूप से संभावित हो सकता हैं और कि शांति बनाये रखे के लिये और निवासियों की सुरक्षा के लिये और उस स्थान , जहां ऐसा विधि विरूद्ध जमाव या बलवा या शांन्ति व्यवधान हुआ हैं,या संभावित हैं, में सम्पति की सुरक्षा के लिये प्रर्याप्त नही हैं।

(ख) जब यह प्रतीत होता है कि लोक सभा या राज्य विधानसभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी के लिए या ट्राफिक प्रबंधन के लिए सामान्य रूप से नियोजित पुलिस बल पर्याप्त नहीं है।

(2) केवल समर्थ शरीर वाले व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है परन्तु किसी भी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है यदि –

(क) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो;

(ख) आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया गया हों, और उसके विरूद्ध लंबित हों;

(ग) वह राजनीतिक दल या इससे संबंधित शाखा का सदस्य हों; और

(घ) यह विकृतचित हो।

(3) ऐसी नियुक्ति की अवधि एक बार में 30 दिन से अधिक नहीं होगी।

(4) विशेष पुलिस अधिकारी अवैतनिक हैसियत में अपने कर्तव्यों का निवर्हन करेंगे।

राजस्थान आवश्यक सेवा रख– रखाव अधिनियम ,1970

धारा 2. परिभाषाएं.–

(क)**"आवश्यक सेवा"** से अभिप्रेत है:–

(i) राजस्थान राज्य के कार्यों के संबंध में कोई सार्वजनिक सेवा;

(ii) शिक्षा निदेशक, राजस्थान द्वारा या सैकेण्डरी शिक्षा मण्डल, राजस्थान द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के अधीन कोई सेवा

(iii) स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई सेवा:

(ख) **"हड़ताल"** से संयुग्म में कार्यरत किसी आवश्यक सेवा में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा कार्य की समाप्ति (जिसमें कर्त्तव्य से कोई प्राधिकृत अनुपस्थिति शामिल है) या सामंजस्य से अस्वीकृति या आपसी समझदारी के अधीन अस्वीकृति या किसी संख्या में व्यक्तियों द्वारा अस्वीकृति अभिप्रेत हैं, जिन्हें कार्य जारी रखने या नियोजन स्वीकृत करने के लिए नियोजित किया जाता है या किया गया, और इसमें शामिल हैं.:–

(i) ओवरटाइम कार्य करने से अस्वीकृति, जहां ऐसा कार्य किसी आवश्यक सेवा के रख–रखाव के लिए आवश्यक है;

(ii) कोई अन्य कार्य, जो किसी आवश्यक सेवा में कार्य की समाप्ति में संभावित है या समाप्ति में परिणामित होता है या वास्तविक अवरोध हैं।

धारा 3. कतिपय नियोजनों में हड़ताल प्रतिबंधित करने की शक्ति – (1) यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, तो वह यह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किसी आवश्यक सेवा में हड़ताल प्रतिबंधित कर सकती हैं।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया आदेश ऐसे तरीके में, जिसे राज्य सरकार उचित समझे, आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की सूचना में इसे लाने के लिए प्रकाशित किया जायेगा।

(3) उप–धारा (1) के अधीन किया गया आदेश केवल छः माह के लिए प्रवर्तन में रहेगा. लेकिन राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा छः माह से अधिक किसी अवधि के लिए इसे बढ़ा सकती है, यदि यह संतुष्ट हो कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है।

(4) उप–धारा (1) के अधीन आदेश जारी करने पर

(क) किसी आवश्यक सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति, जिससे आदेश संबंधित है, हड़ताल पर नहीं जायेगा या नहीं रहेगा।

(ख) ऐसी सेवा में नियोजित व्यक्तियों द्वारा घोषित या आरंभ कोई भी हड़ताल, चाहे आदेश जारी करने से पहले हो या पश्चात् हो, अविधिक होगी

धारा 4– अविधिक हडतालों के लिए शास्ति– – कोई भी जो हडताल आरंभ करता है, जो इस अधिनियम के अधीन अविधिक है या किसी किसी हडताल में जाता है, या उसमें रहता है या अन्यथा

उसमें भाग लेता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छः माह तक हो सकेगी या जुर्माने से जो दो सौ रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 5– उकसाने इत्यादि के लिए शास्ति– कोई भी व्यक्ति जो हडताल में भाग लेने के लिए अन्य व्यक्तियों को उकसाता है या प्रेरित करता है या अन्यथा उसके अनुक्रम में कार्य करता है जो इस अधिनियम के अधीन अविधिक है या होगी तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 6– अविधिक हडतालों को वित्तीय सहायता देने के लिए शास्ति– कोई भी व्यक्ति जो यह जानते हुए, कि हडताल इस अधिनियम के अधीन अविधिक है या होगी हडताल के अनुक्रम में या समर्थन में किसी राशि को व्यय करता है या प्रदान करता है तो वह कारावास से– जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा– या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 7– वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति :–कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है जिस पर उसे युक्तिययुक्त रूप से संदेह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कारित किया हैं।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003

- **धारा 2 :–** संघ द्वारा नियन्त्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा :– यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को तम्बाकू उधोग अपने नियन्त्रण में लेना चाहिए।

- **धारा 4 :–** कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान नही करेगा।
  परन्तु किसी ऐसे हॉटल में जिसमें 30 कमरे हो या किसी रेस्त्रा में जिसमें 30 या अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो और विमानपतनों पर धुम्रपान क्षेत्र या स्थान की अलग से व्यवस्था की जा सकेगी।

- **धारा 6 :–** कोई व्यक्ति –
  क. ऐसे किसी व्यक्ति को जो अठारह वर्ष से कम आयु का है।
  ख. किसी शैक्षिक संस्थान की एक सौ गज की परिधि के भीतर किसी स्थान पर
  सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने की प्रस्थापना या विक्रय करने की अनुमति नहीं देगा।

- **धारा 21 :–**
  1. जो कोई धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन में सार्वजनिक स्थान पर पर धूम्रपान करेगा वह दो सौ रुपये जुर्माने से दंडनीय होगा।
  2. यह अपराध शमनीय होगा तथा न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

- **धारा 24 :–**
  1. जो कोई धारा 6 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह दो सौ रुपये जुर्माने से दंडनीय होगा।
  2. यह अपराध शमनीय होगा तथा न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

धारा 2. परिभाषाएं– (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.–

(क) **"अभिकरण** से, स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न, ऐसा कोई अभिकरण अभिप्रेत है जो किसी क्षेत्र में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का जिम्मा अपने ऊपर से ले सके और इसके अंतर्गत ऐसा कोई ठेकेदार या फर्म या कंपनी है, जो भू–संपदा के विकास और अनुरक्षण कार्य में लगती है;

(ख) "**समुचित सरकार** मे, छावनी बोर्डों, रेल भूमि और केंद्रीय सरकार, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया या सारभूत रूप से वित्तपोषित स्वशासी निकाय के स्वामित्वाधीन भूमि और भवनों के संबंध में, केंद्रीय सरकार और अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ग) किसी **नगरपालिका या पंचायत** के संबंध में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से उसका ज्येष्ठतम कार्यपालक अधिकारी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत हैः

(घ) किसी **मलनाली या मलाशय** के संबंध में, किसी कर्मचारी द्वारा "परिसंकटमय सफाई" से नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और अन्य सफाई करने की युक्तियां उपलब्ध कराने की अपनी बाध्यताओं को पूरा किए बिना और सुरक्षा संबंधी ऐसी पूर्वावधानियों का, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित या उपबंधित की जाएं, अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा किया गया उसका सफाई कार्य अभिप्रेत है :

(ङ) **"अस्वच्छ शौचालय** से ऐसा कोई शौचालय अभिप्रेत है, जिसमें मल–मूत्र के, ऐसी रीति से जो विहित की जाए. पूर्णतया विघटित होने से पूर्व मानव मल–मूत्र की या तो उसी स्थान से या किसी ऐसी खुली नाली या गड्ढे में से जिसमें मल–मूत्र को निस्सारित या संप्रवाहित किया गया है, सफाई की जानी अपेक्षित होती है या अन्यथा उसको हाथ में उठाया जाना अपेक्षित होता हैः

परंतु किसी रेल यात्री डिब्बे में जलीय फ्लश शौचालय को जब उसकी किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी युक्तियों की सहायता से और ऐसे संरक्षात्मक साधन के उपयोग से, जो केंद्रीय सरकार इस निर्मित अधिसूचित करे, सफाई की जाती है, अस्वच्छ शौचालय नहीं समझा जाएगाः

(च) **"स्थानीय प्राधिकारी** से अभिप्रेत है.–

(1) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ड) और खंड (च) में यथापरिभाषित ऐसी कोई नगरपालिका या पंचायत, जो अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी है;

(2) छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 10 के अधीन गठित कोई छावनी बोर्ड

(3) कोई रेल प्राधिकारी,

(छ) **"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी"** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किसी समय किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से,

जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या किसी रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मल–मूत्र के. ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व, मानव मल–मूत्र को डाला जाता है, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यष्टि या स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है और "हाथ से मैला उठाने" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजन के लिए–

(1) "लगाया जाना या नियोजित किया जाना" से नियमित या संविदा आधार पर लगाया जाना या नियोजित किया जाना अभिप्रेत है.

(2) ऐसी युक्तियों की सहायता से और ऐसे संरक्षात्मक साधन के उपयोग से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, मल–मूत्र को साफ करने के लिए लगाया गया या नियोजित किया गया कोई व्यक्ति, 'हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी नहीं समझा जाएगाः

(3) "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग" से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 64) की धारा 3 के अधीन गठित किया गया और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समय–समय पर यथासंशोधित संकल्प संख्यांक 17015/18/2003– एम०सी०डी०–VI, तारीख 24 फरवरी, 2004 द्वारा बनाए रखा गया राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अभिप्रेत है;

(4) "अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगाः

(5) ऐसे परिसरों के संबंध में, जहां कोई अस्वच्छ शौचालय विद्यमान है या जहां किसी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया जाता है, वहां "अधिमोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके अधिभोग में तत्समय ऐसे परिसर है।

(6) ऐसे परिसरों के संबंध में, जहां कोई अस्वच्छ शौचालय विद्यमान है या जहां किसी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया जाता है, वहां "स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास तत्समय ऐसे परिसरों का विधिक हक है;

(7) "विहित" सें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है

(8) "रेल प्राधिकारी" से रेल भूमि का प्रशासन करने वाला ऐसा कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा इस निर्मित अधिसूचना किया जाए,

(9) "रेल भूमि" का वह अर्थ होगा,जो रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (32क) में है,

(10) "स्वच्छ शौचालय से ऐसा शौचालय अभिप्रेत है, जो अस्वच्छ शौचालय नहीं है;

(11) "मलाशय" से सामान्यतया भूमि के नीचे अवस्थित ऐसा कोई जलरोधी निथार–टंकी या चेंबर अभिप्रेत है, जिसका उपयोग मानव मल–मूत्र डालने और रखने के लिए किया जाता है, जिससे उसका जीवाण्विक क्रियाकलापों से विघटन हो सके,

(12) "मलनाली " से अन्य अपशिष्ट पदार्थ और मलनानी के अपशिष्ट पदार्थो के अतिरिक्त मानव मल–मूत्र को निपटाने के लिए भूमिगत कोई या पाइप अभिप्रेत हैं,

(13) किसी संघ राज्यक्षैत्र के संबंध में, "राज्य सरकार " से संविधान के अनच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत हैं,

(14) " सवेंक्षण " से धारा 11 या धारा 14 के अनुसार में किया गया कोई हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सवेंक्षण अभिप्रेत हैं।

(2) उन शब्दों और पदो ंके, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषा नहीं हैं, किन्तु छावनी अधिनियम,2006 (2006 का 41) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगें, जो उस अधिनियम में है।

(3) इस अधिनियम के अध्याय 4 से अध्याय 8 के अधीन किसी नगरपालिका के प्रति निर्देश के अन्तर्गत, उन क्षैत्रों के संबंध में जो क्रमंशः छावनी बोंर्ड और रेल भूमि की अधिकारिता के भीतर सम्मिलित किए गए हैं, यथास्थिति, छावनी बोर्ड या रेल प्राधिकरण के प्रति निर्देश होगा।

धारा 3.अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना–इस अधिनियम के उपबंध, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुल्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993(1993 का 46) या किसी अन्य विधि अथवा ऐसी किसी लिखित में, जो किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी हैं, किसी असंगत बात के होते हुऐ भी प्रभावी होगे।

धारा 4.स्थानियों प्राधिकारियों द्वारा अस्वच्छ शौचालय का सर्वेक्षण किया जाना और स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का उपलब्ध कराया जाना–(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी –

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर स्वच्छ शौचालयों का सवेंक्षण करेगा और ऐसे स्वच्छ शौचालयों की एक सूची अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर ऐसी रीति से , जों विहित की जाये, प्रकाशित करेगा।

(ख) अधिभोगी को, खण्ड (क) के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर, अस्वच्छ शौचालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर उसको स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करने की सूचना देगा,

परन्तु स्थानिय प्राधिकारी, ऐसे पर्याप्त कारणों जो ंलेखबद्ध किया जाए, उक्त अवधि को 3 माह से अधिक अवधि तक बढा सकेगा।

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नौ मास से अनधिक की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्रों में, जहां अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं उतने स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का जितने वह आवश्यक समझे सन्निर्माण करेगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिकाएं छावनी बोर्ड और रेल प्राधिकारी भी. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर जो समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का सन्निर्माण करेंगे जिससे उनकी अधिकारिता में खुले में मलत्याग की प्रथा को समाप्त किया जा सके।

(3) स्थानीय प्राधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उपधारा (1) और उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों का सन्निर्माण कराएं और सभी समयों पर उनके स्वच्छ रखरखाव करने की भी व्यवस्था करें।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए रेल प्राधिकारियों के संबंध में " समुदाय" मे रेल के यात्री, कर्मचारिवृन्द और अन्य प्राधिकृत उपयोक्ता अभिप्रेत हैं।

धारा 5– अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और लगाए जाने का प्रतिषेध (1) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का 46) में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात्

(क) किसी अस्वच्छ शौचालय का सन्निर्माण नहीं करेगा, या

(ख) हाथ से मैला उठाने वाले किसी कर्मी को, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः न तो लगाएगा या न ही नियोजित करेगा और इस प्रकार लगाया गया या नियोजित किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाथ से मैला उठाने की, अभिव्यक्त या विवक्षित किसी बाध्यता से तुरंत उन्मोचित हो जाएगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान प्रत्येक अस्वच्छ शौचालय को अधिभोगी द्वारा धारा 4 की उपधारा 1 के खंड (ख) में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व स्वयं अपने खर्च पर या तो तोड़ दिया जाएगा या एक स्वच्छ शौचालय संपरिवर्तित कर दिया जाएगाः

परंतु जहां, किसी अस्वच्छ शौचालय के संबंध में अनेक अधिभोगी हैं, वहां उसको तोड़ने या संपरिवर्तित करने का दायित्व–

(क) परिसरों के स्वामी पर होगा, यदि उनमें से एक अधिभोगी उसका स्वामी हो, और

(ख) अन्य सभी दशाओं में, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से सभी अधिभोगियों पर होगाः

परंतु राज्य सरकार, ऐसे प्रवर्गों के व्यक्तियों से संबद्ध अधिभोगियों को और ऐसे मापमान पर, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में संपरिवर्तित करने के लिए सहायता प्रदान कर सकेगीः

परंतु यह और कि राज्य की सहायता प्राप्त न होना, नौ मास की उक्त अवधि के पश्चात किसी अस्वच्छ शौचालय को बनाये रखने या उसका उपयोग करने का कोई विधिमान्य आधार नहीं होगा।

(3) यदि कोई अधिभोगी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय को तोड़ने या उसको शौचालय में संपरिवर्तित करने में असफल रहेगा तो उस क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा अस्वच्छ शौचालय स्थित है, अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी, अधिभोगी को इक्कीस दिन से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् ऐसे शौचालय को या तो स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करेगा या ऐसे अस्वच्छ शौचालय को तोड़ देगा और वह ऐसे अधिभोगी से, यथास्थिति, ऐसे संपरिवर्तित किए जाने या तोड़े जाने का खर्च ऐसी रीति से, जो विहित की जाए वसूल करने का हकदार होगा।

धारा 6. संविदा, करार आदि का शून्य होना – (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के प्रयोजन के लिए लगाए जाने अथवा नियोजित किए जाने के संबंध में की गई या निष्पादित किसी संविदा, करार या अन्य लिखत, अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को पर्यवसित हो जाएगी और ऐसी संविदा, करार या अन्य लिखत शून्य तथा अप्रवर्तनीय होगी और उसके लिए कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी भी व्यक्ति की, जिसको पूर्णकालिक आधार पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया गया या लगाया गया है, उसके नियोजक द्वारा छंटनी नहीं की जाएगी किन्तु उसको, उसको रजामंदी के अधीन रहते हुए, कम से कम उन्हीं उपलब्धियों पर प्रतिधारित किया जाएगा और उसको हाथ से मैला उठाने से भिन्न कार्य सौंपा जाएगा।

धारा 7. मलनालियों और मलाशयों की परिसंकटमय सफाई के लिए व्यक्तियों को लगाए जाने या नियोजित किए जाने का प्रतिषेध– कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, ऐसी तारीख से, जिसको राज्य सरकार अधिसूचित करे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के बाद की नहीं होगी, किसी व्यक्ति को या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी मलनाली या मलाशय की परिसंकटमय सफाई के लिए न तो लगाएगा और न ही नियोजित करेगा।

धारा 8. धारा 5 या धारा 6 के उल्लघंन के लिए शास्ति –जो कोई धारा 5 या धारा 6 के उपबंधों का उल्लघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

धारा 9. धारा 7 के उल्लंघन के लिए शास्ति –जो कोई धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुमनि से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुमाने से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

धारा 10. अभियोजन की परिसीमा– कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान अभिकथित अपराध के कारित किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा इस निमित्त उसका परिवाद करने के सिवाय न करेगा।

धारा 11. नगरपालिकाओं द्वारा नगरीय क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण (1) यदि किसी नगरपालिका के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ व्यक्ति उसकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने के कार्य के लिए लगाए गए हैं या नियोजित किए गए हैं, तो ऐसी नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान कराने के लिए एक सर्वेक्षण करायेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वेक्षण की अन्तर्वस्तु और कार्यपद्धति ऐसी होगी, जो विहित की जाए और उसको नगर निगमों की दशा में प्रारंभ से दो माम की अवधि के भीतर और अन्य नगरपालिकाओं की दशा में एक मास की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा।

(3) नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में सर्वेक्षण का जिम्मा लिया गया है, ठीक और समय से पूरा कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् उसकी नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए तथा ऐसी पात्रता और शर्तो पर पाए गए व्यक्तियों की एक अनंतिम सूची तैयार कराएगा ऐसी अनंतिम सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए ऐसी रीति में से विहित की जाए, प्रकाशित कराएगा और सर्वसाधारण से उस सूची के प्रति आक्षेप आमत्रिंत करेगा।

(5) यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (4) के अनुसरण में प्रकाशित अनंतिम सूची में किसी नाम को या तो सम्मिलित किए जाने या उसको हटाए जाने के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह ऐसे प्रकाशन से हर दिन की अवधि के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को को ऐसे प्ररूप में, जो नगरपालिका अधिसूचित करे, आक्षेप फाइल करेगा।

(6) उपधारा (5) के अनुसरण में प्राप्त सभी सूचीयों जांच की जाएगी और उसके पश्चात् नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों की एक अंतिम सूची उसके द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाए प्रकाशित की जाएगी।

(7) जैसे ही उपधारा (6) में निर्दिष्ट हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है, उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्ति धारा 6 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करने की किसी बाध्यता से उन्मोचित हो जायेगें।

धारा 12. पहचान के लिए किसी नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी द्वारा आवेदन (1) किसी नगरीय क्षेत्र में हाथ मे मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति ऐसी नगरपालिका द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन यह कार्य करता है. धारा 11 के अनुसरण में कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान, या उसके पश्चात् किसी समय ऐसी रीति से जो विहित की जाए नगरपालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी धारा 11 के अधीन किए गए सर्वेक्षण के भागरूप या जब ऐसे सर्वेक्षण में कोई प्रगति नहीं हुई हो. ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर यह अभिनिश्चित करने के लिए उसकी जांच करायेगा।

(3) यदि कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन उस समय प्राप्त होता है जब धारा 11 के अधीन कोई सर्वेक्षण में नहीं है और उसका उपधारा (2) के अनुसार जांच के पश्चात सही होना पाया जाता है, तो धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन प्रकाशित अंतिम सूची में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम जोड़े जाने की कार्रवाई की जाएगी और उपधारा (7) में वर्णित उसके परिणामों का अनुसरण किया जायेगा।

धारा 13. किसी नगरपालिका द्वारा हाथ में मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास (1) किसी व्यक्ति का जिसकों धारा 11की उपधारा (6) के अनुसरण में प्रकाशित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है या धारा 12 (3) के अनुसरण में उसमें जोड़ा गया है निम्नलिखित रीति से पुनर्वास किया जाएगा। अर्थात –

(क) उसको एक मास के भीतर

(1) एक फोटो पहचान पत्र,जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, उस पर आश्रित उसके कुटुंब के सभी व्यक्तियों के ब्योंरे अंतर्विष्ट होगे, दिया जायेगा, और

(2) ऐसी आरंभिक एक बार ऐसी नकद सहायता दी जाएगी जो विहित की जाए

(ख) उनके बालक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के अनुसार छात्रवृत्ति के हकदार होंगे,

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की पात्रता और रजामंदी तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसको आवासीय भूखंड आवंटित किया जाएगा और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी या तैयार बना हुआ मकान, वित्तीय सहायता के साथ, आवंटित किया आएगा,

(घ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजामंदी के अधीन रहते हुए किसी जीवनयापन कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसको ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तीन हजार रुपए से अन्यून की मामिक वृत्तिका संदत की जाएगी,

(ङ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजाबंदी के अधीन रहते हुए कोई अनुकल्पी उपजीविका करने के लिए सहायिकी और रियायती ऋण, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम में नियत की जाए, दिया जाएगा;

(च) उसको ऐसी अन्य विधिक और योजनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस निमित्त, अधिसूचित करे ।

(2) संबद्ध जिले का जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले प्रत्येक कर्मी के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी होगा और इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार या संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट, अपनी ओर से जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अधिकारियों और संबद्ध नगरपालिका के अधिकारियों को उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगा।

धारा 14. पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण– यदि किसी पंचायत को यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ व्यक्ति उसकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैना उठाने के कार्य में लगे हुए हैं तो ऐसी पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित धारा 11और धारा 12 के उपबंधों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले ऐसे कर्मियों का सर्वेक्षण कराएगा।

धारा 15. पहचान के लिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी द्वारा आवेदन– (1) किसी ग्रामीण क्षेत्र में हाथ मे मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति ऐसी पंचायत द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कार्य करता है, या तो धारा 14 के अनुसरण में कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात् किसी समय ऐसी रीति सें, जो विहित की जाए, संबंधित पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, या तो धारा 14 के अधीन किए गए सर्वेक्षण के भागरूप में या जब ऐसा सर्वेक्षण प्रगति में नहीं है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर यह अभिनिश्चित करने के लिए उसकी जांच कराएगा कि क्या आवेदक कोई हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी है।

धारा 16. किसी पंचायत द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास– ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसको धारा 14 के अनुसरण में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की प्रकाशित अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है या धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में उसमें

जोड़ा गया है, धारा 13 में नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के संबंध में अधिकथित रीति से यथा आवश्यक परिवर्तन सहित पुनर्वासित किया जाएगा।

धारा 21. अपराधों का विचारण कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगी और शक्तियों के इस प्रकार प्रदान किए जाने पर ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसको इस प्रकार शक्तियां प्रदान की गई है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रयोजन के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण संक्षेपतः किया जा सकेगा।

धारा 22 अपराध का संज्ञेय और अजमातीय होना– दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) अधिनियम, 2015'

धारा 2. किसी व्यक्ति को तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित करना,

– (1) किसी व्यक्ति को तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित करने के लिए–

(क) महाधिवक्ता द्वारा या

(ख) उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा या

(ग) उच्च न्यायालय की अनुमति से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित या संचालित की हैं, उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया जा सकेगा।

(2) यदि, उप–धारा (1) के अधीन फाइल किये गये किसी आवेदन पर उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी न्यायालय में आदतन और किसी युक्तियुक्त आधार के बिना चाहे एक ही व्यक्ति के विरुद्ध या भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध तंग करने वाली सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित की हैं, तो उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को, जिसने ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की है, सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् यह घोषित कर सकेगा कि वह व्यक्ति तंग करने वाला मुकदमेबाज है।

(3) जब उप–धारा (1) के खंण्ड (ख) या (ग) के अधीन निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन फाइल किया जाये तो उस आवेदन पर महाधिवक्ता को भी सुना जायेगा।

(4) उप–धारा (1) के अधीन फाइल किया गया आवेदन उच्च न्यायालय को खण्ड न्यायपीठ द्वारा सुना और विनिश्चित किया जावेगा।

धारा 3. किन्हीं सिविल या दांडिक कार्यवाहियों को संस्थित करने या जारी रखने के लिए तंग करने वाले मुकदमेबाज के लिए न्यायालय की अनुमति का आवश्यक होना.

(1) जब उच्च न्यायालय, उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 2 की उप–धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित करता है तो न्यायालय यह आदेश भी करेगा कि समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त किये बिना–

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में कोई सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेगी और

(ख) उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में उक्त व्यक्ति द्वारा कोई सिविल या दांडिक कार्यवाहियां यदि पहले ही संस्थित को हुई हों तो उसके द्वारा जारी नहीं रखी जायेंगी।

(2) तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित मामलों में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा.

(क) जहां ऐसा व्यक्ति अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए समुचित न्यायालय में या समुचित न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही संस्थित कर रहा हैः

(ख) जहां, ऐसा व्यक्ति, उसके विरुद्ध संस्थित किये गये किसी मामले में, स्वयं की प्रतिरक्षा करने के लिए समुचित कार्यवाहियां फाइल करने का या समुचित कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव करता है,

(ग) जहां समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा सस्थित की गयी या जारी रखी गयी किसी कार्यवाही में उक्त व्यक्ति समुचित और कार्यवाहियां फाइल करने का या समुचित कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव करता है।

(3) अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जायेगी, जब तक की समुचित न्यायालय या यथास्थिति समुचित न्यायाधीश का यह समाधान नहीं हो जाता कि कार्यवाहियां न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है और तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप से घोषित व्यक्ति द्वारा संस्थित की या जारी रखी जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों के लिए प्रथमदृष्टया आधार है।

स्पष्टीकरण इस धारा और धारा 5 के लिये

(क) समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश" में अभिप्रेत है

(1) तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में फाइल की जाने या जारी रखी जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों के मामले में, उच्च न्यायालय,

(2) तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में फाइल की जाने या जारी रखी जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

(ख) "दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने में किसी दंड न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल करके अभियोजन चाहने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ या संस्थित करना या जारी रखना अभिप्रेत है;

(ग) सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन संस्थित की गयी या जारी रखी गयी कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं हैं।

धारा 4. आदेश का प्रकाशन और संसूचना – (1) धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश की प्रति राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी और ऐसी अन्य रीति से भी प्रकाशित की जा सकेगी जैसाकि उच्च न्यायालय निदेश दे।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समस्त न्यायालयों को भी ऐसी रिति से संसूचित किया जायेगा जैसा कि उच्च न्यायालय निदेश दे।

धारा 5. समुचित न्यायालय की अनुमति के बिना संस्थित की गयी या जारी रखी गयी सिविल या दांडिक कार्यवाहियों को खारिज किया जाना और अन्य परिणाम – (1) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन आदेश किया गया हैं, उस धारा में निर्विष्ट अनुमति प्राप्त किये बिना, किसी न्यायालय में संस्थित की गयी या जारी रखी गयी कोई भी सिविल या दांडिक कार्यवाहियां उक्त न्यायालय द्वारा खारिज की जायेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कार्यवाहियां खारिज करते समय, न्यायालय ऐसे तंग करने वाले मुकदमेबाज की खर्चे सदंत्त करने का निदेश भी देगा।

धारा 6 नियम बनाने की शक्ति– उच्च न्यायालय इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित किये जाने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगा।

धारा 7 व्यावृत्ति – इस अधिनियम के उपबंध, किसी अन्य विधि में के तंग करने वाले अभिवचनों को काट दिये जाने या विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने को उपबंधित करने वाले उपबंधों या ऐसे उपबंधों, जिनमें किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के संस्थित किया जाने या जारी रख जाने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी की किसी भी रूप में सहमति, मंजूरी या अनुमादेन की आवश्यकता हो, के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।